VISION IAS

INSPIRING INNOVATION

PT 365

राजव्यवस्था

Classroom Study Material

(May 2020 to January 2021)

DELHI LUCKNOW JAIPUR HYDERABAD PUNE AHMEDABAD CHANDIGARH GUWAHATI

8468022022
9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /Vision_IAS vision_ias www.visionias.in /VisionIAS_UPSC

संविधान एवं राजव्यवस्था

विषय-सूची

1. संविधान से जुड़े मुद्दे (Issues Related to Constitution) 4

1.1. मूल संरचना (Basic Structure) 4

1.2. राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment of President) 5

1.3. राज्यपाल की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power of Governor) 6

1.4. अन्य पिछड़े वर्गों का उप-वर्गीकरण {Sub-Categorization of other Backward Classes (OBCs)} 7

1.5. राजभाषा अधिनियम (Official Languages Act) 8

1.6. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियाँ (Other Important News) 10

2. संसद / राज्य विधान-मण्डल / स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली (Functioning of Parliament/ State Legislature/ Local Government) 11

2.1. प्रश्नकाल (Question Hour)... 11

2.2. संसदीय स्थायी समितियां (Parliamentary Standing Committees).. 12

2.3. लाभ का पद (Office of Profit) 13

2.4. राज्य सभा निर्वाचन (Rajya Sabha Elections) 13

2.5. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियाँ (Other Important News) 14

3. केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relations) 16

3.1. छठी अनुसूची (Sixth Schedule) 16

3.2. केंद्र एवं राज्य सरकार की उधार लेने की शक्ति (Borrowing Powers of the Centre and State Government) 18

3.3. अनुच्छेद 370 (Article 370)... 19

3.4. अंतरराज्य परिषद् (Inter-State Council) 21

3.5. आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme: ADP).. 22

4. न्यायपालिका (Judiciary) 24

4.1. न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) 24

4.2. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए तंत्र {Mechanisms to Investigate Charges Against a Supreme Court (SC) Judge}... 25

4.3. ई-लोक अदालत (E-Lok Adalats).. 26

4.4. अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम और सुर्ख़ियों में रही अवधारणाएँ (Other Important Developments and Concepts in News)... 29

5. निर्वाचन (Elections) 32

5.1. एक साथ चुनाव (Simultaneous Elections) 32

5.2. चुनावी बॉण्ड योजना (Electoral Bond Scheme: EBS) 33

5.3. अनिवासी भारतीयों के लिए मताधिकार (Voting Rights to NRIs) 34

5.4. परिसीमन आयोग (Delimitation Commission).. 35

VISION IAS

© Vision IAS

5.5. प्रत्यावर्तन का अधिकार (Right to Recall) 36

5.6. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियाँ (Other Important News) 36

5.6.1. निर्वाचन क्षेत्रों के लिए स्टार प्रचारक (Star Campaigners in Election) 36

5.6.2. चुनावी व्यय (Election Expenditure) 37

5.6.3. विश्व निर्वाचन निकाय संघ (Association of World Election Bodies: A-WEB) 38

5.6.4. ओपिनियन (जनमत सर्वेक्षण) और एग्जिट पोल (निर्गत मत सर्वेक्षण) (Opinion and Exit Poll) 38

6. महत्वपूर्ण अधिनियम / विधेयक (Important Legislations/Bills) 40

6.1. सूचना का अधिकार अधिनियम {Right to Information (RTI) Act} 40

6.2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (The Consumer Protection Act, 2019) 42

6.3. विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 {Foreign Contribution (Regulation) Amendment Act, 2020} 45

6.3.1. गैर-सरकारी संगठनों का विनियमन (Regulation of NGOs) 46

6.4. प्रारूप विदुयत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 {Draft Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020} 46

6.5. सुर्ख़ियों में रहे अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम/विधेयक (Other Important Acts/Bills in News) 47

7. सुर्ख़ियों में रहे संवैधानिक / सांविधिक / कार्यकारी निकाय (Important Constitutional/ Statutory / Executive Bodies in News) 49

7.1. राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (National Recruitment Agency: NRA) 49

7.2. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (National Medical Commission: NMC) 50

7.3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission: NHRC) 51

7.4. केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission: CVC) 52

7.5. भारतीय विधि आयोग (Law Commission of India) 53

7.6. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Record Bureau) 54

7.7. सुर्खियों में रहें अन्य महत्वपूर्ण निकाय (Other Important Bodies in News) 55

8. शासन के महत्वपूर्ण पहलू (Important Aspects of Governance) 57

8.1. आधार (Aadhar) 57

8.2. 'मिशन कर्मयोगी' (Mission Karmayogi) 59

8.3. व्हिसल-ब्लोअर संरक्षण (Whistle-Blower Protection) 60

8.4. भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता (IPC and CrPC) 61

8.5. एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (One Nation, One Ration Card: ONORC) 61

8.6. बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों का विनियमन (Regulation of Big Tech Companies) 63

8.7. इंटरनेट शटडाउन (Internet Shutdowns) 64

8.8. डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (Data Governance Quality Index: DGQI) 65

VISION IAS

8.9. राष्ट्रीय कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन नीति प्रारूप (National Program and Project Management Policy Framework: NPMPF) 66
8.10. अन्य महत्वपूर्ण सरकारी पहलें (Other Important Governance Initiatives) 66

नोट:

PT 365 (हिंदी) डाक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365 दिन) की महत्वपूर्ण समसामयिकी को समेकित रूप से कवर किया गया है ताकि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके।

अभ्यर्थियों के हित में PT 365 डॉक्यूमेंट को और बेहतर बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित नवीन विशेषताओं को शामिल किया गया है:

1. टॉपिक्स के आसान वर्गीकरण और विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को रेखांकित तथा याद करने के लिए इस अध्ययन सामग्री में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।
2. अभ्यर्थी ने विषय को कितना बेहतर समझा है, इसके परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।
3. विषय/ टॉपिक की आसान समझ के लिए इन्फोग्राफिक्स को शामिल किया गया है। यह सीखने और समझने के अनुभव को आसान बनाता है तथा पढ़े गए विषय/कंटेंट को लंबे समय तक याद रखना सुनिश्चित करता है।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

1. संविधान से जुड़े मुद्दे (Issues Related to Constitution)

1.1. मूल संरचना (Basic Structure)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **केशवानंद भारती श्रीपद्गलवरु और अन्य बनाम केरल राज्य वाद** के मुख्य याचिकाकर्ता केशवानंद भारती का निधन हो गया।

केशवानंद भारती वाद के बारे में

- ज्ञातव्य है कि केशवानंद भारती वाद में निर्णय सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने संविधान की **मूल संरचना (या मूल ढांचे) (Basic Structure)** को रेखांकित किया था।
- यह वाद **केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963** के तहत सरकार द्वारा केशवानंद की भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण को चुनौती देने वाली केरल सरकार के विरुद्ध दायर एक याचिका से संबंधित था। इस याचिका में राज्य सरकार पर भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 25, 26 और 31** में प्रत्याभूत मूल अधिकारों (Fundamental Rights: FRs) के अतिक्रमण का आरोप लगाया था।
- इस मामले की सुनवाई 13 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई थी। यह उच्चतम न्यायालय की उस समय गठित सबसे बड़ी पीठ थी।
- सुनवाई की प्रक्रिया के आरंभ होने के पश्चात्, निम्नलिखित मुद्दों को संबोधित करने के लिए इस वाद के दायरे का विस्तार किया गया था:
  - **गोलखनाथ वाद (वर्ष 1967)** की व्याख्या;
  - **अनुच्छेद 368** (संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति) की व्याख्या;
  - **24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 25वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 और 3** तथा **29वें संविधान संशोधन अधिनियम** की वैधता।

मूल संरचना के विभिन्न तत्व (Various elements of Basic Structure)

- वर्तमान में कुछ सिद्धांत जो 'मूल संरचना' (या बेसिक स्ट्रक्चर) का हिस्सा हैं, निम्नलिखित हैं:
  - भारत की संप्रभुता;
  - नागरिकों के लिए सुरक्षित व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आवश्यक विशेषताएँ;
  - कल्याणकारी राज्य के निर्माण के लिए अधिदेश;
  - संविधान की सर्वोच्चता;
  - सरकार का गणतंत्रात्मक और लोकतांत्रिक स्वरूप;
  - संविधान की पंथनिरपेक्ष और संघीय प्रकृति;
  - विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण;
  - राष्ट्र की एकता और अखंडता;
  - न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति;
  - मूल अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (DPSPs) के मध्य सामंजस्य एवं संतुलन;
  - संसदीय प्रणाली;
  - विधि का नियम;
  - समता का सिद्धांत;
  - स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन;
  - न्यायपालिका की स्वतंत्रता;
  - संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति;
  - न्याय तक प्रभावी पहुँच;
  - मूल अधिकारों में अंतर्निहित सिद्धांत (या सार);
  - अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की शक्तियां;
  - अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ आदि।

केशवानंद भारती वाद के निष्कर्ष

- **24वें संशोधन की वैधता को बरकरार रखा गया:** उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को संविधान के किसी भी या सभी प्रावधानों (मूल अधिकारों सहित) में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, बशर्ते संशोधन द्वारा संविधान की अनिवार्य

विशेषताओं या मूलभूत सिद्धांतों या मूल ढांचे/संरचना में परिवर्तन, उनकी क्षति या लोप नहीं होना चाहिए। इसे **"मूल ढांचे के सिद्धांत" (Basic Structure Doctrine)** के रूप में जाना जाता है।

- **गोलकनाथ वाद के निर्णय को सही किया गया:** उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया दोनों शामिल हैं तथा **संसद की संविधान संशोधन करने की शक्तियां एवं विधायी शक्तियां भिन्न-भिन्न हैं।**

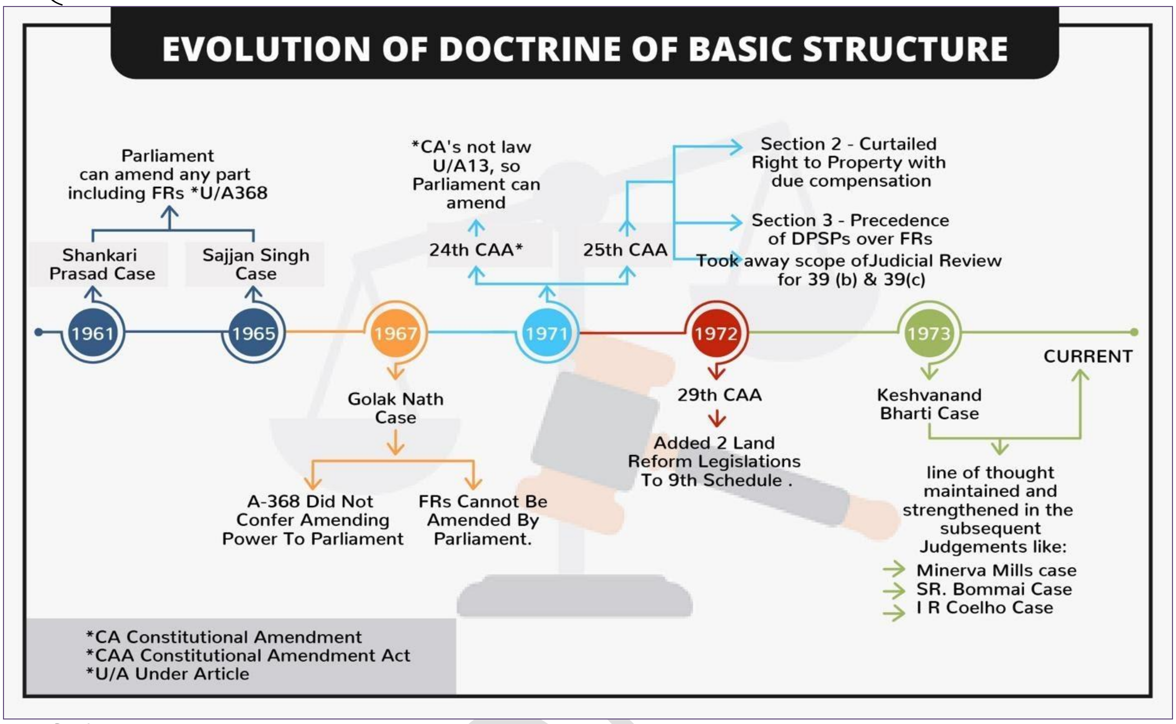

- **अन्य निर्णय:** उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक पुनर्विलोकन (समीक्षा) की अपनी शक्ति को कम करने वाले हिस्सों को छोड़कर 25वें एवं 29वें संविधान संशोधन को वैध स्वीकार किया और यह भी कहा कि **उद्देशिका संविधान का एक भाग है तथा इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है।**

1.2. राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment of President)

सुर्खियों में क्यों?

डोनाल्ड ट्रम्प संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिन पर दो बार महाभियोग चलाया गया।

महाभियोग			
मूलभूत अंतर		**भारत**	**संयुक्त राज्य अमेरिका**
आधार		अनुच्छेद 61 के तहत भारतीय संविधान के अतिक्रमण के आधार पर।	राजद्रोह, रिश्वतखोरी या कोई अन्य बड़े अपराध के आधार पर।
कौन आरंभ कर सकता है		संसद का **कोई भी सदन।**	केवल **हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव** (निचला सदन)।
प्रक्रियाएं	**प्रथम चरण**	• ऐसे संकल्प पर संबंधित सदन के एक चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो। • राष्ट्रपति को 14 दिन की लिखित सूचना देना। • उस सदन की कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित करना।	आरोपों की जाँच आरंभ करने हेतु साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता।

© Vision IAS

	द्वितीय चरण	• दूसरा सदन ऐसे आरोप का अन्वेषण करता है। • दूसरे सदन द्वारा भी इसे कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई बहुमत से पारित करना आवश्यक है और ऐसा होने के पश्चात् राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा।	• **सीनेट** (उच्च सदन) न्यायालय की भूमिका निभाता है। • सीनेट से दो तिहाई बहुमत से पारित होने के बाद राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा।

1.3. राज्यपाल की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power of Governor)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी करार दिए गए ए. जी. पेरारिवलन की सजा को परिहार (Remission) करने की याचिका तमिलनाडु के राज्यपाल के पास दो वर्षों से अधिक समय से लंबित है।

क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलनात्मक शक्तियां	
राष्ट्रपति	**राज्यपाल**

• **संविधान के अनुच्छेद 72** में राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है, जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी करार दिए गए हैं:
  ○ संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में;
  ○ सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में; तथा
  ○ यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो।
	• **संविधान के अनुच्छेद 161** के तहत, किसी राज्य का राज्यपाल भी क्षमादान शक्तियां रखता है।
	• परंतु निम्नलिखित दो परिस्थितियों में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां राष्ट्रपति से भिन्न हैं:
	  ○ राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल नहीं।
	  ○ राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। यहां तक कि अगर कोई राज्य विधि मृत्युदंड की सजा निर्धारित करती है, तो भी क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है न कि राज्यपाल के पास।

• **राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  ○ **क्षमा (Pardon):** इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी को सजा, दंड, दंडादेशों एवं निरर्हताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है।
  ○ **लघुकरण (Commutation):** इसका अर्थ है कि सज़ा की प्रकृति को बदलना, जैसे- मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना।
  ○ **परिहार (Remission):** सज़ा की अवधि को बदलना, जैसे- 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना।
  ○ **विराम (Respite):** विशेष परिस्थितियों की वजह से सज़ा को कम करना, जैसे- शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण।
  ○ **प्रविलंबन (Reprieve):** यह किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया से संबंधित है, जैसे- फाँसी को कुछ समय के लिए टालना।
	• राज्यपाल, राज्य विधि के तहत किसी अपराध के लिए सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को निलंबित कर सकता है, दंड का स्वरूप बदल सकता है और दंड की अवधि कम कर सकता है।
	• हालांकि, राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को निलंबित, परिहार अथवा उसका लघुकरण कर सकता है।

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के मध्य तुलना

- हाल ही में, अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को क्षमा करने के लिए अपनी क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग किया।
- अमेरिका के राष्ट्रपति के पास संघीय अपराधों से संबंधित सजाओं को क्षमा करने या लघुकरण करने का संवैधानिक अधिकार है। यह “असीमित शक्ति” है और इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता।
- जबकि, भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करना होता है (अनुच्छेद 72)। उसके पास क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने के अधिकार हैं।

1.4. अन्य पिछड़े वर्गों का उप-वर्गीकरण {Sub-Categorization of other Backward Classes (OBCs)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग के कार्यकाल विस्तार को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्ष 2017 में **OBCs के उप-वर्गीकरण की जाँच के लिए न्यायाधीश जी. रोहिणी (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में** एक आयोग का गठन किया गया था। इसे भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 340** के तहत गठित किया गया था।
  - **अनुच्छेद 340** राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की स्थितियों की **जांच के लिए एक आयोग** गठित करने का अधिकार प्रदान करता है।

पृष्ठभूमि: मंडल आयोग

- वर्ष 1990 में, तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा यह घोषणा किया गया था कि OBCs को केंद्र सरकार की सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों से संबद्ध नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण {संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत} दिया जाएगा।

न्यायालय द्वारा इंद्रा साहनी वाद में आरक्षण हेतु निर्धारित की गईं शर्तें:

- सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण;
- ऊर्ध्वाधर आरक्षण पर 50% की ऊपरी सीमा;
- पिछड़ी जातियों में से क्रीमी लेयर की पहचान कर उन्हें इसके लाभ से अनिवार्यतः वंचित किया जाना चाहिए;
- पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए।

- यह निर्णय **मंडल आयोग के रिपोर्ट (वर्ष 1980)** पर आधारित था, जिसे वर्ष 1979 में गठित किया गया था। इसकी अध्यक्षता बी. पी. मंडल द्वारा की गई थी। मंडल आयोग को जातिगत भेदभाव के निवारणार्थ सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करनी थी।
- केंद्र सरकार के संस्थानों में OBCs के लिए आरक्षण हेतु अनुशंसा वर्ष 1992 में लागू की गई थी, जबकि **शिक्षा में आरक्षण वर्ष 2006 में लागू हुआ था {संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत}।**
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि मंडल आयोग की अनुशंसाओं का लाभ सबसे पिछड़े समुदायों को प्राप्त हो, उच्चतम न्यायालय ने **'इंदिरा साहनी निर्णय' (वर्ष 1992)** द्वारा क्रीमी लेयर मानदंड को लागू किया था।
  - **8 लाख रुपये या उससे अधिक की वार्षिक आय वाले एक परिवार** को OBCs के मध्य 'क्रीमी लेयर' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसलिए वह आरक्षण के लिए पात्र नहीं है।

उप-वर्गीकरण का विचार

- वर्ष 1955 की प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट ने OBCs को **पिछड़े और अत्यंत पिछड़े समुदायों** में उप-वर्गीकृत करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।
- वर्ष 1979 की मंडल आयोग की रिपोर्ट में, एक सदस्य एल. आर. नाइक ने एक **असहमति नोट** द्वारा **मध्यवर्ती और दमित पिछड़े वर्गों** में उप-वर्गीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

OBCs कौन हैं?

- OBC एक सामूहिक शब्द है, जिसका उपयोग सरकार द्वारा शैक्षिक या सामाजिक रूप से वंचित जातियों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है।
- OBCs एक विशाल विजातीय समूह हैं। इसमें विभिन्न जातियां या उप-जातियां शामिल हैं, जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में काफी भिन्नताएं विद्यमान हैं।
  - उदाहरण के लिए, उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में OBCs में भू-स्वामी समुदाय शामिल हैं, जबकि दूसरी तरफ निर्वाह श्रम पर जीवन व्यतीत करने वाले समाज के कई निर्धन वर्ग भी इसके अंतर्गत आते हैं।

© Vision IAS

- वर्ष 2015 में, **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) ने प्रस्ताव किया था** कि OBCs को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा:
    - **अत्यंत पिछड़ा वर्ग (समूह A) {Extremely Backward Classes (EBC-Group A)}:** इसमें उन समुदायों शामिल किया जाना चाहिए, जो OBCs के भीतर भी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं। इन समुदायों में आदिम जनजातियां, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियां भी सम्मिलित हैं, जो अपने पारंपरिक व्यवसायों में संलग्न हैं।
    - **अधिक पिछड़ा वर्ग (समूह B) {More Backward Classes (MBC-Group B)}:** इसके अंतर्गत वे व्यावसायिक समूह शामिल होंगे, जो अपने पारंपरिक व्यवसायों को जारी रखे हुए हैं।
    - **पिछड़ा वर्ग (समूह C) {Backward Classes (BC-Group C)}** में तुलनात्मक रूप से अधिक समर्थ वर्ग शामिल होंगे।
- NCBC के अनुसार, **11 राज्यों** (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु) ने राज्य-सरकार के स्वामित्व वाले संस्थानों में **आरक्षण के लिए OBCs का उप-वर्गीकरण किया है।**

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes: NCBC)

- अब तक, **अनुच्छेद 338** के तहत, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission of Scheduled Castes: NCSC) द्वारा OBCs से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाता था।
- ज्ञातव्य है कि **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993** के तहत NCBC का गठन किया गया था।
- वर्तमान NCBC केवल OBC सूची से **जातियों को शामिल करने और हटाने** तथा आरक्षण के लाभ से इन जातियों को पृथक करने वाली "क्रीमी लेयर" के लिए आय के स्तर को निर्धारित करने की **अनुशंसा** कर सकता है।
- **102वें संविधान संशोधन अधिनियम (123वां संविधान संशोधन विधेयक)** के माध्यम से NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह अधिनियम इसे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के आयोग के समान अधिकार प्रदान करता है। OBCs से संबंधित वैसे कार्य जो पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा निष्पादित किए जाते थे, अब इस नए आयोग को सौंप दिए गए हैं।
- इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 342A और अनुच्छेद 366 में भी परिवर्तन किए गए हैं।
    - अनुच्छेद 342A सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची से संबंधित है।
    - अनुच्छेद 366 में संविधान में प्रयुक्त परिभाषाएँ शामिल हैं, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।
- इस अधिनियम के अनुसार, **NCBC में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त पांच सदस्य शामिल होंगे।** उनका कार्यकाल और सेवा की शर्तें भी राष्ट्रपति द्वारा ही तय की जाएंगी।
- **इस आयोग द्वारा निष्पादित किए जाने वाले प्रमुख कार्य:**
    - आरक्षण लागू न होने, आर्थिक शिकायतें, हिंसा आदि से संबंधित शिकायतों के मामले में नागरिक इस आयोग के समक्ष अपनी समस्याएं प्रस्तुत कर सकेंगे।
    - यह अधिनियम प्रस्तावित आयोग को **अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित होने की शिकायतों की जांच करने की शक्ति प्रदान करता है।**
    - इसे एक **दीवानी न्यायालय के समान मुकदमा चलाने,** किसी को सम्मन जारी करने, दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने और शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई है।

1.5. राजभाषा अधिनियम (Official Languages Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने शासन (गवर्नेंस) में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी शामिल करने के लिए सरकार को **राजभाषा अधिनियम,1963** में संशोधन करने की सलाह दी है।

राजभाषा अधिनियम, 1963 (Official Languages Act, 1963) के बारे में

- इसे वर्ष 1963 में अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य ऐसी भाषाएँ प्रदान करना था, जिनका उपयोग संघ के आधिकारिक प्रयोजनों, संसद में कार्य संचालन, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों तथा उच्च न्यायालयों की भाषा के रूप में किया जा सकता है।
- इस अधिनियम के अनुसार, कुछ निश्चित उद्देश्यों, जैसे- संकल्प, नियम, सामान्य आदेश, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, अनुज्ञा पत्र, निविदा प्रारूपों आदि के लिए **अंग्रेजी और हिंदी दोनों का उपयोग** किया जाएगा।

अन्य संबंधित तथ्य

भारतीय भाषा संस्थान (Central Institute of Indian Languages: CIIL)

- CIIL, शिक्षा मंत्रालय के तहत एक अधीनस्थ कार्यालय है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। इसके उद्देश्य हैं:
  - भारतीय भाषाओं के विकास के लिए समन्वय स्थापित करना;
  - कम बोली जाने वाली, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय भाषाओं का संरक्षण और प्रलेखन;
  - अलग-अलग क्षेत्रों में गैर-भाषी स्थानीय लोगों के मध्य 15 से अधिक भाषाओं का प्रसार कर भाषाई सामंजस्य स्थापित करना;
  - भाषा के विषय में केंद्र एवं राज्य सरकारों को परामर्श
- इसके अतिरिक्त, CIIL कई अन्य कार्यक्रमों का भी संचालन करता है, यथा- **भारतीय भाषाओं का विकास, क्षेत्रीय भाषा केंद्र, राष्ट्रीय परीक्षण सेवा आदि।**

राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान के **भाग XVII** के **अनुच्छेद 343 से 351** में राजभाषा से संबंधित प्रावधान हैं।
- संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ हैं (असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगू, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी)। इनमें से 14 भाषाओं को मूल संविधान में ही शामिल कर लिया गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को वर्ष 2003 के **92वें संविधान संशोधन अधिनियम** द्वारा शामिल किया गया था।
- संविधान के **अनुच्छेद 343(1)** के अनुसार, देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी।
- **अनुच्छेद 343(3)** के अनुसार, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए संविधान के प्रारंभ होने की तिथि के 15 वर्ष (अर्थात् 25 जनवरी 1965) की अवधि के पश्चात् भी संसद विधि द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग उपबंधित कर सकेगी।
- **अनुच्छेद 344 (1)** में यह उपबंध है कि संविधान के प्रारंभ होने से पांच वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा।
- **अनुच्छेद 348 (1)** के अनुसार, उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे।
- **अनुच्छेद 351** के अनुसार, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

राजभाषा आयोग (Official Languages Commission)

- संविधान के **अनुच्छेद 344** के तहत, **राष्ट्रपति,** इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।
- आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को-
  - संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग;
  - संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों;
  - अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा;
  - संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप;

© Vision IAS

- ○ संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, के बारे में सिफारिश करे।
- यह भी उल्लेख किया गया है कि एक समिति गठित की जाएगी जो **तीस सदस्यों** से मिलकर बनेगी जिनमें से **बीस लोक सभा के सदस्य** होंगे और **दस राज्य सभा के सदस्य** होंगे जो क्रमशः **लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित** होंगे। समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे।

1.6. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियाँ (Other Important News)

<table>
<tr>
<td>विरोध-प्रदर्शन का अधिकार (Right to Protest)</td>
<td>

उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act: CAA) के विरुद्ध हुए विरोध-प्रदर्शनों को लेकर दिल्ली के शाहीन बाग में सड़क अवरुद्ध करने के खिलाफ दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान "विरोध प्रदर्शन के अधिकार बनाम आवाजाही के अधिकार (Right to protest vs. Right to mobility)" के संबंध में निर्णय दिया है।

<table>
<tr><th colspan="3">CONSTITUTIONAL BASIS FOR RIGHT TO PROTEST</th></tr>
<tr><th>ARTICLE</th><th>SUB-ARTICLE</th><th>PROVISION</th></tr>
<tr><td rowspan="3">19</td><td>(1) (a)</td><td>∘ Freedom of Speech & Expression
∘ Right to Demonstration or Picketing
∘ No Right to Strike.</td></tr>
<tr><td>(1)(b)</td><td>Right to Assemble Peacefully without arms.</td></tr>
<tr><td>(2) & (3)</td><td>Power of state to impose Reasonable Restrictions.</td></tr>
</table>

इसके अतिरिक्त, एक अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसानों को अपने "सर्वथा उचित" (absolutely perfect) विरोध-प्रदर्शन को तब तक जारी रखने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, जब तक कि उन्हें प्रतीत होता है कि वे तीन विवादास्पद कृषि क़ानूनों को लेकर सहमत नहीं हैं। हालांकि, न्यायालय ने यह भी कहा कि विरोध-प्रदर्शन के हिंसा में परिवर्तित की स्थिति में यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

</td>
</tr>
<tr>
<td>हेट स्पीच (Hate Speech)</td>
<td>

अमीश देवगन बनाम भारत संघ वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्दिष्ट किया है कि घृणा-वाक् या हेट स्पीच वस्तुतः बहुलता (Pluralism) के प्रति प्रतिबद्ध एक राजव्यवस्था में समता के अधिकार (right to equality) को हानि पहुँचाती है।
प्रमुख अवलोकन:

'हेट स्पीच' बनाम 'फ्री स्पीच'

फ्री स्पीच में सरकारी नीतियों पर टिप्पणी करने, पक्ष लेने या आलोचना करने का अधिकार शामिल है; तथा
हेट स्पीच में 'किसी लक्षित समुदाय या समूह के विरुद्ध घृणा का सृजन या प्रचार करना शामिल है।

भारत में किसी भी कानून में हेट स्पीच को परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि, हेट स्पीच (सामान्यतः व्यक्तियों के एक समूह के विरुद्ध घृणा को उकसाने जैसे कृत्यों) से भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं, यथा- 153A, 295 आदि के तहत निपटा जाता है।

</td>
</tr>
</table>

2. संसद / राज्य विधान-मण्डल / स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली (Functioning of Parliament/State Legislature/Local Government)

2.1. प्रश्नकाल (Question Hour)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कोविड-19 महामारी के कारण, संसद के विगत मानसून सत्र के दौरान लोक सभा एवं राज्य सभा में प्रश्नकाल और गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों को निलंबित कर दिया गया था।

प्रश्नकाल के बारे में

- यह **संसद की बैठक का प्रथम घंटा** होता है। इस दौरान **संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से सरकारी कार्यकलापों और प्रशासन के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं** तथा इस प्रक्रिया द्वारा उन्हें उनके **मंत्रालयों की कार्यप्रणाली हेतु उत्तरदायी ठहराया जाता है।**

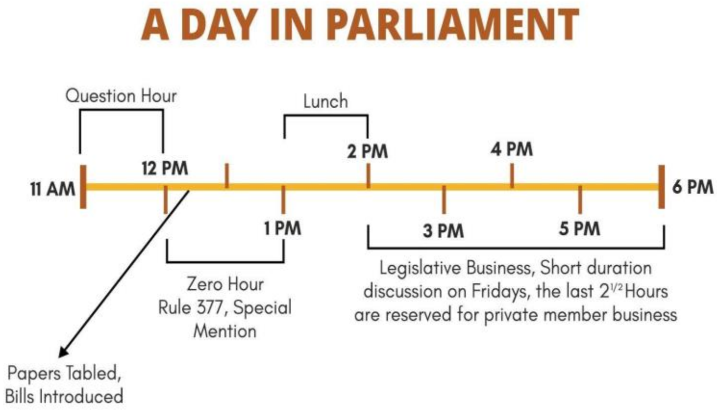

प्रश्नों की श्रेणियां	
प्रकार	**विशेषताएं**
तारांकित प्रश्न (Starred Questions)	मौखिक उत्तर की आवश्यकता।
अतारांकित प्रश्न (Unstarred Questions)	लिखित उत्तर की आवश्यकता।
अल्प सूचना प्रश्न (Short Notice Questions)	• प्रश्नकाल के बाद मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। • प्रश्नकाल आयोजित न होने की स्थिति में सभा की बैठक आरंभ होने के बाद।
निजी सदस्यों के लिए प्रश्न (Questions to Private Members)	निजी सदस्य को संबोधित कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बशर्ते कि उस प्रश्न की विषयवस्तु निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक या संकल्प से संबंधित हो।
आधे घंटे की चर्चा (Half an Hour Discussion): तारांकित/अतारांकित प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में सभापति/अध्यक्ष की अनुमति पर आयोजित।	
निष्कर्ष: (i) सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछने के लिए सभापति/अध्यक्ष को **15 दिन** (इसमें सभापति/अध्यक्ष कमी कर सकता है) की पूर्व सूचना देनी होती है। **(ii)** लोक सभा में प्रति व्यक्ति केवल **पांच प्रश्न** और राज्यसभा में प्रति व्यक्ति केवल **सात प्रश्न** पूछे जा सकते हैं।	

विगत वर्षों में प्रश्नकाल का निलंबन

- प्रश्नकाल को वर्ष 1962, 1975, 1976, 1991, 2004 और 2009 के दौरान विभिन्न कारणों से निलंबित कर दिया गया था।
- प्रश्नकाल को प्रथम बार **वर्ष 1962 के शीतकालीन सत्र के दौरान भारत-चीन युद्ध के कारण** निलंबित किया गया था। इसी प्रकार, वर्ष 1971 के शीतकालीन सत्र में, इसे **पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण निलंबित** कर दिया गया था।
- आपातकाल के दौरान, संसद ने प्रश्नकाल के बिना दो सत्रों का संचालन किया था, यथा- वर्ष 1975 का मानसून सत्र और वर्ष 1976 का शीतकालीन सत्र।

- संसद के **दोनों सदन अपने स्वयं के नियमों का पालन** करते हैं, जो इनके द्वारा स्वयं को नियंत्रित करने के लिए निर्मित किए गए हैं।
    - वर्ष 1952 में संसद की शुरुआत में, लोक सभा के नियमों में प्रश्नकाल (प्रतिदिन आयोजित किए जाने) का प्रावधान किया गया था।
    - दूसरी ओर, राज्य सभा में **सप्ताह में दो दिन प्रश्नकाल** का प्रावधान किया गया था। कुछ महीनों के पश्चात, इसे सप्ताह में

शून्यकाल (Zero Hour)

- प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को **"शून्यकाल"** के रूप में जाना जाता है।
    - यह दोपहर 12 बजे से आरंभ होता है (इसलिए यह नाम दिया गया है)।
- सामान्यतया, महत्वपूर्ण विधेयकों, बजट और राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों पर चर्चा दोपहर 2 बजे से शुरू होती है।
- "शून्यकाल" के दौरान मामलों को उठाने के इच्छुक सदस्यों को **दैनिक सत्र आरंभ होने से पूर्व अध्यक्ष को नोटिस देने की आवश्यकता** होती है।
- शून्यकाल **भारत की संसद का एक नवाचार** है और **प्रश्नकाल के विपरीत यह प्रक्रिया के नियमों में उल्लिखित नहीं** है। शून्य काल **वर्ष 1962** से अस्तित्व में है।
- सत्र के दौरान प्रत्येक दिन शून्यकाल होना अनिवार्य नहीं है।

© Vision IAS

चार दिन में परिवर्तित कर दिया गया। तत्पश्चात वर्ष 1964 से, सत्र के **प्रत्येक दिन** राज्य सभा में भी प्रश्नकाल संपन्न हो रहा था।

- संसद में प्रश्न पूछने से पूर्व, सदस्य को अध्यक्ष/सभापति को **निर्धारित रीति के भीतर 15 दिन का नोटिस** देना होता है। इस अवधि को अध्यक्ष/सभापति के विवेक पर कम किया जा सकता है।
- प्रश्न के संबंध में स्वीकार्य सीमा **लोक सभा में प्रति सदस्य प्रतिदिन केवल पांच** और **राज्य सभा में प्रतिदिन सात** है।

2.2. संसदीय स्थायी समितियां (Parliamentary Standing Committees)

सुर्ख़ियों में क्यों?

महामारी के कारण, संसदीय स्थायी समितियों (Parliamentary Standing Committees: PSCs) के कार्यकाल की अधिकांश अवधि व्यर्थ चली गई।

अन्य संबंधित तथ्य

- राज्य सभा के सभापति ने सदन की समितियों (पैनलों) के लिए 2 वर्ष के निश्चित कार्यकाल की आवश्यकता को रेखांकित किया है।
  - इस प्रकार, अग्रलिखित दो विकल्पों पर ध्यान दिया जा रहा है। इसमें से **पहला विकल्प यह कि समितियों (पैनलों) की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी जाए** और **दूसरा विकल्प यह है कि दो वर्ष के निश्चित कार्यकाल के साथ नई समितियों का गठन किया जाए।**
  - ज्ञातव्य है कि वर्तमान में संसदीय स्थायी समितियों (PSCs) का कार्यकाल **एक वर्ष** है अर्थात् इन्हें एक वर्ष के लिए गठित किया जाता है।

स्थायी समितियां

स्थायी समितियों द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति के आधार पर, उन्हें निम्नलिखित छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- वित्तीय समितियां;
- विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां;
- जांच-पड़ताल करने वाली समितियां;
- संवीक्षा करने वाली और नियंत्रण रखने वाली समितियां;
- सभा के दैनिक कार्य से संबंधित समितियां; और
- सभा के प्रबंध संबंधी समितियां या सेवा समितियां।

संसदीय समितियों के बारे में

- संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं:
  - **स्थायी समितियां (Standing Committees):** ये समितियां **प्रकृति में स्थायी** होती हैं, प्रतिवर्ष गठित की जाती हैं एवं इनका कार्य अनवरत प्रकृति का होता है।
  - **तदर्थ समितियां (Ad Hoc Committees):** ये समितियां **प्रकृति में अस्थायी** होती हैं; तथा उन्हें सौंपे गए कार्य के पूर्ण हो जाने पर इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
- इन समितियों की संरचना, कार्यकाल आदि के बारे में कोई विशेष प्रावधान किए बिना भारत का संविधान, विभिन्न स्थानों पर इन समितियों का उल्लेख करता है। ऐसे में इन समितियों से संबंधित मामलों का निराकरण दोनों सदनों द्वारा निर्धारित नियमों के माध्यम से किया जाता है।
- **संसदीय स्थायी समितियों के प्रमुख उद्देश्य हैं:**
  - गहन संवीक्षा और सरकारी जवाबदेही को सुनिश्चित करना तथा गैर-पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करना;
  - कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए विपक्ष को सक्रिय भूमिका निभाने में सहायता करना;
  - प्रासंगिक हितधारकों के साथ संलग्नता;
  - वित्तीय विवेक सुनिश्चित करना आदि।
- **संसदीय स्थायी समितियां** अग्रलिखित दो प्रमुख अनुच्छेदों से अपनी शक्तियां ग्रहण करती हैं: **(i) अनुच्छेद 105** (संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि) तथा **(ii) अनुच्छेद 118** (अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बनाने की संसद की शक्ति)।
- ज्ञातव्य है कि इन समितियों की अनुशंसाएं संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं।

2.3. लाभ का पद (Office of Profit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एक संसदीय समिति (पैनल) ने लाभ के पद की परिभाषा पर अस्पष्टता के निवारणार्थ दीर्घकाल से लंबित संविधान संशोधन की मांग पर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी है।

लाभ के पद के बारे में

- ज्ञातव्य है कि लाभ के पद को संविधान या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of People Act: RPA), 1951 के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु विभिन्न न्यायालयों ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है, कि यह कुछ कर्तव्यों के साथ एक ऐसा पद है, जो न्यूनाधिक सार्वजनिक चरित्र का ही है।
    - सार यह है कि विधान-निर्माताओं (सांसदों और विधायकों) को तत्कालीन सरकार पर भारित किसी भी दायित्व के बिना, स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सक्षम होना चाहिए।
- **इस संबंध में न्यायालय द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देश या निर्णय:**
    - **प्रद्युत बोरदोलोई बनाम स्वपन रॉय वाद (2001)** में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए **चार व्यापक सिद्धांतों** को रेखांकित किया, कि क्या कोई पद लाभ का पद है या नहीं और उस पर संवैधानिक निरर्हता लागू होगी या नहीं। इसके लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित **चार व्यापक सिद्धांत** निम्नलिखित हैं:
        - क्या पदों पर नियुक्ति, पदस्थ व्यक्ति को हटाने और कार्य-निष्पादन पर सरकार का नियंत्रण है?
        - क्या उस पद के लिए सरकार किसी पारिश्रमिक का भुगतान कर रही है?
        - क्या पद जिस निकाय के अंतर्गत है, उसमें सरकार की शक्तियाँ निहित हैं (जैसे- धन जारी करना, भूमि का आवंटन, लाइसेंस देना आदि)?
        - क्या निकाय, जिसमें पद धारण किया गया है, संरक्षण के माध्यम से प्रभाव डालता है या शक्तियों का प्रयोग करता है?
    - उच्चतम न्यायालय ने **वर्ष 2006 में राज्य सभा से जया बच्चन की निरर्हता को बरकरार रखते हुए** लाभ के पद को अग्रलिखित प्रकार से परिभाषित किया- "ऐसा पद जो किसी लाभ को प्राप्त करने अथवा मौद्रिक लाभ प्रदान करने में सक्षम हो।" इस प्रकार लाभ के पद वाले मामले में लाभ का वास्तव में प्राप्त होना नहीं, अपितु लाभ "प्राप्ति की संभावना" एक निर्णायक कारक है।
    - **संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 102 (1)** और **अनुच्छेद 191 (1)** के तहत, एक सांसद या विधायक को केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई भी पद ग्रहण करने से प्रतिबंधित किया गया है। **RPA, 1951** के तहत, लाभ का पद धारण करना निरर्हता का आधार है।
    - लाभ का पद संबंधी कानून संविधान की एक मूल विशेषता अर्थात् **विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत** को कार्यान्वित करना चाहता है।
- **विधिक प्रावधान:** संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 में ऐसे कई पदों को सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें निरर्हता (अयोग्यता) से मुक्त रखा गया है।

2.4. राज्य सभा निर्वाचन (Rajya Sabha Elections)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 8 राज्यों में राज्य सभा की 19 सीटों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई।

© Vision IAS

राज्य सभा-निर्वाचन

ब्यौरा	प्रावधान	
क्यों	स्थायी निकाय, किंतु एक तिहाई (1/3) सदस्य प्रत्येक दो वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं।	
कैसे	कौन निर्वाचित करता है	• राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य।
	विधि	• आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा।
संवैधानिक आधार	चौथी अनुसूची	• जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन।
	अनुच्छेद 80	• कुल सदस्य संख्या- 250, जिसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाते हैं। • कार्यकाल- 6 वर्ष। • यदि किसी सीट के लिए उपचुनाव होता है, तो निर्वाचित सदस्य, उस सीट के शेष बचे कार्यकाल के लिए राज्य सभा का सदस्य बना रहेगा।
	अनुच्छेद 84	• सदस्यता हेतु अर्हताएं: ○ भारत का नागरिक; ○ न्यूनतम आयु 30 वर्ष; ○ संसद द्वारा निर्धारित अन्य अर्हताएं।

VISION IAS

2.5. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियाँ (Other Important News)

अनुच्छेद 164(1A) {Article 164(1A)}	• इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि **किसी राज्य की मंत्रि-परिषद् में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।** ○ इस प्रावधान को संविधान में **91वें संविधान संशोधन अधिनियम** के माध्यम से जोड़ा गया था। • यह तर्क दिया जा रहा है कि **मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद की वर्तमान संख्या अनुच्छेद 164(1A) द्वारा निर्धारित पंद्रह प्रतिशत की सीमा से अधिक है। अतः यह अनुच्छेद 164(1A) के उल्लंघन के समान है।**

विशेषाधिकार हनन (Breach of Privilege)	• हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने अर्नब गोस्वामी को **विशेषाधिकार हनन के मामले में राहत** प्रदान की है। ज्ञातव्य है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया गया था। • सांसदों / संसद (अनुच्छेद 105 के तहत) या विधायकों / राज्य विधान-मंडलों के दोनों सदनों (अनुच्छेद 194 के अंतर्गत) को प्रदत्त विशेष अधिकारों के अतिक्रमण को विशेषाधिकार हनन के रूप में संदर्भित किया जाता है। • ऐसा कोई भी कृत्य जो **राज्य विधान-मंडल के किसी भी सदन की कार्यप्रणाली में बाधा या अवरोध उत्पन्न करता हो,** उसे विशेषाधिकार हनन माना जाता है। • चूंकि इस संबंध में संसद द्वारा अधिनियमित कोई कानून मौजूद नहीं है, इसलिए विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामले ब्रिटिश संसदीय परंपराओं द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि {Member of Parliament Local Area Development (MPLAD) fund}	• संसद सदस्यों ने सरकार से वर्ष **2018 और वर्ष 2019 में स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधि जारी करने का आग्रह** किया है। ज्ञातव्य है कि इन परियोजनाओं को कोविड-19 महामारी के कारण निलंबित कर दिया गया था। • MPLAD योजना **केंद्र सरकार की एक योजना** है। इसके अंतर्गत **प्रत्येक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में जिला कलेक्टर को स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये** के विकास कार्यों को आरंभ करने के लिए अनुशंसा कर सकते हैं। • सांसदों को प्रति वर्ष **अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए MPLADS में से न्यूनतम 15%** और **अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए 7.5%** लागत वाले कार्यों की अनुशंसा करना अनिवार्य है।
महान्यायवादी के कार्यकाल में एक वर्ष के लिए विस्तार {Attorney General (AG) tenure extended for one year}	• राष्ट्रपति ने **के. के. वेणुगोपाल** को महान्यायवादी के रूप में एक वर्ष के लिए पुनर्नियुक्त किया है। • **भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है।** वह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ○ उसमें **उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की अर्हता** होनी चाहिए। ○ महान्यायवादी के पद का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। ○ वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बने रह सकता है। • उसे **संसद के दोनों सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार** है, परन्तु मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है।

3. केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relations)

3.1. छठी अनुसूची (Sixth Schedule)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अरुणाचल प्रदेश विधान सभा ने संपूर्ण राज्य को संविधान की छठी अनुसूची में सम्मिलित किये जाने हेतु सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया है।

पृष्ठभूमि

- इससे पहले, राज्य सरकार ने **मांग की थी कि संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 371(H) को निरस्त किया जाए तथा अरुणाचल प्रदेश** को नागालैंड और मिज़ोरम की तर्ज पर **अनुच्छेद 371(A) और अनुच्छेद 371 (G) के अंतर्गत शामिल किया जाए।**
    - अनुच्छेद 371(A) और 371(G) क्रमश: नागालैंड और मिजोरम राज्य के जनजातीय लोगों की धार्मिक तथा समाजिक प्रथाओं, रुढ़िजन्य विधियों और भूमि के स्वामित्व एवं हस्तांतरण के अधिकारों के संबंध में विशेष सुरक्षा प्रदान करता है।
    - अनुच्छेद 371(H) के अंतर्गत, राज्य के राज्यपाल को कानून-व्यवस्था के संबंध में और इस संबंध में उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए विशेष उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है।
- हालांकि, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में **वर्ष 1873 का बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (BEFR) एक्ट लागू** है। यह भारत के सभी नागरिकों को बिना वैध **इनर लाइन परमिट** के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करता है।

अनुच्छेद 371

संविधान के **अनुच्छेद 371 से 371-J** के अंतर्गत **11 राज्यों के लिए विशेष उपबंध** हैं। इनका उद्देश्य इन राज्यों की आकांक्षाओं को पूरा करना, राज्यों की जनजातियों और स्थानीय लोगों के सांस्कृतिक एवं आर्थिक हितों की सुरक्षा करना या इन राज्यों के किसी हिस्से में कानून-व्यवस्था के अव्यवस्थित होने पर उसे प्रबंधित करना है।

इनर लाइन परमिट (ILP)

- इनर लाइन परमिट एक दस्तावेज है जो **किसी भारतीय नागरिक को ILP व्यवस्था के अंतर्गत संरक्षित किसी राज्य में यात्रा करने या रहने की अनुमति प्रदान करता है।**
- यह ब्रिटिश कालीन विनियमन है, जिसे **बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, 1873** के अंतर्गत ब्रिटिश क्राउन के व्यावसायिक हितों के पूर्ति हेतु निर्मित किया गया था।
- **अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम** ILP व्यवस्था द्वारा संरक्षित राज्य हैं, बाद में **मणिपुर** को भी इसमें सम्मिलित किया गया।

विदेशियों के लिए परमिट

- **भूटान के नागरिकों को छोड़कर प्रत्येक विदेशी** जो संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने या रहने का इच्छुक है, उसे सक्षम प्राधिकारी से एक **विशेष परमिट प्राप्त करना आवश्यक होता है जिसे संरक्षित क्षेत्र परमिट/प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट कहते हैं।**

छठी अनुसूची के बारे में

- संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम की जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के प्रावधानों के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन चलाने का अधिकार प्रदान करती है।
    - **अनुच्छेद 244** 'अनुसूचित क्षेत्रों' और 'जनजातीय क्षेत्रों' के रूप में निर्दिष्ट **कुछ क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध करता है।**
    - **अनुच्छेद 275** भारत की संचित निधि पर भारित **विधिक अनुदानों के लिए प्रावधान करता है।** ऐसे अनुदानों में विशिष्ट अनुदान भी सम्मिलित हैं जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने या किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को उन्नत करने के लिए होते हैं।

स्वायत्तशासी जिलों के रूप में पूर्वोत्तर भारत के पंजीकृत क्षेत्र:

- **असम:** बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद्, कार्बी आंगलांग स्वशासी जिला परिषद् और दीमा हसाओ स्वशासी जिला परिषद्।
- **मेघालय:** गारो हिल्स स्वशासी जिला परिषद्, जयंतिया हिल्स स्वशासी जिला परिषद् और खासी हिल्स स्वशासी जिला परिषद्।
- **त्रिपुरा:** त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद्।
- **मिजोरम:** चकमा स्वशासी जिला परिषद्, लाई स्वशासी जिला परिषद् और मारा स्वशासी जिला परिषद्।

अन्य संबंधित तथ्य

- अरुणाचल प्रदेश को छठी अनुसूची में सम्मिलित किए जाने के लिए **संवैधानिक संशोधन (अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर) की आवश्यकता होगी।**
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338A) द्वारा **केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत 'जनजाति क्षेत्र'** घोषित करने की अनुशंसा की गयी है।
- **नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act: CAA)** में भी छठी अनुसूची तथा ILP के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को **छूट प्रदान की गयी है।**

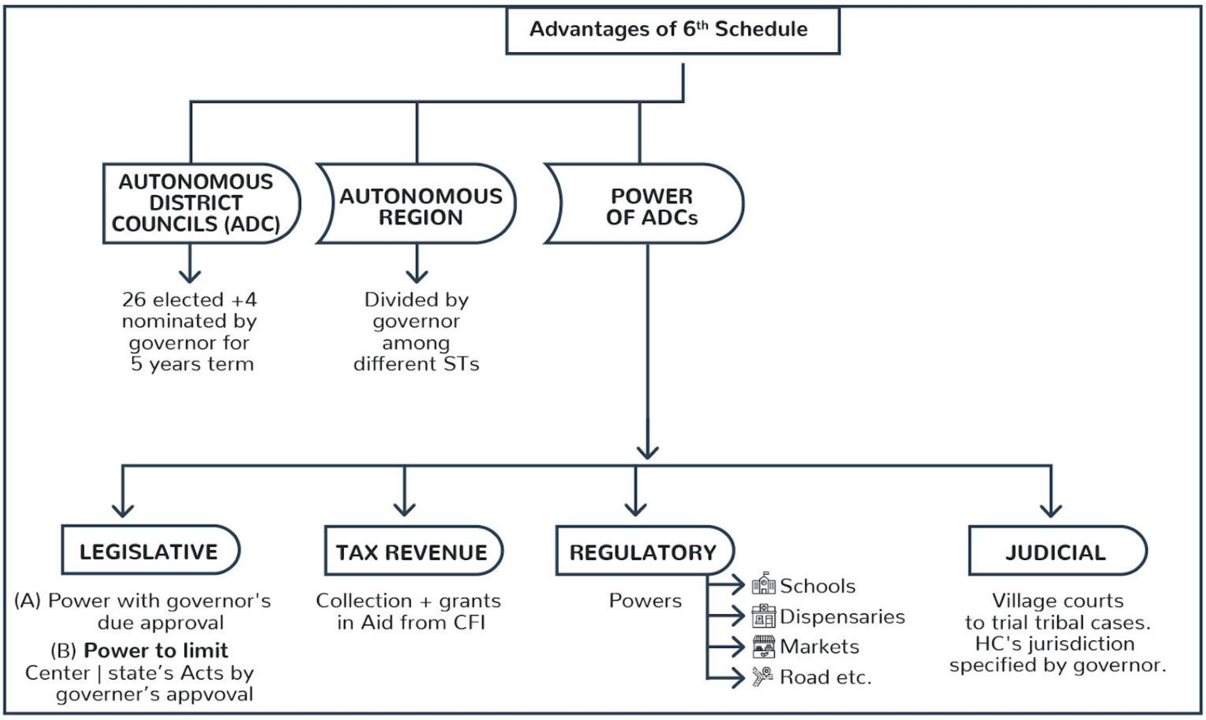

पांचवी और छठी अनुसूची की तुलना		
आधार	**पांचवी अनुसूची**	**छठी अनुसूची**
अनुप्रयोज्यता अर्थात् कहाँ लागू है?	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छतीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान।	असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम।
परिषद् सृजन	राज्य विधान-मण्डल के अधिनियम द्वारा सृजित।	संविधान में स्वशासी जिला परिषद् (ADC) का प्रावधान किया गया है।
स्वायत्तता	पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 • पांचवी अनुसूची क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभा के माध्यम से स्व-शासन।	• पांचवी अनुसूची की तुलना में अधिक स्वायत्तता। • पांचवी अनुसूची के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद् को केवल सलाहकारी शक्तियां प्राप्त हैं। • ADC को तुलनात्मक रूप से अत्यधिक शक्तियां प्राप्त हैं।

3.2. केंद्र एवं राज्य सरकार की उधार लेने की शक्ति (Borrowing Powers of the Centre and State Government)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 में राज्यों की उधार सीमा को **सकल राज्य घरेलू उत्पाद (Gross State Domestic Product: GSDP)** के 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया है।

केंद्र और राज्य सरकार की उधार लेने की शक्तियों की तुलना

केंद्र एवं राज्य सरकार की उधार लेने की शक्ति		
आधार	**केंद्र**	**राज्य**
संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)	• अनुच्छेद 292 के तहत केंद्र सरकार के पास संसद द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन उधार लेने की अप्रतिबंधित शक्ति है।	• अनुच्छेद 293 के तहत, राज्य विधान-मंडल को विधि द्वारा इसे समय-समय पर नियत करने की शक्ति है।
राज्यक्षेत्रीय / प्रादेशिक प्रतिबंध (Territorial Restrictions)	• कोई प्रतिबंध नहीं। • केंद्र सरकार घरेलू स्रोतों से या विदेशों से उधार ले सकती है।	• राज्य सरकारें केवल घरेलू स्रोतों से उधार ले सकती हैं।
अन्य प्रतिबंध	• लागू नहीं।	• राज्य सरकारें राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति (Security) पर ऋण ले सकती हैं। • यदि केंद्र से पूर्व में लिए गए ऋण की कोई भी बकाया राशि हो तो अन्य ऋण प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

अन्य संबंधित तथ्य

संचित या समेकित ऋण शोधन निधि (Consolidated Sinking Fund: CSF)

- हाल ही में, लॉकडाउन के कारण राजस्व स्रोतों के शिथिल पड़ जाने के कारण राज्यों ने मांग की है कि केंद्र, CSF में जमाराशि का उपयोग करने से संबंधित मानदंडों में छूट प्रदान करे।
- राज्यों को उनके बाजार ऋणों से मुक्ति (मोचन) के लिए RBI ने वर्ष 1999-2000 में समेकित ऋण शोधन निधि (CSF) का गठन किया था।
- CSF एक आरक्षित निधि है। इसे राज्यों द्वारा उनके ऋण दायित्वों के परिशोधन (ऋणमुक्ति) के लिए सृजित किया गया है।
- राज्य सरकारें अपनी देनदारियों के भुगतान के लिए CSF को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बफ़र के रूप में बनाए रखती हैं।
- CSF योजना के तहत, राज्य सरकार अपनी भविष्य की देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए बफर सृजित करने हेतु CSF में अपनी वार्षिक बकाया देनदारियों के 1-3% का योगदान कर सकती है।
- प्रारंभ में, 11 राज्यों ने ऋण शोधन निधियों को सृजित किया था। बाद में, 12वें वित्त आयोग (वर्ष 2005-10) ने अनुशंसित किया कि सभी राज्यों के पास सभी ऋणों के परिशोधन हेतु ऋण शोधन निधि होनी चाहिए। ऐसे ऋणों में बैंकों से प्राप्त ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि (National Small Saving Fund: NSSF) से संबंधित देयताएं आदि शामिल हैं।
- यह निधि राज्यों की संचित निधि से बाहर लोक लेखा (Public Account) में प्रबंधित की जाती है और इसका उपयोग ऋणों के मोचन को छोड़कर किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, यह बेहतर राजकोषीय प्रशासन को सुनिश्चित करता है।

VISION IAS

3.3. अनुच्छेद 370 (Article 370)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पिछले वर्ष अगस्त माह में **अनुच्छेद 370** और **35A** के उत्सादन तथा **जम्मू और कश्मीर के प्रशासनिक पुनर्गठन** का एक वर्ष पूर्ण हुआ।

अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A

- अनुच्छेद 370 में **"जम्मू और कश्मीर"** राज्य के संबंध में **"अस्थायी प्रावधान"** किए गए थे। यह अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए स्वयं के **"पृथक संविधान"** द्वारा शासित होने (रक्षा, वित्त, विदेश मामले और संचार को छोड़कर) की विशेष शक्ति प्रदान करता था।
- अनुच्छेद 370 के अनुसार, रक्षा, विदेश मामले, वित्त और संचार को छोड़कर अन्य सभी विधियों को लागू करने के लिए **संसद को राज्य सरकार की सहमति आवश्यक होती थी।**
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से व्युत्पन्न **अनुच्छेद 35A** ने जम्मू और कश्मीर विधान-मंडल को राज्य के **स्थायी निवासियों,** उनके विशिष्ट अधिकारों और विशेषाधिकारों को परिभाषित करने की शक्तियां प्रदान की थी।

पृष्ठभूमि

- **वर्ष 1948** में भारत सरकार ने पाकिस्तान के आक्रमण के विरूद्ध कश्मीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कश्मीर के शासक के साथ विलय संधि पर हस्ताक्षर किए थे। विलय संधि पर हस्ताक्षर करने के उपरांत संविधान के **भाग XXI** में **अनुच्छेद 370** अंतर्विष्ट किया गया था। इस अनुच्छेद को **"अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान"** घोषित किया गया था, जो जम्मू-कश्मीर **(J&K)** को विशेष दर्जा देने का प्रावधान करता था।
- इस अनुच्छेद के अनुसार, केंद्र को **रक्षा, विदेश मामलों, वित्त और संचार** को छोड़कर अन्य कानून लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती थी।
- साथ ही, राज्य के निवासी अन्य भारतीय नागरिकों की तुलना में **नागरिकता, संपत्ति के स्वामित्व, पृथक दंड संहिता और मूल अधिकारों से संबंधित क़ानूनों** के एक पृथक समूह के अधीन शासित होते थे।
- अगस्त 2019 में, भारत के राष्ट्रपति द्वारा **संविधान (जम्मू-कश्मीर में लागू) आदेश, 2019** प्रख्यापित किया गया, जिसमें यह उपबंध किया गया था कि भारतीय संविधान के प्रावधान जम्मू-कश्मीर में लागू होंगे।
- इसका प्रभावी अर्थ यह था कि जम्मू-कश्मीर के लिए पृथक संविधान का आधार निर्मित करने वाले सभी प्रावधान समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही, अनुच्छेद 35A स्वत: ही समाप्त हो गया।
- साथ ही, संसद द्वारा **जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन**

इस कदम के निहितार्थ

- जम्मू और कश्मीर में अब भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया है।
- जम्मू और कश्मीर का अब कोई पृथक ध्वज नहीं होगा।
- जम्मू और कश्मीर विधान सभा का कार्यकाल पूर्ववर्ती छः वर्षों की बजाय अब पांच वर्षों का होगा।
- रणबीर दंड संहिता (जम्मू-कश्मीर की पृथक दंड संहिता), भारतीय दंड संहिता द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगी।
- अनुच्छेद 356, जिसके अंतर्गत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, अब जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र पर भी लागू होगा।
- स्कूल-कॉलेज में प्रवेश और राज्य सरकार की नौकरियों में केंद्रीय कोटा कानून (आरक्षण संबंधी कानून) लागू होंगे।
- अन्य राज्यों के लोग अब जम्मू और कश्मीर में भी संपत्ति व निवास संबंधी अधिकार प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं।
- यहाँ अब सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होगा।
- जम्मू और कश्मीर संविधान के कुछ प्रावधान, जिसके तहत राज्य के बाहर किसी व्यक्ति से विवाह करने वाली स्थानीय महिलाओं को राज्य (जम्मू और कश्मीर) में संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया जाता था, अब अमान्य हो सकते हैं।

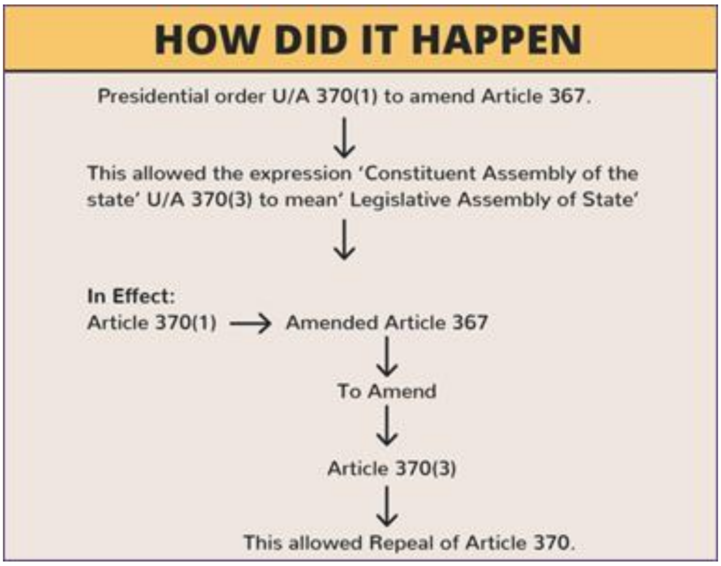

© Vision IAS

अधिनियम, 2019 पारित किया गया, जिसके माध्यम से जम्मू-कश्मीर को दो संघ राज्यक्षेत्रों (UTs) में पुनर्गठित किया गया, यथा-

- विधान सभा के साथ **जम्मू-कश्मीर** संघ राज्यक्षेत्र; तथा
- विधान सभा रहित **लद्दाख** संघ राज्यक्षेत्र।

संबंधित घटनाक्रम

जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम (Jammu and Kashmir Panchayat Raj Act: J&KPRA), 1989

- गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में नई शासन इकाई के रूप में **जिला विकास परिषदों (District Development Councils: DDCs)** की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और **73वें संशोधन के प्रावधानों को शामिल करने** हेतु **J&KPRA** में संशोधन किया है।
- **नवीन संरचना अर्थात् जिला विकास परिषदों के बारे में:**
  - ये परिषदें (अर्थात् DDCs) **जिला योजना और विकास बोर्डों (District Planning and Development Boards: DDBs)** को प्रतिस्थापित करेंगी। ज्ञातव्य है कि इन बोर्डों की **अध्यक्षता एक कैबिनेट मंत्री** द्वारा की जाती थी तथा सांसद और विधायक एवं विधान पार्षद इसके सदस्यों के रूप में कार्य करते थे तथा **जिला उपायुक्त इसका सदस्य सचिव** होता था।
  - अब, नए ढांचे में एक **DDC** और एक **जिला योजना समिति (District Planning Committee: DPC)** शामिल होंगी।
  - DDCs में **प्रत्येक जिले से निर्वाचित प्रतिनिधि** शामिल होंगे और निर्वाचित प्रतिनिधियों में से नियुक्त एक अध्यक्ष द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। **DDCs का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।**
  - DDCs के अधिकार क्षेत्र के तहत नगरपालिका या नगर निगम के रूप में नामित क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण जिला शामिल होगा।
- **DDC के कार्य:**
  - DDCs **जिला योजनाओं और पूंजीगत व्यय को तैयार एवं अनुमोदन प्रदान करेंगी।** अब प्रत्येक DDCs के तहत पाँच स्थायी समितियाँ गठित की जाएंगी। ये समितियां वित्त, विकास, लोक निर्माण कार्य, स्वास्थ्य और शिक्षा एवं कल्याण से संबद्ध होंगी।
  - DDCs **हलका पंचायतों और प्रखंड विकास परिषदों के कार्यों का पर्यवेक्षण** करेंगी, जिन्हें वर्ष 1989 के उपर्युक्त अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था।
  - नियोजन प्रक्रिया को शामिल कर DDCs के कार्यों के दायरे को बढ़ाया गया है। नियोजन प्रकिया को **प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों को हस्तांतरित** किया गया है।
    - इससे पूर्व, DDBs ही योजना और विकास संबंधी कार्यों का कार्यान्वयन करते थे।

केंद्र द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के भूमि संबंधी क़ानूनों में संशोधन

- सरकार ने **जम्मू और कश्मीर विकास अधिनियम (Jammu and Kashmir Development Act)** की **धारा 17** में उल्लिखित **"राज्य के स्थायी निवासी" पद का लोप** कर दिया है, जो इस संघ शासित क्षेत्र में भूमि संबंधी मामलों के निपटान से संबंधित था।
  - अगस्त 2019 से पहले अर्थात् **अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को निरस्त किए जाने से पूर्व,** गैर-निवासी (जम्मू-कश्मीर में न रहने वाले) जम्मू-कश्मीर में किसी **अचल संपत्ति का क्रय** नहीं कर सकते थे।
- नए क़ानूनों के अंतर्गत, सरकार **स्वास्थ्य सेवा या शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए** किसी व्यक्ति या संस्था के पक्ष में भी भूमि हस्तांतरित कर सकती है।
  - हालांकि, ये संशोधन गैर-कृषकों को **कृषि भूमि के हस्तांतरण की अनुमति नहीं** देते हैं।

लोक सभा द्वारा "जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020" पारित किया गया

- इस विधेयक में **कश्मीरी, डोगरी** तथा **हिंदी** को नवनिर्मित जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की **राजभाषाओं का दर्जा** प्रदान करने का उपबंध किया गया है।
  - इससे पूर्व राज्य में केवल **अंग्रेजी और उर्दू** ही राजभाषाएं थी।
- संविधान का **भाग XVII (अनुच्छेद 343 से 351) राजभाषा से संबंधित** है। **अनुच्छेद 343** में यह प्रावधान किया गया है कि **संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।**

3.4. अंतरराज्य परिषद् (Inter-State Council)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अंतरराज्य परिषद् (ISC) का पुनर्गठन किया गया है।

गठन	• सरकारिया आयोग द्वारा अनुशंसित। • वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा गठित। • अनुच्छेद 263 इसे संवैधानिक आधार प्रदान करता है।	**संरचना**	अध्यक्ष-प्रधान मंत्री ↓ सभी राज्यों और विधान सभाओं वाले संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्री; / विधान सभा रहित संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक; और • केन्द्रीय गृह मंत्री सहित प्रधान मंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट 6 केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री। परिषद की स्थायी समिति: ↓ अध्यक्ष: केन्द्रीय गृह मंत्री ↓ सदस्य: 5 कैबिनेट मंत्री / 9 मुख्यमंत्री
विशेषताएं	• केंद्र-राज्य और राज्यों के मध्य विवादों के निपटान के लिए सलाहकारी निकाय। • यह विवादों की स्थिति में आपसी समन्वय को प्रोत्साहन देता है। • यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं है।		
वर्ष 1990 के आदेश में संशोधन	• यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, तो परिषद् की बैठकों में संबंधित राज्य का राज्यपाल सम्मिलित हो सकता है। • अध्यक्ष द्वारा अन्य केन्द्रीय मंत्रियों में से स्थायी आमंत्रितों को नामनिर्देशित करना।		

अन्य संबंधित तथ्य

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद

- यह विवाद कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा पर विस्तृत 7,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर नियंत्रण से संबंधित है। वर्तमान में यह क्षेत्र कर्नाटक के बेलागवी, उत्तर कन्नड़, बीदर और गुलबर्गा आदि जिलों में विस्तारित है।

राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए उपलब्ध तंत्र

- अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों का निर्माण करने और **वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार** देता है।

 © Vision IAS

* अनुच्छेद 131 केंद्र-राज्य/अंतर-राज्य विवादों से निपटने के लिए उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता को रेखांकित करता है।
  * वर्ष 2004 में, महाराष्ट्र सरकार इस विवाद को उच्चतम न्यायालय के समक्ष लेकर गई थी।
    * **अनुच्छेद 263** राष्ट्रपति को अंतरराज्य परिषद् के गठन का अधिकार प्रदत्त करता है, जो राज्यों के मध्य विवादों के समाधान के बारे में परामर्श दे सकता है।

3.5. आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme: ADP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, "इंस्टिट्यूट फॉर कॉम्पेटिटिवनेस" और "सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव" द्वारा संयुक्त रूप से आकांक्षी जिला कार्यक्रम की एक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की गई।

अन्य संबंधित तथ्य

* **इंस्टिट्यूट फॉर कॉम्पेटिटिवनेस** भारत में केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। यह प्रतिस्पर्धा एवं रणनीति संबंधी अनुसंधान और ज्ञान के निकाय के संवर्धन के प्रति समर्पित है। यह हाल ही में जारी भारत नवाचार सूचकांक (India Innovation Index: III) 2019 में **नीति आयोग का नॉलेज पार्टनर (ज्ञान साझीदार)** भी था।
* **सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव** संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित एक गैर-लाभकारी संगठन है, जो **सामाजिक प्रगति सूचकांक (Social Progress Index: SPI)** प्रकाशित करता है। यह सूचकांक देशों द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के लिए किए गए प्रयासों का मापन

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) के बारे में

* ADP को भारत सरकार द्वारा देश के **सबसे अविकसित जिलों के सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में तेजी से सुधार लाने के लिए जनवरी 2018 में प्रारंभ किया गया था।**
* वर्तमान में, इस कार्यक्रम को भारत के **739 जिलों** में से **112 जिलों** में लागू किया गया है। इन आकांक्षी जिलों में संपूर्ण देश के 35 वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism: LWE) से प्रभावित जिले भी शामिल हैं।
* यह कार्यक्रम **निम्नलिखित विचारों से प्रेरित है,** जो नीति और शासन को अपनाने हेतु सरकार की मंशा को प्रकट करते हैं:
  * सफलता से और आगे आर्थिक उपाय करना;
  * समान क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना; तथा
  * सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के माध्यम से परिवर्तन का संचालन करना।
* यह कार्यक्रम जीवन की गुणवत्ता और साथ ही साथ नागरिकों की आर्थिक उत्पादकता को भी प्रत्यक्षत: प्रभावित करने वाले **पांच मुख्य विषयों में व्यावहारिक एवं मापन योग्य सामाजिक प्रगति के परिणामों पर केंद्रित है।** इन पांच मुख्य विषयों में सम्मिलित हैं-
  * **स्वास्थ्य और पोषण(30%),**
  * **शिक्षा (30%),**
  * **कृषि एवं जल संसाधन (20%),**
  * **वित्तीय समावेशन (5%),**
  * **कौशल विकास (5%), और**
  * **मूलभूत अवसंरचना। (10%)**
* उपर्युक्त विषयों को पुन: **49 संकेतकों** में विभाजित किया गया है।
* **यह कार्यक्रम तीन प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है,** जो **3C दृष्टिकोण** से परिलक्षित होते हैं:
  * यथा- केंद्र एवं राज्य योजनाओं का **अभिसरण (Convergence);**
  * केंद्र, राज्यों, जिलों व नागरिकों के मध्य **सहयोग (Collaboration);**
  * तथा जिलों के मध्य **प्रतिस्पर्धा (Competition)।**

VISION

- **इस कार्यक्रम की मूल संरचना:**
    - **केंद्रीय स्तर पर, नीति आयोग (NITI Aayog)** द्वारा इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है और प्रत्येक संबंधित मंत्रालय ने जिलों की प्रगति के संवर्धन हेतु उत्तरदायित्व स्वीकार किया है।
    - **राज्य सरकारें परिवर्तन की मुख्य संचालक हैं।** प्रत्येक राज्य ने कार्यक्रम के क्रियान्वन के साथ-साथ इसकी प्रगति की निगरानी करने के लिए अपने मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया है।
    - **प्रत्येक जिले के लिए,** अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव रैंक के **एक केंद्रीय प्रभारी अधिकारी** को नियुक्त किया गया है, जो अपने स्थानीय स्तर के निष्कर्षों के आधार पर प्रतिक्रिया और अनुशंसाएं प्रदान करेगा।
- **इस कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा डेल्टा रैंकिंग जारी की जाती है।** इसके अंतर्गत चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड (एक ऑनलाइन डैशबोर्ड) के माध्यम से पांच मुख्य क्षेत्रों (विषयों) में संपादित किए मासिक सुधारों के आधार पर जिलों को रैंक प्रदान की जाती है।

4. न्यायपालिका (Judiciary)

4.1. न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को लक्षित करते हुए सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी के संदर्भ में, अधिवक्ता सह सक्रियतावादी प्रशांत भूषण को न्यायालय के अवमान का दोषी माना है।

मुलगांवकर सिद्धांत (Mulgaonkar principles)

- उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध आलोचना वाले मामले में प्रशांत भूषण के अधिवक्ता ने **'मूलगांवकर सिद्धांतों'** के आधार पर न्यायालय से संयम बरतने का आग्रह किया।
- **एस. मुलगांवकर बनाम अज्ञात वाद (1978)** एक ऐसा मामला है जिसके कारण अवमानना के विषय पर एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया गया था।
- 2:1 बहुमत से, न्यायालय ने मुलगांवकर (इंडियन एक्सप्रेस के तत्कालीन संपादक) को अवमानना का दोषी नहीं ठहराया, जबकि उसी पीठ ने यह कार्यवाही शुरू की थी। अवमानना संबंधी अधिकारिता का पालन करने में सावधानी बरतने के इस परामर्श को मुलगांवकर सिद्धांत कहा जाता है।

न्यायालय की अवमान क्या है?

- अवमान (Contempt) का तात्पर्य किसी **न्यायालय की गरिमा या प्राधिकार के प्रति अनादर प्रकट करना** है।
- इस प्रावधान का **औचित्य** यह है कि न्यायालय को ऐसे सुनियोजित हमलों से संरक्षण प्रदान करना है जो उसके प्राधिकार को कम करते हैं, उसकी सार्वजनिक छवि को कलंकित करते हैं तथा जिनसे न्यायालय की निष्पक्षता में जनता के विश्वास का लोप हो सकता है।
    - साथ ही, **अनुच्छेद 261** में निर्दिष्ट किया गया है कि भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र, संघ और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी।

यह क्या है?	यह न्यायालय की गरिमा या प्राधिकार का अनादर करने के अपराध को संदर्भित करता है।	
संवैधानिक प्रावधान	**अनुच्छेद 261**	• न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी।
	अनुच्छेद 19 (2)	• युक्तियुक्त प्रतिबंध।
	अनुच्छेद 129 और 215	• न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्ति।
	अनुच्छेद 142 (2)	• अवमानना के लिए दंडित करने या किसी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति।

विधिक प्रावधान	• न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971	• यह अधिनियम न्यायालय की अवमानना को परिभाषित करता है क्योंकि संविधान इसे परिभाषित नहीं करता है। • न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश या आदेशिका की जानबूझकर अवज्ञा को सिविल अवमानन की संज्ञा दी गयी है। • दांडिक अवमानना की स्थितियां: ○ न्यायालय को कलंकित करना। ○ न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करना या हस्तक्षेप की प्रवृत्ति दिखाना ▪ 6 माह का कारावास या 2,000 रुपये का जुर्माना। ▪ कथित अवमानना की समाप्ति के एक वर्ष बाद अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।
अपवाद	• न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग। • न्याय की योग्यता के संबंध में निष्पक्ष आलोचना। • केवल न्यायाधीश पर गलत तरीके से अपमानजनक टिप्पणी। • कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति नहीं होना। • वर्ष 2006 में संशोधन - यदि ऐसा **लोकहित** में किया गया है जो **सत्य** के रूप में प्रस्तुत है।	

4.2. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए तंत्र {Mechanisms to Investigate Charges Against a Supreme Court (SC) Judge}

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था, जिसमें **उच्चतम न्यायालय के एक पदासीन (sitting) न्यायाधीश के विरुद्ध कदाचार की शिकायत की गई थी।**
- विगत कुछ वर्षों में किसी न्यायाधीश के विरुद्ध **लैंगिक उत्पीड़न, दुर्व्यवहार या अक्षमता** के साथ-साथ **कदाचार** के मामलों की जाँच के लिए तीन प्रमुख तंत्र स्थापित किए गए हैं, यथा- **(i) न्यायालय की आंतरिक प्रक्रिया (In-house procedure) (वर्ष 1999), (ii) लैंगिक उत्पीड़न संबंधी दिशा-निर्देश** और **(iii) सिद्ध कदाचार या असमर्थता** के आधार पर पद से हटाए जाने की सिफारिश करना।

	पद से हटाए जाने के संबंध में कार्यवाही {संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अनुसार}	**न्यायालय की आंतरिक प्रक्रिया (In-house procedure)**	**उच्चतम न्यायालय लैंगिक उत्पीड़न विनियमन, 2013 (2013 SC Sexual Harassment Regulation)**
कौन शिकायत दर्ज करा सकता है?	किसी न्यायाधीश पर **सिद्ध कदाचार या असमर्थता** के आरोप में **लोक सभा के कम से कम 100 या राज्य सभा के कम से कम 50 सदस्यों** द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस के आधार पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।	कदाचार की शिकायत **किसी भी व्यक्ति द्वारा** दायर की जा सकती है।	**किसी महिला द्वारा** लैंगिक उत्पीड़न की लिखित शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।
व्यक्ति जिनके पास शिकायत दर्ज करानी होगी	संसद के संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी।	भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) या भारत के राष्ट्रपति।	लिंग संवेदीकरण और आंतरिक शिकायत समिति (Gender Sensitisation and Internal Complaints Committee: GSICC)

© Vision IAS

प्रारंभिक जांच	यदि नोटिस उचित प्रारूप में है, तो **पीठासीन अधिकारी शिकायत की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति** का गठन करेगा।	• **CJI यह निर्धारित करता है कि शिकायत आधारहीन है या गंभीर।** • यदि CJI को यह समाधान हो जाता है कि शिकायत में गंभीर कदाचार या अनुचित व्यवहार का मामला शामिल है, तो वह **संबंधित न्यायाधीश को प्रतिक्रिया हेतु निर्दिष्ट** कर सकता है। • प्रतिक्रिया और सहायक सामग्री के आधार पर, यदि CJI इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शिकायत की गहन जांच की आवश्यकता है, **तो वह एक जांच समिति का गठन करेगा।**	यदि GSICC इस संदर्भ में संतुष्ट हो जाती है कि शिकायत वास्तविक है, तो वह **शिकायत की जांच करने के लिए तीन सदस्यीय आंतरिक उप-समिति का गठन** करेगी।
जांच समिति की संरचना	समिति में **उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या एक न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश** और **एक पारंगत विधिवेत्ता** शामिल होंगे।	समिति में **तीन न्यायाधीश** शामिल होंगे, जिनमें **उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश** और **अन्य उच्च न्यायालयों के दो मुख्य न्यायाधीश** सम्मिलित होंगे।	समिति में GSICC के सदस्य या GSICC द्वारा नामित व्यक्ति शामिल होंगे, जिसमें एक महिला और एक बाह्य विशेषज्ञ व्यक्ति का बहुमत होगा।

4.3. ई-लोक अदालत (E-Lok Adalats)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- महामारी के कारण उत्पन्न विक्षोभपूर्ण अवधि में न्यायिक सेवा प्राधिकारियों ने वर्तमान स्थिति के साथ स्वयं को रचनात्मक रूप से अनुकूलित करते हुए **लोक अदालत को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया, जिसे ऑनलाइन लोक अदालत या ई-लोक अदालत कहा गया है।**

ई-लोक अदालत के बारे में

- **15 राज्यों में 27 ई-लोक अदालतों (E-Lok Adalats) का आयोजन किया गया, जिसकी मदद से जून से अक्टूबर माह तक 2.51 लाख मामलों का निपटान किया गया है।**
- लोक अदालत की स्थापना **वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र** (alternative dispute redressal mechanism) के रूप में की गई है। इसके तहत न्यायालयों में **लंबित विवादों/वादों या पूर्व मुकदमेबाजी चरण (pre-litigation stage) में फंसे मामलों को वादियों द्वारा बिना किसी व्यय के** सौहार्दपूर्ण रीति से निपटाया जाता है।
  - लोक अदालतों को **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987)** के तहत सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है।
  - इसमें सामान्यतः **अध्यक्ष के रूप में एक न्यायिक अधिकारी** तथा सदस्यों के रूप में एक अधिवक्ता और एक सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं।
  - ये पक्षों के मध्य दीर्घकाल से लंबित मुकदमों के निपटाने के माध्यम से **न्यायालय पर इन मुकदमों के बोझ को कम करने में** महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
  - लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय को **दीवानी न्यायालय के निर्णय** के रूप में स्वीकार किया जाता है तथा इनके आदेश सभी पक्षों के लिए **अंतिम और बाध्यकारी** होते हैं।

- **छत्तीसगढ़,** राज्य-स्तरीय 'ई-लोक अदालतों' का आयोजन करने वाला **देश का प्रथम राज्य** बन गया है।

वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution: ADR) तंत्र

- ADR विवाद समाधान का एक तंत्र है, जो **गैर-विरोधात्मक (non adversarial)** है, अर्थात् इसमें सभी के लिए सर्वोत्तम समाधान तक पहुंचने हेतु सहकारी रूप से एक साथ कार्य किया जाता है।
- ADR, इसमें शामिल पक्षकारों को एक पूर्ण विकसित और संतोषजनक अनुभव प्रदान करते हुए **अदालतों पर मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने में सहायक** हो सकता है।
- **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (Legal Services Authorities Act)** को वर्ष 1987 में अदालत के बाहर (out-of-court) समझौतों को प्रोत्साहित करने के लिए पारित किया गया था तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से निपटने के लिए वर्ष 1996 में नया **माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम (Arbitration and Conciliation Act)** अधिनियमित किया गया था।
- भारत में, ADR की स्थापना भारत के संविधान के तहत **अनुच्छेद 14** (विधि के समक्ष समता का अधिकार) और **अनुच्छेद 21** (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) के आधार पर की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में उपबंधित निःशुल्क विधिक सहायता तथा समान न्याय के राज्य की नीति के निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy: DPSP) के उद्देश्य को भी ADR द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

संबंधित घटनाक्रम

लोकसभा द्वारा माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021 {Lok Sabha passes Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2021} पारित किया गया

© Vision IAS

- **प्रमुख संशोधन:**
  - माध्यस्थम् के निर्णय (अर्थात् एक मध्यस्थता कार्यवाही में दिया गया आदेश) पर रोक लगाई जा सकती है, यदि न्यायालय इस तथ्य से संतुष्ट हो कि संबंधित मध्यस्थता समझौता या अनुबंध या निर्णयन, धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रभावित था।
    - कुछ समय पूर्व तक यह प्रावधान था कि यदि एक माध्यस्थम् के निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में अपील दायर की गई है, तब भी उसका (अर्थात् माध्यस्थम्) निर्णय प्रवर्तनीय होगा।
  - **इस विधेयक में मूल अधिनियम की 8वीं अनुसूची को हटा दिया गया है, जिसमें मध्यस्थों (arbitrators) के प्रत्यायन (accreditation) के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित की गई थीं।** अब मध्यस्थों के प्रत्यायन के लिए योग्यता, अनुभव और मानदंड उन नियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगे, जो **भारतीय मध्यस्थता परिषद** {माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत प्रस्तावित} द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
    - 8वीं अनुसूची के अनुसार, मध्यस्थ (arbitrator) को अनिवार्यतः
    - अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत एक अधिवक्ता होना चाहिए, जिसके पास 10 वर्षों का अनुभव हो, या
    - भारतीय विधिक सेवा का अधिकारी होना चाहिए।
- **लाभ:**
  - उपर्युक्त आवश्यक योग्यता के हटने से **विदेशी मध्यस्थों (foreign arbitrators) को लाभ** पहुंचेगा।
  - सभी हितधारकों को माध्यस्थम् के निर्णयों (arbitral awards) के प्रवर्तन पर बिना शर्त रोक लगाने का अवसर प्राप्त होगा।

भारतीय माध्यस्थम् परिषद् (Arbitration Council of India: ACI) के बारे में

- **माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019** भारतीय माध्यस्थम् परिषद् (ACI) नामक एक स्वतंत्र संस्था की स्थापना का प्रावधान करता है।
- यह परिषद् (अर्थात् ACI) वस्तुतः **माध्यस्थम् संस्थाओं के श्रेणीकरण** और **मध्यस्थों के प्रत्यायन** का कार्य करेगी।
- ACI की अध्यक्षता एक अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। इसकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से संघ सरकार द्वारा की जाएगी, जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो।
  - इसमें दो पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी जो **विख्यात माध्यस्थम् पेशेवरों और शिक्षाविदों** के मध्य से केंद्र द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, तथा
  - वाणिज्य एवं उद्योग के किसी मान्यता प्राप्त निकाय के एक प्रतिनिधि को **अंशकालिक सदस्य** के रूप में चक्रीय आधार पर ACI के अध्यक्ष के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
  - **पदेन सदस्य:**
    - सचिव, विधि कार्य विभाग (विधि और न्याय मंत्रालय);
    - सचिव, व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय), और
    - मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ACI

'सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मिडिएशन' लागू हो गया है (Singapore Convention on Mediation Comes into Force)

- यह कन्वेंशन, जिसे **यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंटस रिज़ल्टिंग फ्रॉम मिडिएशन** के रूप में भी जाना जाता है, सिंगापुर के नाम पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र संधि है।
- यह कन्वेंशन **मध्यस्थता से व्युत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों (international settlement agreements)** पर लागू

होता है। किसी वाणिज्यिक विवाद को हल करने के लिए पक्षकार देशों द्वारा इसे संपन्न किया जाता है।
  - इसके तहत व्यवसाय पक्ष, उन देशों के न्यायालयों में प्रत्यक्षत: याचिका दायर करते हुए **सीमा-पार मध्यस्थता समाधान समझौते के प्रवर्तन** की मांग कर सकते हैं, जिन्होंने उपर्युक्त संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और इसकी अभिपुष्टि की है।
  - वर्तमान में, इस **कन्वेंशन में भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 53 हस्ताक्षरकर्ता देश शामिल हैं।**
- **इस कन्वेंशन का महत्व:**
  - विवादित पक्षों द्वारा सीमा-पार विवाद समाधान समझौते का सुगमतापूर्ण प्रवर्तन व उपयोग **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने में सहयोग प्रदान करेगा।**
  - सीमा-पार विवादों के निपटान हेतु मुकदमेबाजी और विवाचन (arbitration) के स्थान पर एक वैकल्पिक विवाद समाधान (Additional Dispute Resolution: ADR) विकल्प के रूप में मध्यस्थता (mediation) के अनुपालन से व्यवसायों को लाभ प्राप्त होगा।
  - इससे कंपनियों के समय और कानूनी लागतों में बचत होगी।
- **भारत के लिए लाभ:** शीघ्र मध्यस्थता समाधान के अनुपालन से व्यापार करने में सुगमता (ease of doing business) संबंधी विश्वसनीयता में वृद्धि होगी तथा ADR से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुपालन संबंधी भारतीय प्रतिबद्धता की ओर विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में सहायता प्राप्त होगी।

4.4. अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम और सुर्ख़ियों में रही अवधारणाएँ (Other Important Developments and Concepts in News)

न्याय बंधु (Nyay Bandhu)	• न्याय विभाग (Department of Justice) द्वारा 26 नवंबर 2020 को न्याय बंधु एप्लीकेशन के **आईओएस संस्करण (iOS version)** का विमोचन और **उमंग प्लेटफॉर्म (MeiTY)** पर इसका शुभारंभ किया गया।
	• न्याय बंधु को वर्ष 2017 में देश भर में **लोक कल्याणार्थ विधिक सेवाओं के वितरण** के लिए एक रूपरेखा निर्मित करने हेतु आरंभ किया गया था।
	• यह मोबाइल एप्लिकेशन **लोक कल्याण के कार्यों में रुचि रखने वाले अधिवक्ताओं** को **पात्र सीमांत और सुभेद्य वर्ग के लाभार्थियों** के साथ जोड़ता है।
	• **लोक कल्याणार्थ (pro bono) सेवाओं** से तात्पर्य उन लोगों को मुफ्त में या न्यूनतम लागत पर विधिक सहायता प्रदान करने से है, जो धन के अभाव में अपना प्रतिनिधित्व कर पाने में असमर्थ होते हैं।
	• भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 39A** के तहत समान न्याय और नि: शुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है।
	• **उमंग (UMANG) का शुभारंभ वर्ष 2017 में किया गया था। इसे नागरिकों के मोबाइल फोन पर सरकार की उपलब्धता** सुनिश्चित कराने के एक वृहत लक्ष्य के साथ **प्रमुख सरकारी सेवाओं को एकल मोबाइल ऐप्प पर उपलब्ध कराने हेतु** लॉन्च किया गया था।
	  ○ **यह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा क्रियान्वित डिजिटल इंडिया से संबद्ध एक पहल है।**
	  ○ इस ऐप्प पर 127 विभागों और 25 राज्यों से लगभग 660 सेवाएं

	तथा लगभग 180 सुविधाओं (utilities) की बिल भुगतान सेवाएं उपलब्ध हैं। ○ हाल ही में, **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** द्वारा उमंग ऐप पर भारत मौसम विभाग की 7 सेवाओं को लाया गया है। **इन सेवाओं में सम्मिलित हैं:** वर्तमान मौसम, मौसम पूर्वानुमान, पर्यटन पूर्वानुमान आदि।
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus petition)	• हाल ही में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अर्नब गोस्वामी को "तत्काल रिहा" करने के लिए दायर **बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका अस्वीकार** कर दी है। • बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ अनिवार्य रूप से **"सशरीर उपस्थिति"** से है। **अनुच्छेद 32** के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष दायर की जाने वाली इस याचिका में एक विशेष व्यक्ति या प्राधिकरण (जिसने किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हिरासत में लिया है) को निर्देश देने का आह्वान किया जाता है। • यह याचिका **इस प्रकार के निरोध (गिरफ़्तारी) की वैधता का निर्धारण** करने का दायित्व न्यायालय पर प्रभारित करती है। • बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट वस्तुतः **मनमाने ढंग से की गयी गिरफ़्तारी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का एक साधन है।** • इसे सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है।
सौदा अभिवाक् (Plea bargaining)	• यह एक अल्प गंभीर अपराध के संदर्भ में दोषी पाए जाने पर, उस अपराध के लिए विधि द्वारा निर्धारित दंड की तुलना में **कम दंड पाने के लिए अभियोजन पक्ष के साथ वार्ता करने वाले आपराधिक कृत्य के आरोपी व्यक्ति को संदर्भित करता है।** • भारत में इसे **वर्ष 2006 में एक संशोधन के माध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure: CrPC) में शामिल** किया गया था। यह प्रक्रिया केवल अभियुक्त (accused) द्वारा ही प्रारंभ की जा सकती है। • **मृत्युदंड, आजीवन कारावास या सात वर्ष से अधिक के कारावास के दंड** की स्थिति में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।
शेबैटशिप का अधिकार (Right to Shebaitship)	• हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने केरल के ऐतिहासिक **श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर के शाही परिवार के शेबैटशिप अधिकारों को बरकरार रखा है।** • **शेबैटशिप का अधिकार:** यह किसी इकाई के द्वारा **एक ट्रस्टी के रूप में किसी देवस्थान के वित्तीय मामलों का प्रबंधन करने के अधिकार को संदर्भित करता है।** ○ शेबैट (Shebait) के पास **केवल संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार** होता है तथा वह संपत्ति और मूर्ति, **दोनों की अभिरक्षा (custody) का**

PT 365 - राजव्यवस्था

	हकदार होता है। ○ शेबैट के पास **संपत्ति पर विधिक दावा करने का अधिकार नहीं** होता है। ऐसी संपत्ति को देवता (या मूर्ति) में ही अंतर्निहित माना जाता है।
साक्षी संरक्षण योजना, 2018 (Witness Protection Scheme, 2018)	• उच्चतम न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट्स को यह निर्देश दिया है कि वे उन गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करें जो वर्तमान या पूर्व सांसदों तथा विधायकों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में साक्षी हैं। • यह योजना **खतरे के आकलन और सुरक्षा उपायों के आधार पर गवाहों को सुरक्षा प्रदान करती है।** इसमें अन्य उपायों के साथ-साथ गवाहों की पहचान की सुरक्षा / परिवर्तन, उनका स्थान बदलना, गवाहों के आवास पर सुरक्षा उपकरणों की स्थापना, विशेष रूप से डिजाइन किए गए न्यायालय कक्ष का उपयोग आदि सम्मिलित हैं। • इसे **उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था** और यह भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। • इसमें, योजना के प्रावधानों के अनुपालन में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु एक **राज्य साक्षी संरक्षण कोष** (State Witness Protection Fund) का भी प्रावधान किया गया है। • वर्ष 2003 में गठित **मलिमथ समिति** ने भी भारत में एक मजबूत साक्षी सुरक्षा तंत्र की स्थापना का समर्थन किया था।

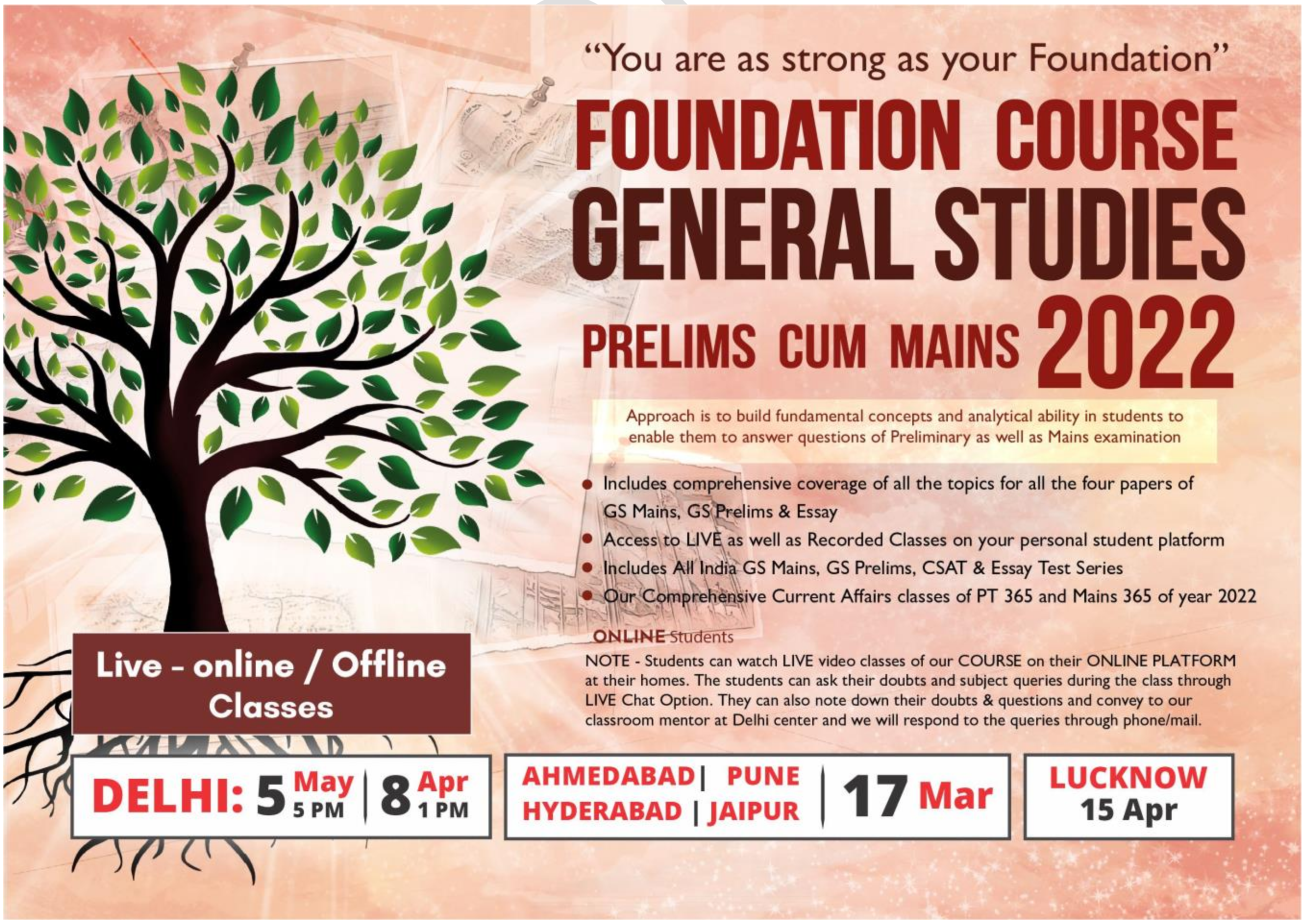

© Vision IAS

5. निर्वाचन (Elections)

5.1. एक साथ चुनाव (Simultaneous Elections)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर बल दिया।

एक साथ चुनाव (Simultaneous Elections) के बारे में

- इसका अर्थ है कि भारतीय निर्वाचन चक्र को इस तरह से व्यवस्थित करना कि लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए चुनाव एक साथ करवाया जा सके, जिसके तहत निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता एक ही साथ दोनों के लिए मतदान कर सकें।
- **एक साथ चुनाव की व्यवस्था वर्ष 1967 तक जारी रही थी।** लेकिन वर्ष 1968 और वर्ष 1969 में कुछ विधान सभाओं और वर्ष 1970 में लोक सभा के विघटन के बाद राज्य विधान सभाओं और संसद के एक साथ चुनाव का क्रम टूट गया और दोनों के चुनाव अलग-अलग समय में होने लगे।
- बाद में, **निर्वाचन आयोग** ने वर्ष 1983 में एक साथ चुनाव का सुझाव प्रस्तावित किया था। इसे विधि आयोग और नीति आयोग द्वारा भी समर्थन प्राप्त हुआ है। साथ ही, दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा भी इस संदर्भ में अनुशंसा की गई है।

एक साथ चुनाव से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 83** के अनुसार लोक सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पाँच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और पाँच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोक सभा का विघटन होगा।
- **अनुच्छेद 85** में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के पास केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर लोक सभा को विघटित करने की शक्ति है।
- **अनुच्छेद 172,** विधान सभाओं के लिए पाँच वर्ष की अवधि को निर्धारित करता है।
- **अनुच्छेद 174** में कहा गया है कि राज्यपाल के पास राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्य विधान सभा को विघटित करने की शक्ति है।

- **एक साथ चुनाव का अर्थ यह नहीं है कि लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए देश भर में मतदान एक ही दिन या एक ही चरण में हो।** इसे चरण-वार तरीके से आयोजित किया जा सकता है तथा किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा एक ही दिन राज्य विधान सभा और लोक सभा दोनों के लिए मतदान किया जा सकता है।

अन्य संबंधित तथ्य

एकल मतदाता सूची (निर्वाचक नामावली) / एक राष्ट्र एक मतदाता सूची (Common Electoral Roll / One Nation One Electoral Roll)

- सरकार ने पंचायत, नगरपालिका, राज्य विधान सभा और लोक सभा निर्वाचनों के लिए एकल मतदाता सूची तैयार करने पर चर्चा आरंभ की है।

एकल मतदाता सूची के बारे में

- **राज्य निर्वाचन आयोग {State Election Commissions (SECs)}** वस्तुतः नगरपालिका और पंचायत चुनावों के संचालन हेतु उत्तरदायी होते हैं तथा ये स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए अपने स्वयं की मतदाता सूची तैयार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस हेतु SECs को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के साथ समन्वय की आवश्यकता नहीं होती है।
    - हालांकि, **प्रत्येक SEC पृथक राज्य अधिनियम द्वारा शासित** होता है। कुछ राज्यों के कानून SEC को नगरपालिका और पंचायत चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की मतदाता सूचियों (निर्वाचक नामावली) का पूर्णतः उपयोग करने या स्वयं (अर्थात् SEC) द्वारा मतदाता सूचियों को तैयार एवं उसमें संशोधन करने के आधार पर उपयोग करने की अनुमति देते हैं।
    - वर्तमान में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र को छोड़कर सभी राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए ECI की मतदाता सूची को अपनाया गया है।
- हालांकि यह तर्क दिया गया है कि ECI और SEC द्वारा पृथक मतदाता सूची तैयार करने से दो पृथक-पृथक एजेंसियों के मध्य अनिवार्य रूप से एक ही कार्य का दोहराव होता है। इससे अंततः मतदाता सूची तैयार करने संबंधी प्रयास और व्यय का भी

दोहराव होता है।

- ज्ञातव्य है कि वर्ष 2015 में जारी **विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट में तथा भारत निर्वाचन आयोग (वर्ष 1999 और वर्ष 2004 में) द्वारा** भी एकल मतदाता सूची **की अनुशंसा** की गई थी।
- एकल मतदाता सूची को लागू करने के लिए तथा देश में सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची तैयार करने के लिए अनुच्छेद 243K और 243ZA में संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी।
    - अनुच्छेद 243K (पंचायत) और 243ZA (नगरपालिका) वस्तुतः चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोगों (SECs) को प्रदत्त करता है।

5.2. चुनावी बॉण्ड योजना (Electoral Bond Scheme: EBS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission: CIC) ने यह निर्णय दिया है कि **सूचना का अधिकार**
- **अधिनियम {Right to Information Act (RTI Act)} के अंतर्गत EBS के दानदाताओं की पहचान** को प्रकट करना किसी व्यापक लोक हित में नहीं होगा। साथ ही, इससे RTI अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लंघन होगा।
    - **RTI अधिनियम की धारा 8** के अनुसार, लोक प्राधिकारी पर इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी नागरिक को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी-
        - किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी (Fiduciary Relationship) में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है।

राजनीतिक वित्त-पोषण की स्वीकृति

- **चुनावी बॉण्ड क्या है?**
  चुनावी बॉण्ड्स वस्तुतः राजनीतिक दलों को गुप्त दान करने के लिए ब्याज मुक्त वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट (लिखत) हैं। ये एक वचन-पत्र (promissory note) की भांति होते हैं।
- **ये बॉण्ड्स कौन खरीद सकता है?**
  इन्हें किसी भी भारतीय नागरिक या भारत में निगमित किसी भी निकाय द्वारा ख़रीदा जा सकता है।
- **बॉण्ड का मूल्यवर्ग**
  ये बॉण्ड्स 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये के मूल्यवर्ग में निर्गमित या जारी किए जाते हैं। इन्हें भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की चयनित शाखाओं से ख़रीदा जा सकता है।
- **ऐसे बॉण्ड्स कब खरीदे जा सकते हैं?**
  ये प्रत्येक वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई, और अक्टूबर माह में 10 दिनों के लिए खरीद हेतु उपलब्ध होते हैं।
- **बॉण्ड की जीवन अवधि**
  ये बॉण्ड्स जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होते हैं।
- **कौन से राजनीतिक दल चुनावी बॉण्ड के माध्यम से दान प्राप्त करने के पात्र हैं?**
  वे राजनीतिक दल, जिन्होंने लोक सभा या राज्य विधान सभा के विगत चुनावों में कम से कम 1% मत प्राप्त किए हैं और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हैं।
- **केंद्रीय बजट 2017-18 में चुनावी बॉण्ड योजना की घोषणा की गई थी।**

© Vision IAS

5.3. अनिवासी भारतीयों के लिए मताधिकार (Voting Rights to NRIs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत निर्वाचन आयोग ने अनिवासी भारतीयों (Non-Resident Indians: NRIs) को डाक मतपत्रों के माध्यम से विदेशों से मत डालने की अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव को विधि और न्याय मंत्रालय के सम्मुख प्रस्तुत किया है।

निर्वाचन आयोग के इस प्रस्ताव के बारे में

- निर्वाचन आयोग ने भारत सरकार को सूचित किया है कि वह असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में वर्ष 2021 के विधान सभा चुनावों के लिए NRI मतदाताओं हेतु **इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली (Electronically Transmitted Postal Ballot System: ETPBS)** का विस्तार करने के लिए तैयार है।
  - विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाताओं तक ETPBS का विस्तार करने के लिए सरकार को केवल **'निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961' (Conduct of Election Rules 1961)** में संशोधन करने की आवश्यकता है। इसके लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
- **डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान में रूचि रखने वाले NRI को रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर सूचित करना होगा।**
  - ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर, रिटर्निंग ऑफिसर संबंधित NRI को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतपत्र प्रेषित करेगा।
  - NRI मतदाता उस मतपत्र के प्रिंट आउट पर अपनी पसंद के उम्मीदवार को चिन्हित करेंगे। इसके पश्चात् NRI को उस देश (जहाँ NRI निवास कर रहा है) में भारत के राजनयिक या कांसुलर प्रतिनिधि द्वारा नियुक्त एक अधिकारी से एक घोषणा-पत्र को अनुप्रमाणित (attest) करवाना होगा, और फिर उसके साथ मतपत्र को वापस भेजना होगा।
- इस कदम के चलते, **अनिवासी भारतीय भी भारतीय लोकतंत्र में भाग ले सकते हैं** और उन्हें मूलभूत मानवाधिकार अर्थात् मतदान का अधिकार भी प्राप्त होगा।
  - कई देश विभिन्न नियमों के साथ प्रवासियों को मतदान करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए, विदेश में रहने वाला एक ब्रिटिश नागरिक डाक द्वारा मतदान कर सकता है, या ऐसा करने के लिए एक प्रॉक्सी मतदाता (मूल मतदाता का प्रतिनिधि) नामांकित कर सकता है।
- हालांकि, इसके तहत मत की गोपनीयता से समझौता, मतपत्र को भेजे जाने से संबंधित चुनौतियां, मतदान में बाह्य कारकों का प्रभाव आदि जैसी चिंताएं भी विद्यमान हैं।

डाक मतपत्र (Postal Ballot) के बारे में

- डाक मतपत्र वस्तुतः मतदान एक प्रकार का है। इसके तहत **इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र** को मतदाताओं को वितरित किया जाता है और डाक के माध्यम से वापस प्राप्त किया जाता है।
  - ETPBS के अंतर्गत, डाक मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रेषित किया जाता है और साधारण डाक के जरिए वापस प्राप्त किया जाता है। **वर्तमान में मतदान का यह विकल्प केवल सेवा मतदाताओं (Service Voters) के लिए उपलब्ध है,** जैसे- सशस्त्र बलों के सदस्य, भारत के बाहर सरकार द्वारा नियोजित व्यक्ति आदि।
- विदेशी मतदाताओं तक ETPBS का विस्तार करने के लिए, सरकार को केवल **निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961** में संशोधन करने की आवश्यकता है। इसके लिए **संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं** है।
- **भारत में निर्वाचकों की 3 श्रेणियां हैं, यथा-**
  - **सामान्य निर्वाचक (General electors):** नियमित निवासी, जिन्होंने मतदान के पूर्व 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लिया है।
  - **प्रवासी निर्वाचक (Oversees electors):** भारतीय पासपोर्ट धारक अनिवासी भारतीय।
  - **सेवा निर्वाचक (Service Electors):** जैसे कि सशस्त्र बलों के सदस्य, भारत से बाहर सरकार द्वारा नियोजित व्यक्ति आदि। सेवा मतदाताओं के पास डाक मतपत्र के माध्यम से या प्रॉक्सी मतदाता (proxy voter) के माध्यम से मतदान करने का विकल्प होता है।

अनिवासी भारतीय मतदाता / प्रवासी निर्वाचक (Overseas Elector) के बारे में

- अनिवासी भारतीय या प्रवासी निर्वाचक "एक ऐसा व्यक्ति है, जो भारत का नागरिक है तथा जो रोजगार, शिक्षा आदि के कारण

देश छोड़कर जा चुका है, किंतु **उसने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है** और अपने पासपोर्ट में उल्लिखित पते के आधार पर एक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के योग्य है।

- विदेश मंत्रालय के अनुमान के अनुसार, संपूर्ण विश्व में विभिन्न देशों में लगभग **3.10 करोड़ अनिवासी भारतीय निवास करते हैं।**
- पिछले लोक सभा चुनाव में मतदान करने के लिए लगभग 25,000 NRIs भारत आए थे।

NRIs के लिए मतदान की वर्तमान प्रक्रिया

- **वर्ष 2011** में 'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' (Representation of the People Act, 1950) में संशोधन कर अनिवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया था।
- एक NRI अपने पासपोर्ट में उल्लिखित पते के अनुसार, **अपने निवास स्थान के निर्वाचन क्षेत्र** में मतदान कर सकता है।
- वह केवल व्यक्तिगत रूप से मतदान कर सकता है और पहचान सुनिश्चित करवाने के लिए उसे मतदान केंद्र में मूल रूप से अपना पासपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
- ज्ञातव्य है कि, प्रवासी भारतीयों को प्रॉक्सी वोटिंग के माध्यम से मत देने का अधिकार सौंपने के लिए **लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017** {Representation of the People (Amendment) Bill, 2017} को पुरःस्थापित किया गया था। हालांकि, 16वीं लोक सभा के विघटन पर उक्त विधेयक व्यपगत हो गया था।

5.4. परिसीमन आयोग (Delimitation Commission)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, लोक सभा अध्यक्ष द्वारा 15 सांसदों को परिसीमन आयोग के सहयोगी सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया।

परिसीमन आयोग (Delimitation Commission)		
परिसीमन का अर्थ	**परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है किसी देश या प्रांत/राज्य में विधायी निकाय वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा (बाउंड्री) तय करने की क्रिया या प्रक्रिया।**	
संवैधानिक अधिदेश (Constitutional Mandate)	**अनुच्छेद 82**	संसद प्रत्येक जनगणना के उपरांत परिसीमन अधिनियम अधिनियमित करती है, जिसके तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है।
	अनुच्छेद 170	उपर्युक्त वर्णित अधिनियम ही राज्यों में परिसीमन के लिए लागू होता है।
	पूर्व में गठित किए गए आयोग	वर्ष 1952, 1963, 1973 और वर्ष 2002
संरचना	**तीन पदेन सदस्य होते हैं:** (a) अध्यक्ष- उच्चतम न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, (b) मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट निर्वाचन आयुक्त, तथा (c) संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त।	
कार्यप्रणाली	• सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या को लगभग समरूप बनाने और जनसंख्या के समान खंड को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं का निर्धारण करना। • अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों या स्थानों को चिन्हित (जहां भी उनकी संख्या अपेक्षाकृत अधिक हो) करना।	
वर्तमान स्थिति	• परिसीमन आयोग के निर्णयों को विधिक के रूप में कार्यान्वित किया जाता है और इसे	

© Vision IAS

	किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। • वर्ष 1981 और 1991 की जनगणना के पश्चात् परिसीमन आयोग का गठन नहीं हुआ था। • वर्ष 2002 में, 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 2026 तक के लिए लोक सभा और राज्य विधान सभाओं की परिसीमन प्रक्रियाओं को रोक दिया गया है।

5.5. प्रत्यावर्तन का अधिकार (Right to Recall)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, हरियाणा विधान सभा ने **हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020** पारित किया। यह विधेयक पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के विरुद्ध राइट टू रिकॉल का अधिकार प्रदान करता है।

राइट टू रिकॉल या प्रत्यावर्तन का अधिकार के बारे में

- राइट टू रिकॉल (अर्थात् प्रत्यावर्तन का अधिकार या प्रत्याशी को वापस बुलाने का अधिकार) एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत **मतदाता के पास अपने निर्वाचित प्रतिनिधि को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाने की शक्ति** प्राप्त होती है। यह **प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन** का एक उदाहरण है।
- यह विधेयक **ग्राम सरपंचों, प्रखंड स्तर और जिला स्तर की पंचायतों** के सदस्यों के विरुद्ध राइट टू रिकॉल की अनुमति देता है, यदि वे अपने जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से निष्पादन करने में विफल रहते हैं।
- राइट टू रिकॉल की कार्यवाही को आरंभ करने के लिए किसी वार्ड या ग्राम सभा के 50 प्रतिशत सदस्यों को लिखित रूप से याचिका प्रस्तुत करनी होती है।
- इसके बाद गुप्त मतदान का संचालन होता है। राइट टू रिकॉल संबंधी प्रस्ताव को पारित करने के लिए **दो-तिहाई सदस्यों** को इसके पक्ष में मतदान करना अनिवार्य है।

प्रत्यक्ष लोकतंत्र (Direct Democracy)

- प्रत्यक्ष लोकतंत्र उन नियमों, संस्थाओं और प्रक्रियाओं का वर्णन करता है, जो जनता को प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन, विधि, संधि या नीतिगत निर्णय पर प्रत्यक्ष रूप से मतदान करने में सक्षम बनाते हैं
- **प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विभिन्न उपकरणों में शामिल हैं:**
    - **परिपृच्छा (Referendums):** यह किसी विशिष्ट राजनीतिक, संवैधानिक या विधायी मुद्दे पर मतदाताओं को प्रत्यक्ष मतदान करने का अवसर प्रदान करता है। इसके द्वारा प्राप्त होने वाले परिणामों की प्रकृति बाध्यकारी होती है अर्थात् इन परिणामों को अनिवार्य रूप से सरकार को स्वीकार करना पड़ता है।
    - **नागरिकों की पहल (Citizens initiatives):** यह मतदाताओं को, लोगों द्वारा प्रस्तावित संवैधानिक/विधायी उपाय पर मतदान करने का अवसर प्रदान करता है, बशर्ते ऐसे प्रस्ताव ने समर्थन हेतु पर्याप्त प्रस्तावकों के हस्ताक्षर को प्राप्त कर लिया हो।
    - **जनमत-संग्रह (Plebiscite):** यह परिपृच्छा (Referendum) का एक प्रकार है जो विशिष्ट वर्ग के लोगों को प्राप्त स्व-निर्णय के अधिकार के आधार पर सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इससे संबंधित परिणाम की **प्रकृति बाध्यकारी या गैर-बाध्यकारी भी हो सकती है।**
    - **एजेंडा पहल (Agenda initiatives):** यह एक लोकप्रिय अधिकार है लेकिन इसके तहत आवश्यक नहीं है कि परिपृच्छा (Referendum) को आयोजित किया जाए। इसके तहत राजनीतिक एजेंडे के सम्मुख संबंधित मुद्दे को प्रस्तुत किया जाता है तथा उस प्रस्ताव पर विनिर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा विचार करना और/या कार्य करना अनिवार्य होता है।

5.6. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियाँ (Other Important News)

5.6.1. निर्वाचन क्षेत्रों के लिए स्टार प्रचारक (Star Campaigners in Election)

- हाल ही में, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कांग्रेस के नेता कमलनाथ को पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची से हटाया दिया गया है।
- स्टार प्रचारकों को **राजनीतिक दलों द्वारा लक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार करने** के लिए नामित किया जाता है।
    - **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 {Representation of the People Act (RPA), 1951}** की धारा 77(1) के अनुसार निर्वाचन अधिसूचना की तिथि से एक सप्ताह के भीतर स्टार प्रचारकों (मूल धारा में राजनीतिक दल के नेताओं के रूप में वर्णित) की सूची **मुख्य निर्वाचन अधिकारी और ECI को प्रेषित करना अनिवार्य है।**
    - एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में **40 स्टार प्रचारक** और एक गैर-मान्यता प्राप्त (किन्तु पंजीकृत) राजनीतिक दल में **20 स्टार प्रचारक** ही हो सकते हैं।

- ऐसे अधिसूचित **स्टार प्रचारकों द्वारा चुनाव प्रचार पर किए गए व्यय** को **उम्मीदवार के चुनाव व्यय में जोड़े जाने से छूट** प्रदान की गई है।
  - हालांकि, यह केवल तब लागू होता है, जब कोई स्टार प्रचारक उस राजनीतिक दल (जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है) के लिए स्वयं को एक सामान्य अभियान तक ही सीमित कर लेता है।
  - यदि कोई **उम्मीदवार या उसका निर्वाचन एजेंट किसी रैली में किसी स्टार प्रचारक के साथ मंच साझा** करता है, तो स्टार प्रचारक के यात्रा व्यय को छोड़कर, **उस रैली का पूर्ण खर्च, उम्मीदवार के व्ययों में जोड़ दिया जाता है।**

RECENTLY, ECI HAS REVISED NORMS OF STAR CAMPAIGNERS FOR ELECTIONS AMID COVID-19 PANDEMIC.

- Maximum limit of star campaigners:
  - For **recognized national/state political parties shall be 30** instead of 40
  - For **unrecognized registered political parties shall be 15** instead of 20
- Period of submission of list of star campaigners has also been **extended from 7 days to 10 days** from the date of notification.

5.6.2. चुनावी व्यय (Election Expenditure)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- किसी प्रत्याशी की चुनाव अभियान से संबंधित व्यय सीमा में 10% की वृद्धि करने के निर्वाचन आयोग की अनुशंसा को विधि और न्याय मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।
  - निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में यह तर्क दिया है कि **वैश्विक महामारी के दौरान रैलियों और बैठकों के आयोजन से संबंधित प्रतिबंधों का अनुपालन करने के लिए** प्रत्याशी को अतिरिक्त व्यय करना पड़ सकता है।

चुनावी व्यय के बारे में

- **निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (Conduct of Election Rules, 1961)** के **नियम 90** में यह उपबंध किया गया है कि प्रत्याशी द्वारा किया गया कुल चुनावी व्यय, निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।
  - इस नियम में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय की स्वीकृति अनिवार्य होती है।
  - वर्तमान में चुनावी व्यय की सीमा अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न है। अर्थात् राज्य, संघ राज्यक्षेत्र (UT) और संसद के चुनावों से संबंधित व्यय की वर्तमान सीमा में परस्पर भिन्नता है।
  - प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापनों, सार्वजनिक बैठकों आदि जैसे **सभी व्ययों के लिए भी अधिकतम सीमा** निर्धारित की गई है।
  - निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित चुनाव अभियान संबंधी व्यय की सीमाएं प्रत्याशी पर लागू होती हैं न कि किसी राजनीतिक दल पर।
- चुनावी व्यय संबंधी अधिकतम सीमा में वृद्धि करने वाली अनुशंसा को लागू करने के लिए सरकार ने नियमों में संशोधन किया है। प्रति प्रत्याशी **लोक सभा चुनावों में व्यय संबंधी अधिकतम सीमा 70 लाख रुपये से बढ़कर 77 लाख रुपये और विधान सभा चुनावों में 28 लाख रुपये से बढ़कर 30.8 लाख रुपये हो गई है।**

© Vision IAS

- ये नियम केंद्र सरकार द्वारा निरस्त घोषित या निरसित किए जाने तक प्रवर्तन में रहेंगे।

- चुनाव संबंधी व्यय के लिए सभी प्रत्याशियों को एक पृथक बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य होता है। साथ ही सभी भुगतान चेक के माध्यम से किए जाएंगे।
- प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन संपन्न होने के **30 दिनों** के भीतर **निर्वाचन आयोग के समक्ष अपना व्यय विवरण प्रस्तुत करना** अनिवार्य होता है।
- किसी प्रत्याशी द्वारा **चुनावी व्यय से संबद्ध बैंक खाते के बारे में त्रुटिपूर्ण जानकारी देने और निर्धारित सीमा से अधिक व्यय करने पर, उसे तीन वर्ष तक के लिए निरर्ह (Disqualify)** घोषित किया जा सकता है।

5.6.3. विश्व निर्वाचन निकाय संघ (Association of World Election Bodies: A-WEB)

- हाल ही में, भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India: ECI) ने विश्व निर्वाचन निकाय संघ (A-WEB) की एक वर्षीय अध्यक्षता को पूर्ण कर लिया है। ECI द्वारा **"कोविड-19 के दौरान चुनावों के संचालन से संबंधित मुद्दे, चुनौतियां और प्रोटोकॉल" (Issues, Challenges and Protocols for Conducting Elections during Covid-19)** विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन भी किया गया है।

विश्व निर्वाचन निकाय संघ (A-WEB) के बारे में

- A-WEB विश्व के **चुनाव प्रबंधन निकायों (Election Management Bodies: EMBs) अर्थात् विभिन्न राष्ट्रों के निर्वाचन निकाय या आयोग** का सबसे बड़ा संघ है।
- इसे वर्ष **2013 में दक्षिण कोरिया में स्थापित** किया गया था। इसका **स्थायी सचिवालय सियोल में स्थित** है।
- वर्तमान में A-WEB में सदस्य के रूप में 115 चुनाव प्रबंधन निकाय तथा सहयोगी सदस्य के रूप में 16 क्षेत्रीय संघ/ संगठन शामिल हैं।
  - विगत वर्ष भारत ने वर्ष 2019-2021 की अवधि के लिए A-WEB के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था।
  - **नई दिल्ली** में एक **भारत-विश्व निर्वाचन निकाय संघ का केंद्र (India A-WEB Centre)** स्थापित किया गया है। इसमें A-WEB सदस्यों के अधिकारियों के मध्य सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और उनके क्षमता निर्माण के लिए प्रलेखन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।
- इसका उद्देश्य **सदस्य देशों में चुनाव प्रबंधन की प्रक्रियाओं को सुदृढ़** करना है।
- यह **विश्व भर में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और भागीदारी पूर्ण निर्वाचन** के संचालन में दक्षता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने में सहायता करता है।
- यह विभिन्न देशों में चुनाव प्रबंधन से संबंधित प्रथाओं का अध्ययन करने के लिए **निर्वाचन आगुन्तक और पर्यवेक्षण कार्यक्रमों (Election Visitor and Observation Programmes) को भी संचालित** करता है ताकि प्राप्त ज्ञान/अनुभव को चुनाव प्रबंधन निकायों (EMBs) के अन्य सदस्यों के साथ साझा किया जा सके।

5.6.4. ओपिनियन (जनमत सर्वेक्षण) और एग्जिट पोल (निर्गत मत सर्वेक्षण) (Opinion and Exit Poll)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- निर्वाचन आयोग ने ओपिनियन और एग्जिट पोल के संबंध में एक एडवाइजरी/परामर्शिका जारी की है।

ओपिनियन और एग्जिट पोल के बारे में

- **ओपिनियन पोल (जनमत सर्वेक्षण),** मतदाताओं के **मतदान संबंधी रुझानों को जानने के लिए मतदान से पहले किया जाता है। जबकि एग्जिट पोल, चुनावों के बाद किए गए सर्वेक्षण को संदर्भित करता है ताकि पता लगाया जा सके कि मतदाताओं द्वारा वास्तव में किसे मत दिया** गया है।

- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126A में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि "कोई भी व्यक्ति कोई एक्जिट पोल (निर्गत मत सर्वेक्षण) नहीं करेगा और किसी एक्जिट पोल के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा।"
- निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि **एग्जिट पोल (निर्गत मत सर्वेक्षण) को एजेंसियों सहित सभी वेबसाइटों द्वारा केवल अंतिम चरण के मतदान के बाद ही प्रसारित किया जा सकता है। साथ ही, जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो चुके हैं उनके लिए कोई ओपिनियन पोल या जनमत सर्वेक्षण नहीं** किया जाए।

6. महत्वपूर्ण अधिनियम / विधेयक (Important Legislations/Bills)

6.1. सूचना का अधिकार अधिनियम {Right to Information (RTI) Act}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद ने **सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 {Right to Information (Amendment) Act, 2019}** अधिनियमित किया है।

RTI अधिनियम में किए गए संशोधन

- **निश्चित कार्यकाल की समाप्ति:** आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 में, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों (केंद्र और राज्य स्तर पर) के लिए पांच वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया था। वर्तमान संशोधन द्वारा इस प्रावधान को हटा दिया गया है और निर्धारित किया गया है कि केंद्र सरकार मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों (केंद्रीय और राज्य स्तर पर) के लिए कार्यालय की अवधि को अधिसूचित करेगी।
- **वेतन का निर्धारण:** RTI अधिनियम, 2005 में यह प्रावधान था कि, मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और सूचना आयुक्तों (ICs) (केंद्रीय स्तर पर) का वेतन क्रमशः मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को दिए जाने वाले वेतन के समतुल्य होगा। इसी प्रकार, CIC और ICs (राज्य स्तर पर) का वेतन क्रमशः चुनाव आयुक्तों और राज्य सरकार के मुख्य सचिव को प्रदत्त वेतन के बराबर होगा। **यह संशोधन केंद्र सरकार को केंद्र और राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों के लिए सेवा-शर्तें, वेतन, भत्ते और अन्य नियमों को निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है।**
- मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों (केंद्र एवं राज्य स्तर पर) के वेतन में उनकी पिछली सेवा के तहत मिलने वाली पेंशन या किसी अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति लाभ के कारण होने वाली कटौती के प्रावधानों का लोप कर दिया गया है।

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005

- RTI अधिनियम, 2005 नागरिकों को सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करके **शासन को नागरिक केंद्रित** बनाता है।
- यह जानकारी से वंचित **नागरिकों को शिकायत निवारण के लिए एक तंत्र** प्रदान करता है।
- RTI आवेदक को **सूचना प्राप्त करने के लिए किसी कारण का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं** होती है।
- **सार्वजनिक प्राधिकरणों को कुछ सूचनाएं अग्रिम रूप से प्रदान करने के लिए अधिदेशित किया गया है** जैसे- अपने अधिकारियों के कार्यों, संरचना, शक्तियों और कर्मचारियों की वित्तीय जानकारी।
- RTI अधिनियम की धारा 2(h) के अंतर्गत, "लोक प्राधिकारी"(public authority) से -
    - संविधान द्वारा या उसके अधीन;
    - संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;
    - राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा; तथा
    - समुचित सरकार द्वारा जारी की गई किसी अन्य विधि द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है।
- **प्राधिकारियों को सूचना प्रदान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है:** लोक प्राधिकरण अपनी प्रशासनिक इकाइयों में कुछ अधिकारियों को **लोक सूचना अधिकारी (Public Information Officers: PIOs)** के रूप में नामित करते हैं।
    - इन PIOs को मांगी गई सूचना को 30 दिनों के भीतर (यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटे के भीतर) प्रदान करना अनिवार्य है।
- **अपील तंत्र:** यदि मांगी गई सूचना निर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्रदान नहीं की जाती है, तो RTI आवेदक PIO के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है।

- **प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (First Appeal Authority):** प्रथम अपील लोक प्राधिकरण के भीतर ही की जाती है। पदानुक्रम में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, PIO से वरिष्ठ अधिकारी होता है।
- **अंतिम अपीलीय प्राधिकारी (Final Appellate Authority):** केंद्रीय/राज्य सूचना आयोग एक वैधानिक निकाय है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अनधिक सूचना आयुक्त होते हैं। उन्हें **केंद्र में राष्ट्रपति** और **राज्य में राज्यपाल** द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये अंतिम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

हाल ही में, **कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice)** ने केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission: CIC) तथा राज्य सूचना आयोगों (State Information Commissions: SICs) के कार्यकरण की समीक्षा करने का निर्णय किया है।

केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग के बारे में

- **केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 {Right to Information (RTI) Act, 2005} के तहत गठित वैधानिक निकाय हैं।
  - ये आयोग **RTI अधिनियम के अंतर्गत अंतिम अपीलीय प्राधिकरण** हैं।
  - इनमें **लोक सूचना अधिकारियों (Public Information Officers: PIOs)** पर अर्थदंड लगाने, उनके विरुद्ध शिकायतों की जांच प्रारंभ करने आदि जैसी व्यापक शक्तियां निहित हैं। शिकायतों की जांच के संबंध में आयोग को दीवानी न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हैं।
- CIC को **संसद** और SIC को **राज्य विधान-मंडलों** के समक्ष अपनी प्रशासनिक शाखाओं अर्थात् केंद्र में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय तथा राज्यों में सेवा विभाग के माध्यम से **अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।**
  - हालांकि, इन वार्षिक रिपोर्टों पर संभवत: ही कभी संसद या राज्य विधान सभाओं में चर्चा होती है। यह RTI अधिनियम की प्रभावकारिता को प्रश्नगत करता है।
  - **अब पहली बार इस निकाय की कार्यप्रणाली की संसदीय समिति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संवीक्षा की जाएगी,** ताकि इसके कार्यकरण को प्रभावी बनाया जा सके।

केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में

- इस आयोग में एक **मुख्य सूचना आयुक्त** (Chief Information Commissioner) एवं **10 से अनधिक सूचना आयुक्त** (Information Commissioners: ICs) होते हैं।
- इन सभी की नियुक्ति **राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर** की जाती है। इस समिति का अध्यक्ष **प्रधान मंत्री** होता है तथा **लोक सभा में विपक्ष का नेता** और प्रधान मंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट **एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री** सदस्य होते हैं।
- इस आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले व्यक्तियों के पास सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए तथा उन्हें विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिए।
- उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। उन्हें न तो किसी राजनीतिक दल से संबंधित होना चाहिए और न ही लाभ के किसी पद पर होना चाहिए। साथ ही, उन्हें किसी व्यापार या उद्यम में भी नियोजित/लिप्त नहीं होना चाहिए।
- **वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं।**

© Vision IAS

6.2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (The Consumer Protection Act, 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वर्ष 1986 के पूर्ववर्ती अधिनियम को प्रतिस्थापित करते हुए **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** को लागू किया गया है।

वर्ष 2019 के अधिनियम के तहत प्रमुख प्रावधान:

CONSUMER PROTECTION ACT 1986	PROVISIONS	CONSUMER PROTECTION ACT 2019
No separate regulator	Regulator	Central Consumer Protection Authority (CCPA) to be formed
Complaint could be filed in a consumer court where the seller's (defendant) office is located	Consumer court	Complaint can be filed in a consumer court where the complainant resides or works
No provision. Consumer could approach a civil court but not consumer court	Product liability	Consumer can seek compensation for harm caused by a product or service
District: up to ₹20 lakh State: ₹20 lakh to ₹1 cr National: above ₹1 cr	Pecuniary jurisdiction	District: up to ₹1 cr State: ₹1 cr to ₹10 cr National: Above ₹10 cr
No provision	E-commerce	All rules of direct selling extended to e-commerce
No legal provision	Mediation cells	Court can refer settlement through mediation

- **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority: CCPA) का गठन:**
  - इसका प्राथमिक उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी सुरक्षा करना और उन्हें लागू करना है तथा अधिनियम के तहत जांच या अन्वेषण करने का उत्तरदायित्व **अन्वेषण महानिदेशक (Director General of Investigation)** को प्रदान किया गया है, जो मामलों की संवीक्षा करेगा व प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
  - **यह अधिदेशित है:**
    - उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और संस्थान की शिकायतों/अभियोजन की जांच का संचालन करने के लिए।
    - असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं की वापसी का आदेश देने हेतु।
    - अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों के विनियमन हेतु।
    - भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं/समर्थनकर्ताओं/प्रकाशकों को दंडित करने हेतु।
    - अधिनियम के तहत प्राधिकरण को ग्राहकों के एक वर्ग की ओर से स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले को दर्ज करने का अधिकार प्रदान किया गया है, जिससे **क्लास एक्शन सूट (अर्थात् अनेक उपभोक्ताओं की ओर से मुकदमा दायर करना)** की शुरुआत हुई है।
    - **क्लास एक्शन,** जिसे **प्रतिनिधि कार्रवाई (Representative Action)** के रूप में भी जाना जाता है, मुकदमों का एक रूप है, जिसमें लोगों का एक बड़ा वर्ग सामूहिक रूप से न्यायालय में वाद दायर करता है।
    - यह सामान्यतया तब दर्ज किया जाता है, जब कई लोगों को समान या समरूप क्षति हुई हो।

नए अधिनियम में प्रदान किए गए छह "उपभोक्ता अधिकार" हैं:

- **संरक्षण का अधिकार:** जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तु, उत्पादों या सेवाओं के विपणन के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार।
- अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करने के लिए वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में **सूचित होने का अधिकार।**
- प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं तक पहुंच हेतु जहां भी संभव हो, **आश्वस्त होने का अधिकार।**
- **सुने जाने का अधिकार** और इस संदर्भ में आश्वासित होना कि उचित मंचों पर उपभोक्ता के हितों को न्यायोचित वरीयता प्रदान की जाएगी।
- अनुचित व्यापार व्यवहार या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं या उपभोक्ताओं के निर्लज्ज शोषण के विरुद्ध **प्रतितोष (redressal) का अधिकार** तथा
- **उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार।**

- **उपभोक्ता विवाद अधिनिर्णय प्रक्रिया का सरलीकरण:**
  - **राज्य और जिला आयोगों** का सशक्तीकरण किया गया है, ताकि वे अपने स्वयं के आदेशों की समीक्षा कर सकें।
  - अपने आदेशों को लागू करने के लिए **उपभोक्ता आयोगों को सशक्त किया गया है।**
  - यदि 21 दिवस की निर्दिष्ट अवधि के भीतर स्वीकार्यता के प्रश्न पर निर्णय नहीं लिया जाता है, तो **शिकायतों को स्वत: स्वीकार्य** मान लिया जाएगा।
  - **उपभोक्ता आयोगों तक पहुंच को सुगम बनाने** के लिए निवास स्थान/कार्यस्थल से आवेदन, ई-फाइलिंग तथा वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई के भी उपाय किए गए हैं।
- **वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र:**
  - ऐसी शिकायत जिसमें आरंभिक निपटान की संभावना निहित हो और पक्षकार इसके लिए सहमत हों, उनको **उपभोक्ता आयोग द्वारा मध्यस्थता के लिए संदर्भित** किया जाएगा।
  - **मध्यस्थता प्रक्रियाएं,** उपभोक्ता आयोगों के तत्वावधान में स्थापित होने वाले **मध्यस्थता प्रकोष्ठों (Mediation Cells) में आयोजित** की जाएंगी।
  - **मध्यस्थता के माध्यम से निपटान** के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।
- **ई-कॉमर्स संस्थाओं के बारे में:**
  - ई-कॉमर्स इकाई को अपने **उद्गम देश (country of origin)** सहित रिटर्न, प्रतिदाय (रिफंड), एक्सचेंज, वारंटी और गारंटी, आपूर्ति व लदान, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान के तरीकों की सुरक्षा, शुल्क वापसी संबंधित विकल्प (charge-back options), आदि के बारे में **सूचना प्रदान करना अनिवार्य होगा।** यह उपभोक्ता को उस प्लेटफ़ॉर्म पर **क्रय-पूर्व चरण (pre-purchase stage) में सूचित निर्णय (informed decision) लेने में सक्षम** बनाने हेतु आवश्यक है।
  - इस अधिनियम के तहत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को **48 घंटों के भीतर** उपभोक्ता को शिकायत प्राप्ति की सूचना प्रदान करना अनिवार्य है और उन्हें **शिकायत प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर शिकायत का निवारण** करना होगा। इस उद्देश्य के लिए, उन्हें **शिकायत निवारण अधिकारी (grievance redressal officer)** नियुक्त करना आवश्यक है।
  - यदि विक्रेताओं द्वारा प्रदत्त वस्तुएं या सेवाएं दोषपूर्ण, मात्रा में कम, विलंब से वितरित या प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध विवरण से भिन्न हों तो, विक्रेता **वस्तुओं या सेवाओं को वापस लेना और प्रतिदाय करना अस्वीकृत नहीं** कर सकते हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020

- ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं को अधिक जवाबदेह तथा उनके व्यवसायों को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act: CPA), 2019** के हिस्से के रूप में **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय** द्वारा इन नियमों को अधिसूचित किया गया है।
- **नए नियमों के प्रमुख बिंदु:**
  - ये नियम **भारत या विदेश में पंजीकृत परंतु भारतीय उपभोक्ताओं को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने वाले** सभी इलेक्ट्रॉनिक खुदरा विक्रेताओं (ई-टेलर्स) पर लागू होंगे।
  - ये बाजार या इन्वेंट्री (वस्तु-सूची) आधारित मॉडल के माध्यम से ऑनलाइन विक्रय किए जाने वाली सभी वस्तुओं को सम्मिलित करेंगे।
  - **मार्केटप्लेस मॉडल में,** तृतीय पक्ष के विक्रेता सूचीबद्ध हो सकते हैं और वस्तुएं विक्रय करते हैं {उदाहरण के लिए- ईबे (ebay)}, जबकि **इन्वेंट्री मॉडल में,** प्लेटफ़ॉर्म अपनी स्वयं की वस्तुओं को ही सूचीबद्ध करता है और विक्रय करता है {इसमें समान उत्पाद को एक से अधिक विक्रेताओं द्वारा नहीं बेचा जाता है, उदाहरण के लिए जबॉन्ग (Jabong)}।
  - ई-कॉमर्स संस्थाओं को उन वस्तुओं और सेवाओं के **'उद्गम देश (country of origin)'** का उल्लेख करना आवश्यक है, जो उपभोक्ता को पूर्व-खरीद चरण में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने हेतु आवश्यक है।
  - **प्रदर्शित किए जाने वाले अन्य विवरण:** विक्रेताओं के बारे में विवरण, वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमत के साथ-साथ अन्य शुल्क, समाप्ति की तिथि आदि।
  - ई-कॉमर्स में प्रत्यक्ष बिक्री जैसी अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA) के तहत सशक्त किया गया है।
  - ई-टेलर्स और उनके विक्रेताओं दोनों को किसी भी प्रकार की शिकायत के निवारण के लिए **शिकायत अधिकारी (grievance officers)** नियुक्त करना होगा।

© Vision IAS

- ये नियम ई-कॉमर्स कंपनियों को **अनुचित मूल्यों (unjustified prices)** के माध्यम से **अनुचित लाभ (unreasonable profit)** प्राप्त करने के लिए वस्तु या सेवाओं की **कीमतों में हेरफेर (manipulating the price)** करने से भी निषिद्ध करते हैं।

- **उत्पाद दायित्व (Product liability) के लिए प्रावधान:** उत्पाद दायित्व के अंतर्गत किसी उपभोक्ता को **दोषपूर्ण वस्तु की आपूर्ति या त्रुटिपूर्ण सेवा प्रदायगी के कारण** होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए किसी उत्पाद विनिर्माता, सेवा प्रदाता या उत्पाद विक्रेता द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है।
- **दंड संबंधी प्रावधान:**
  - इस अधिनियम में **मिलावटी (अपद्रव्य का समावेश)/नकली वस्तुओं के निर्माण या बिक्री के लिए** एक सक्षम न्यायालय द्वारा दंडात्मक प्रावधान की व्यवस्था की गई है।
  - न्यायालय, पहली बार किसी व्यक्ति के दोषी सिद्ध होने पर **जारी किए गए लाइसेंस को दो वर्ष तक की अवधि के लिए निलंबित** कर सकता है और दूसरी बार दोषी सिद्ध होने पर लाइसेंस को पूर्णत: रद्द भी कर सकता है।
- **अन्य प्रावधान:**
  - 5 लाख रुपये तक के मामले दर्ज कराने के लिए कोई शुल्क आरोपित नहीं किया जाएगा।
  - अज्ञात उपभोक्ताओं की स्थिति में उक्त राशि उपभोक्ता कल्याण कोष (Consumer Welfare Fund: CWF) में जमा की जाएगी।
  - राज्य आयोग विशेषकर रिक्तियों, निपटान, मामलों की विलंबता और अन्य मामलों से संबंधित जानकारी केंद्र सरकार को त्रैमासिक आधार पर उपलब्ध कराएंगे।
  - इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता संबंधी मुद्दों पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की भी स्थापना की गई है, जो एक परामर्शी निकाय के रूप में कार्य करेगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री इसका अध्यक्ष होगा और इसी मंत्रालय का राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा तथा इसमें विभिन्न क्षेत्रों के 34 अन्य सदस्य भी सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त, इसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्वोत्तर प्रत्येक क्षेत्र से दो राज्यों के उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री भी शामिल होंगे।

अन्य तथ्य

विज्ञापनों के लिए प्रारूप दिशा-निर्देश (Draft guidelines for advertisements)

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) के तहत, **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण** (Central Consumer Protection Authority) को अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए **आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है।**
  - इन दिशा-निर्देशों में आकार, प्रारूप या माध्यम पर ध्यान दिए बिना सभी विज्ञापन और विपणन संचार को समाविष्ट किया गया है।
- **प्रमुख दिशा-निर्देश:**
  - **अस्वीकरण (Disclaimers) हेतु:** यदि कोई विज्ञापन एक साधारण उपभोक्ता के लिए सरलतापूर्वक ध्यान देने योग्य, सुपाठ्य व समझने योग्य नहीं है, तो उसे भ्रामक विज्ञापन (misleading advertisements) माना जाएगा।
  - **पृष्ठांकक (Endorser) हेतु:** वे सभी विवरण, दावे और तुलनाएं जिन्हें किसी विज्ञापन में पृष्ठांकित किया जाता है अथवा जो विज्ञापन में प्रदर्शित किए जाते हैं, वे यह प्रकट करने में सक्षम हों कि वे निष्पक्ष रूप से अभिनिश्चित किए गए हैं और वे प्रमाणित भी हैं।
  - **सरोगेट (Surrogate) विज्ञापन पर:** जिन वस्तुओं या सेवाओं का विज्ञापन अन्यथा प्रतिबंधित है, वे अन्य वस्तुओं या सेवाओं (जिन्हें निषिद्ध नहीं किया गया है) के विज्ञापन द्वारा ऐसे प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करेंगे।
  - **नि:शुल्क दावों पर:** यदि किसी उपभोक्ता को उत्पाद खरीदने के दौरान लागत के अतिरिक्त और कुछ भी भुगतान करना पड़ता है, तो इस संदर्भ में संबंधित विज्ञापन में उक्त वस्तु या सेवा को मुफ्त, नि:शुल्क अथवा किसी अन्य समान पदावली के रूप में वर्णित नहीं किया जाएगा।
  - **प्रलोभन (Bait) देने वाले विज्ञापन पर:** किसी भी विज्ञापन के माध्यम से, जिसमें प्रस्तुत मूल्य वाली विज्ञापित किसी वस्तु अथवा सेवा के विक्रय का कोई तार्किक उद्देश्य निहित नहीं है, उसे क्रय करने हेतु उपभोक्ताओं को प्रलोभित करने का प्रयास नहीं किया जाएगा।

6.3. विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 {Foreign Contribution (Regulation) Amendment Act, 2020}

सुर्ख़ियों में क्यों?

विदेशी अभिदाय (अर्थात अंशदान) की प्राप्ति और उपयोग में पारदर्शिता लाने एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 में संशोधन करने के प्रयोजनार्थ विदेशी अभिदाय विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 {Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill (FCRA), 2020} को संसद द्वारा पारित कर दिया गया है।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम {Foreign Contribution Regulation Act (FCRA)} के बारे में

- FCRA को स्वैच्छिक संगठनों में विदेशी धन के प्रवाह को विनियमित करने के लिए लागू किया गया था, ताकि इस प्रकार के धन को किसी भी संभावित तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में प्रयोग होने से रोका जा सके।
- भारत में, **FCRA के माध्यम से व्यक्तियों, संघों और कंपनियों द्वारा दान की गई विदेशी निधियों की निगरानी गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा की जाती है।**
- विदेशी स्रोत द्वारा किसी भी मुद्रा, प्रतिभूति या वस्तु (किसी निर्दिष्ट मूल्य से परे) का दान / हस्तांतरण को विदेशी अभिदाय के रूप में संदर्भित किया जाता है।

संशोधन द्वारा किए गए प्रमुख प्रावधान

- **विदेशी अंशदान को स्वीकार करने पर प्रतिबंध:** इस अधिनियम के द्वारा चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों, किसी समाचार-पत्र के संपादक एवं प्रकाशक, न्यायाधीश, सरकारी सेवक, किसी भी विधायिका के सदस्यों आदि को किसी भी विदेशी अंशदान को स्वीकार करने से निषिद्ध किया गया है।
    - संशोधन इस सूची में **लोक सेवकों को भी शामिल** करता है। लोक सेवक की श्रेणी में कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल होता है, जो सरकार की सेवा में होता है, या सरकार से किसी भी सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन के लिए पारिश्रमिक या भुगतान प्राप्त करता है।
- **विदेशी अंशदान का हस्तांतरण:** अधिनियम के तहत, विदेशी अंशदान को किसी अन्य व्यक्ति को तब तक हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, जब तक कि ऐसे व्यक्ति को विदेशी अंशदान स्वीकार करने के लिए पंजीकृत नहीं किया गया है।
    - यह संशोधन **किसी अन्य व्यक्ति को विदेशी अंशदान के हस्तांतरण को प्रतिबंधित** करता है।
- **पंजीकरण के लिए आधार, पासपोर्ट और OCI कार्ड:** संशोधन में उपबंध किया गया है कि पूर्व अनुज्ञा या अनुमोदन के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को प्रमाण-पत्र के अनुदान या नवीकरण के लिए पदाधिकारी या निदेशक को अपनी आधार संख्या उपलब्ध करानी होगी। विदेशी होने के मामले में पहचान हेतु पासपोर्ट अथवा भारतीय विदेशी नागरिक की एक प्रति जमा करानी होगी।
- **FCRA खाता:** संशोधन में वर्णित है कि विदेशी अंशदान **बैंक द्वारा 'FCRA खाते' के रूप में** निर्दिष्ट खाते में ही प्राप्त किया जा सकता है। यह खाता केवल भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली की शाखा में ही खोला जा सकता है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।
    - विदेशी अंशदान के अतिरिक्त कोई धन इस खाते में प्राप्त या जमा नहीं किया जाएगा।
    - प्राप्त अंशदान को रखने या उपयोग करने के लिए व्यक्ति अपनी पसंद के किसी भी अनुसूचित बैंक में एक और FCRA खाता खोल सकता है।
- **विदेशी अंशदान के उपयोग में प्रतिबंध:** अधिनियम के तहत, यदि विदेशी अंशदान को स्वीकार करने वाला व्यक्ति **अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने का दोषी** पाया जाता है, तो अप्रयुक्त विदेशी अंशदान का उपयोग **केवल केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति** के साथ ही किया जा सकता है।
    - संशोधन में उपबंध किया गया है कि सरकार **संक्षिप्त जांच (summary inquiry), या ऐसी किसी लंबित जांच के आधार पर** ऐसे व्यक्तियों के लिए **अप्रयुक्त विदेशी अंशदान के उपयोग को भी प्रतिबंधित** कर सकती है।
- **लाइसेंस का नवीनीकरण:** अधिनियम के तहत, पंजीकरण का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अवधि की समाप्ति के छह माह के भीतर प्रमाण-पत्र को नवीनीकृत कराना होगा।
    - इस संशोधन के अनुसार, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए **प्रमाण-पत्र को नवीनीकृत करने से पूर्व जांच** कर सकती है कि व्यक्ति ने अधिनियम में निर्दिष्ट सभी शर्तों का अनुपालन किया है।
- **प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए विदेशी अंशदान के उपयोग में कमी:** इस अधिनियम के तहत, विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को केवल उसी उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करना चाहिए, जिसके लिए अंशदान प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त, उन्हें **50 प्रतिशत से अधिक अंशदान का उपयोग प्रशासनिक व्ययों को पूर्ण करने के लिए नहीं** करना चाहिए।

© Vision IAS

- ○ संशोधन ने इस **सीमा को घटाकर 20 प्रतिशत** तक कर दिया है।
- **पंजीकरण का निलंबन:** इस अधिनियम के तहत, सरकार **180 दिनों से अनधिक की अवधि के लिए किसी व्यक्ति के पंजीकरण को निलंबित** कर सकती है।
    - संशोधन में प्रावधान किया गया है कि इस प्रकार के **निलंबन को आगे और 180 दिनों तक बढ़ाया** जा सकता है।

6.3.1. गैर-सरकारी संगठनों का विनियमन (Regulation of NGOs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, गृह मंत्रालय ने गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त धन पर निगरानी और सख्त कर दी है।

गैर-सरकारी संगठन (NGOs) और उनका महत्व

- NGOs को **विश्व बैंक द्वारा एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है,** जो पीड़ितों को राहत प्रदान करने, निर्धनों के हितों को प्रोत्साहित करने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने या सामुदायिक विकास हेतु विभिन्न गतिविधियों का संचालन करते हैं।
- ये संगठन **सरकार का हिस्सा नहीं होते** हैं, किंतु इन्हें **विधिक दर्जा** प्राप्त होता है और ये ट्रस्ट (न्यास), सोसायटी या प्राइवेट लिमिटेड गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में **पंजीकृत** होते हैं।
- संवैधानिक रूप से गैर-सरकारी संगठन निम्नलिखित प्रावधानों द्वारा समर्थित हैं:
    - **अनुच्छेद 19(1)(c),** संघों (एसोसिएशन) के गठन का अधिकार देता है,
    - **अनुच्छेद 43(B),** सहकारी सोसाइटियों को बढ़ावा देता है,
    - **समवर्ती सूची** में धर्मार्थ संस्थानों, धार्मिक विन्यास (religious endowments) एवं धार्मिक संस्थानों का उल्लेख है।

भारत में गैर-सरकारी संगठनों के विनियमन के संबंध में प्रावधान

- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 {Foreign Exchange Management Act (FEMA)}, 1999:** कुछ गैर-सरकारी संगठन FEMA के तहत पंजीकृत हैं। ये NGOs भारत में विभिन्न संगठनों को विदेशी धन वितरित करते हैं।
    - FEMA को **वित्त मंत्रालय** द्वारा विनियमित किया जाता है। इसे बाह्य व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से **विदेशी मुद्रा से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए प्रस्तुत किया** गया था।
    - हालांकि, NGOs को दान की गई विदेशी निधियों की निगरानी के लिए **गृह मंत्रालय** के अंतर्गत **FCRA** नामक एक पृथक कानून मौजूद है।

6.4. प्रारूप विदुयत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 {Draft Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020}

सुर्ख़ियों में क्यों?

विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी इन नियमों का उद्देश्य प्रमुख सेवाओं की पहचान करना, इन सेवाओं के संबंध में न्यूनतम सेवा स्तर और मानकों को निर्धारित करना तथा उन्हें उपभोक्ताओं के अधिकारों के रूप में मान्यता प्रदान करना है।

जबकि विद्युत अधिनियम, 2003 में एक **उपभोक्ता चार्टर** है। नवीनतम प्रारूप उपभोक्ताओं को सशक्त बनाता है और उनके लिए नए **आपूर्ति अधिकार** प्रस्तुत करता है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- **प्रीपेड/स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए नए कनेक्शन:** विलंबित बिलिंग और गलत पैमाइश के मुद्दों को हल करने के लिए।
- **सेवा की विश्वसनीयता:** उपभोक्ताओं को उनके अधिकार के रूप में 24x7 विद्युत् आपूर्ति की पहचान करना। हालांकि कृषि जैसे उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों के लिए आपूर्ति के कम घंटे निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
- **उपभोक्ताओं को मुआवजा:** एक उपभोक्ता बिना किसी आपूर्ति के मुआवजे, बिजली की आपूर्ति में रुकावट और डिस्कॉम द्वारा बिजली आपूर्ति के मुद्दों को हल करने में लगने वाले समय के लिए क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है।
- **ऑनलाइन बिल भुगतान:** 1,000 रुपये या अधिक का बिल भुगतान ऑनलाइन किया जाना चाहिए और उपभोक्ताओं को छूट के माध्यम से डिजिटल रूप से भुगतान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

- **बिजली प्रॉज्यूमर:** प्रॉज्यूमर उपभोक्ताओं की ऐसी श्रेणी है, जिसमें एक विद्युत् उपभोक्ता भी एक आपूर्तिकर्ता बन जाता है। प्रारूप के अनुसार, कोई व्यक्ति एक नवीकरणीय प्रणाली को स्थापित कर सकता है और ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है तथा विक्रय की जाने वाली ऊर्जा को डिस्कॉम द्वारा की गई आपूर्ति के साथ समायोजित किया जाएगा।

6.5. सुर्ख़ियों में रहे अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम/विधेयक (Other Important Acts/Bills in News)

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक 2020 {Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) (Amendment) Bill 2020}	• स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विधेयक के प्रारूप में **कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, यथा-** ○ **धूम्रपान करने की** कानूनी आयु को **18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष** करना। ○ **खुली सिगरेट (loose cigarettes) की बिक्री को प्रतिबंधित करना।** ○ विमान पत्तनों, रेस्त्रां और होटलों में धूम्रपान करने वाले कमरों को समाप्त करना। ○ सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करने पर **जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये** करना। • **अवैध सिगरेट या तंबाकू उत्पादों के विनिर्माण या आयात पर कठोर दंड** और जुर्माने के आरोपण का प्रावधान करना।
संसद द्वारा वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया गया {Aircraft (Amendment Bill, 2020) Passed by Parliament}	• इस विधेयक के माध्यम से **वायुयान अधिनियम, 1934 में संशोधन किए गए हैं।** यह अधिनियम नागरिक विमानों के निर्माण, उपयोग, बिक्री और लाइसेंस को नियंत्रित करता है। • इसमें पहले से मौजूद **तीन निकायों को सांविधिक दर्जा प्रदान करने हेतु कुछ प्रावधान** शामिल किए गए हैं: ○ **नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA):** जिसे निरीक्षण और विनियामक दायित्व प्रदान किया गया है। ○ **नागर विमानन सुरक्षा कार्यालय:** जो नागर विमानन सुरक्षा से संबंधित विनियामक निरीक्षण कार्य हेतु उत्तरदायी है। ○ **विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो:** जो विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं से संबंधित जांच हेतु उत्तरदायी है। • यह DGCA को एयरलाइंस, विमान पत्तनों और अन्य विमानन संस्थाओं पर **1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना आरोपित करने का अधिकार प्रदान करता है।**
भारत में सट्टेबाज़ी (Betting in India)	वित्त राज्य मंत्री ने **भारत में सट्टेबाज़ी को वैध करने का प्रस्ताव** रखा है। **भारत में जुआ/ सट्टेबाज़ी विधानों के बारे में** • सट्टेबाज़ी शब्द जुए से संबंधित गतिविधि को संदर्भित करता है। जुआ एक सामान्य शब्द है, जबकि **सट्टेबाज़ी एक संरचना आधारित समझौता** है। • **सार्वजनिक द्युत अधिनियम, 1867 (Public Gambling Act, 1867)** भारत में जुए (द्यूतक्रीड़ा) को शासित करने की एक सामान्य विधि है। भारत में ऑनलाइन जुए को शासित करने की कोई विशिष्ट संघीय विधि उपलब्ध नहीं है। • **जुआ और सट्टेबाज़ी राज्य सूची के विषय** हैं। हालाँकि, राज्यों के द्यूत संबंधी विधानों के अंतर्गत जुए (द्युत) को परिभाषित नहीं किया गया है। • भारतीय कानून प्रत्येक खेल को **"कौशल के खेल" (game of skil) और "संयोग के खेल" (game of chance)** के रूप में विभेदित करता है। यह आभासी खेलों/अनुमानित परिणाम वाले खेलों (Fantasy Sports) को पारंपरिक सट्टेबाज़ी से अलग करता है। इस प्रकार, आभासी खेलों (Fantasy

© Vision IAS

	sports) में सट्टेबाज़ी वैध है क्योंकि यह कौशल का खेल है। • **द्यूत संबंधी विधानों के अंतर्गत निम्नलिखित को जुए में शामिल नहीं किया गया है:** o घुड़दौड़ पर सट्टेबाज़ी (विधिक विनियमों के अधीन); o कौशल के खेल (जो द्युत अधिनियम और न्यायालय के निर्णयों में उल्लिखित नहीं है); तथा o लॉटरी (भारत के लॉटरी संबंधी विधियों द्वारा विनियमित)। • इस प्रकार, आभासी खेलों (Fantasy sports) में सट्टेबाज़ी वैध है क्योंकि यह कौशल का खेल है। जहां पारंपरिक सट्टेबाज़ी में सट्टेबाज़ होते हैं, वहीं आभासी खेलों में आपका प्रतिद्वंदी एक अन्य खिलाड़ी होता है। • **सिक्किम और नागालैंड** स्पष्ट रूप से **ऑनलाइन जुए की अनुमति** देते हैं। हालाँकि, तेलंगाना जैसे राज्य भी हैं, जो **ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के जुए** पर **कठोर प्रतिबंध की नीति** का पालन करते हैं। • ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने खेलों में सट्टेबाज़ी को वैध करने तथा उसे विनियमित करने की दिशा में कुछ उपाय किए हैं। • वर्ष 2015 में न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति ने क्रिकेट में सट्टेबाज़ी को वैध करने की अनुशंसा की थी। हाल ही में विधि आयोग ने अपनी 276वीं रिपोर्ट में इसका समर्थन किया है।

7. सुर्ख़ियों में रहे संवैधानिक / सांविधिक / कार्यकारी निकाय (Important Constitutional / Statutory / Executive Bodies In News)

7.1. राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (National Recruitment Agency: NRA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करने हेतु एक स्वतंत्र निकाय 'राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA)' के गठन को स्वीकृति प्रदान की है।

प्रमुख विशेषताएं

- NRA **सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों में गैर-राजपत्रित पदों की भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (Common Eligibility Test: CET**) आयोजित करेगी।
- NRA, **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम** के अंतर्गत पंजीकृत एक सोसाइटी के रूप में होगी, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार में सचिव रैंक के अधिकारी (Chairman) द्वारा की जाएगी।
- इसमें रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) तथा बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) के **प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।**
- CET वर्ष में **दो बार आयोजित** की जाएगी। **विभिन्न स्तरों पर** रिक्तियों की भर्ती हेतु **स्नातक स्तर, 12वीं पास स्तर और 10वीं पास स्तर के लिए** पृथक-पृथक **CET आयोजित की जाएगी।**
- **आरंभ में CET को तीन एजेंसियों** अर्थात **RRB, IBPS और SSC द्वारा की गई भर्तियों हेतु आयोजित जाएगा**, किन्तु कालांतर में इसे चरणबद्ध रीति से अन्य भर्तियों तक भी विस्तारित किया जाएगा।
- CET **12 प्रमुख भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी।**
- CET उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने हेतु प्रथम परीक्षा होगी तथा **प्राप्त अंक तीन वर्ष के लिए मान्य होंगे।**

छात्र	संस्थान
• बहुउद्देशीय परीक्षाएं एकल परीक्षा के माध्यम से प्रतिस्थापित होंगी। • देश के प्रत्येक जिले में एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह अधिक से अधिक महिला अभ्यर्थियों को आवेदन हेतु प्रोत्साहित करेगा। • विभिन्न परीक्षाओं के कारण पड़ने वाले वित्तीय भार को एकल परीक्षा के माध्यम से कम करने में सहायता प्राप्त होगी। • ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में अभ्यर्थियों की सहायता हेतु योजनाबद्ध पहुँच और जागरूकता सुविधा प्रदान की जाएगी, जो अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेगी।	• वर्ष भर आयोजित होने वाली प्रत्येक परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र स्थापित करने की लागत में कमी होगी। • रिक्त पदों को तेजी से भरकर कुशल प्रशासन को बढ़ावा देते हुए एक एकल पात्रता परीक्षा भर्ती चक्र (recruitment cycle) को उल्लेखनीय रूप से कम करेगी। • NRA एकल परीक्षा आयोजित कर तथा अभ्यर्थियों से एक बार शुल्क लेकर भर्ती चक्र में पारदर्शिता व दक्षता सुनिश्चित करेगी।

© Vision IAS

7.2. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (National Medical Commission: NMC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) का गठन किया गया है, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (Medical Council of India: MCI) का स्थान ग्रहण करेगा।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) के बारे में

- NMC की स्थापना **राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम (NMC अधिनियम), 2019** के अंतर्गत की गई है, जिसके द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान अधिनियम, 1956 को निरस्त कर दिया गया है।
- **MCI से संबंधित मुद्दे:** स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का निम्नस्तरीय विनियमन, जवाबदेही का अभाव, कथित भ्रष्टाचार आदि।
- **यह अधिनियम एक ऐसी चिकित्सीय शिक्षा प्रणाली उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, जो निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:**
    - उपयुक्त तथा उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सीय पेशेवरों की उपलब्धता,
    - चिकित्सीय पेशेवरों द्वारा नवीनतम आयुर्विज्ञान अनुसंधान को अपनाना,
    - आयुर्विज्ञान संस्थानों का आवधिक मूल्यांकन करना तथा
    - शिकायतों के निपटान हेतु प्रभावी तंत्र निर्मित करना।
- **सदस्य:** NMC में 33 सदस्य होंगे,
    - **एक अध्यक्ष** (चिकित्सक होना अनिवार्य है),
    - **10 पदेन सदस्य** (जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्डों के अध्यक्ष, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक शामिल होंगें) तथा **22 अंशकालिक सदस्य** (जिनमें से कम से कम **60% सदस्य चिकित्सक** होने चाहिए)।
- **आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद:** इस अधिनियम के अंतर्गत, केंद्र सरकार **आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद** का गठन करेगी।
    - यह एक प्राथमिक मंच होगा, जिसके माध्यम से राज्य / संघ राज्यक्षेत्र NMC के समक्ष अपनी राय तथा चिंताएं प्रस्तुत कर सकते हैं।
    - इसके अतिरिक्त, परिषद NMC को आयुर्विज्ञान शिक्षा से संबंधित न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने और उसे बनाए रखने के उपायों पर परामर्श प्रदान करेगी।
- **NMC के कार्य:**
    - आयुर्विज्ञान संस्थानों तथा चिकित्सा पेशेवरों के विनियमन के लिए नीतियां तैयार करना।
    - स्वास्थ्य सेवा से संबंधित मानव संसाधन तथा अवसंरचना की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना।
    - इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित विनियमों का राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों द्वारा पालन सुनिश्चित करना।
    - इस अधिनियम के अंतर्गत विनियमित होने वाले निजी चिकित्सीय संस्थानों तथा डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50% तक सीटों पर शुल्क निर्धारित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना।
- **स्वशासी या स्वायत्त बोर्ड (Autonomous boards):** यह अधिनियम NMC के पर्यवेक्षणाधीन स्वायत्त बोर्ड स्थापित करता है। प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। **ये बोर्ड हैं:**
    - क्रमशः स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर मानक तय करने तथा चिकित्सीय या आयुर्विज्ञान शिक्षा का विनियमन करने हेतु **स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड (Under-Graduate Medical Education Board)** तथा **स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड (Post-Graduate Medical Education Board)।**
    - चिकित्सीय संस्थानों की निगरानी तथा रेटिंग के लिए **चिकित्सा आकलन तथा रेटिंग बोर्ड (Medical Assessment and Rating Board)।**
    - पेशेवर आचरण व चिकित्सीय नैतिकता का विनियमन व संवर्धन करने तथा साथ ही (a) लाइसेंसधारक आयुर्विज्ञान चिकित्सकों व (b) सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं (Community Health Providers: CHPs) के राष्ट्रीय पंजीयन को बनाए रखने हेतु **नैतिकता तथा चिकित्सीय पंजीकरण बोर्ड (Ethics and Medical Registration Board)।**

- **प्रवेश परीक्षा:** इस अधिनियम के तहत विनियमित सभी चिकित्सा संस्थानों में स्नातक तथा परास्नातक अति-विशिष्ट चिकित्सीय शिक्षा में प्रवेश के लिए एक समान राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। NMC ऐसे सभी चिकित्सा या आयुर्विज्ञान संस्थानों में प्रवेश के लिए सामान्य काउंसलिंग आयोजित करने की रीति को निर्दिष्ट करेगा।
- **नेशनल एग्जिट टेस्ट (NEXT):** प्रैक्टिस हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए चिकित्सा संस्थानों से स्नातक डिग्री प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को नेशनल एग्जिट टेस्ट नामक अंतिम वर्षीय स्नातक परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश का आधार भी होगी।
- **सीमित अनुज्ञप्ति (Limited licensing):** इस अधिनियम के तहत, NMC चिकित्सकों को आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा व्यवसाय से संबद्ध मध्यम स्तर पर चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए सीमित अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है। ये मध्यम स्तर के चिकित्सक प्राथमिक और निवारक स्वास्थ्य देखभाल में विनिर्दिष्ट औषधि विहित कर सकते हैं।

7.3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission: NHRC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और कष्टों के निवारणार्थ आवश्यक हस्तक्षेप के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने स्वतः संज्ञान के आधार पर उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसे न्यायालय ने अनुमति प्रदान कर दी है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में

- यह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (Protection of Human Rights Act: PHRA), 1993 के तहत अक्टूबर, 1993 में गठित एक सांविधिक निकाय है।
- इस अधिनियम में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) और मानवाधिकार न्यायालयों के गठन का भी प्रावधान किया गया है।
- **NHRC के कार्य और शक्तियां:**
  - NHRC, मानवाधिकार के उल्लंघन के संबंध में या तो याचिका प्राप्त करने के उपरांत या स्वतः संज्ञान के आधार पर शिकायतों का अन्वेषण करता है। यह **एक वर्ष के भीतर घटित** मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी मामले की सुनवाई करता है।
  - मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी आरोप की न्यायिक कार्यवाही में यह हस्तक्षेप कर सकता है।
  - कैदियों के रहने की दशाओं को देखने के लिए राज्य सरकार के नियंत्रण में किसी भी बंदीगृह या किसी अन्य संस्थान का दौरा कर सकता है और संबंधित अनुशंसाएं कर सकता है।
  - संविधान और अन्य विधि के अंतर्गत प्रदान किए गए मानवाधिकारों के संरक्षण से संबंधित सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है तथा उचित उपचारात्मक उपायों की अनुशंसा भी कर सकता है।
  - यह क्षतिपूर्ति के भुगतान की संस्तुति कर सकता है। परन्तु इसे मानवाधिकारों के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है और न ही इसे पीड़ित को कोई मौद्रिक राहत प्रदान करने की शक्ति है।
  - मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को आरंभ कर सकता है और बढ़ावा दे सकता है।
  - इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं और यह अंतरिम राहत प्रदान कर सकता है।
  - यह भारत के राष्ट्रपति को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जो उसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करता है।
- हाल ही में, संसद ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु **मानव अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019** पारित किया है।

प्रावधान	मूल अधिनियम (वर्ष 1993)	संशोधित अधिनियम (वर्ष 2019)
NHRC की संरचना	• मूल अधिनियम में यह प्रावधान था कि, उस व्यक्ति को NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, जो **उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश** रहा हो। • यह NHRC के सदस्यों के रूप में दो ऐसे	• यह इसमें संशोधन करता है और इसके अनुसार ऐसा व्यक्ति जो **भारत का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश** रहा हो, NHRC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र होगा। • यह इसमें संशोधन करता है और तीन सदस्यों को नियुक्त करने की व्यवस्था करता है जिनमें से कम से

© Vision IAS

	व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है, जो मानवाधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हों। (दो अन्य सदस्य- एक जो **उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश** रहा हो तथा दूसरा जो किसी **उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश** रहा हो) • अधिनियम के तहत, विभिन्न आयोगों जैसे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष NHRC के पदेन सदस्य होते हैं।	कम एक सदस्य **महिला** होगी। • यह **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग व राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्षों और दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त** को NHRC के पदेन सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रावधान करता है।
राज्य मानव अधिकार आयोग (SHRC) का अध्यक्ष	• मूल अधिनियम में यह प्रावधान था कि, SHRC का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी **उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश** रहा हो।	• यह इसमें संशोधन करता है और इसके अनुसार ऐसा व्यक्ति जो **उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश** रहा है, SHRC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र होगा।
पदावधि	• इस अधिनियम के अनुसार NHRC और SHRC के अध्यक्ष और सदस्य **पांच वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु तक**, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे। ○ इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम NHRC और SHRC के सदस्यों को पांच वर्ष की पदावधि के लिए पुनः नियुक्ति की अनुमति प्रदान करता है।	• इसके तहत पदावधि को कम करते हुए **तीन वर्ष या सत्तर वर्ष** की आयु तक, जो भी पहले हो, कर दिया गया है। ○ इसके तहत **पुनर्नियुक्ति के लिए पांच वर्ष की सीमा को हटा दिया गया है।**
संघ राज्यक्षेत्र		• इसके तहत प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार, संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा निर्वहन किए जा रहे मानवाधिकार से संबंधित कृत्यों को SHRC को सौंप सकती है। **दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के मामले में मानव अधिकारों से संबंधित कृत्यों के संबंध में NHRC द्वारा कार्यवाही की जाएगी।**

7.4. केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission: CVC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) द्वारा प्रणालीगत सुधारों के लिए नागरिकों के सुझावों को मंत्रालयों को प्रेषित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, CVC ने **"दंडात्मक सतर्कता" (punitive vigilance) दृष्टिकोण** की बजाय अपने **"निवारक सतर्कता" (preventive vigilance) दृष्टिकोण** के भाग के रूप में सुझावों की मांग की है।

- CVC द्वारा की गई यह कार्यवाही पूर्णतया एक नवीन प्रयोग है। इसे **विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में "प्रणालीगत सुधार" (systemic improvement) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया** है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के बारे में

- केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना वर्ष 1964 में संथानम समिति की अनुशंसाओं पर सतर्कता के क्षेत्र में केंद्र सरकार की एजेंसियों को सलाह देने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए की गई थी। इसे वर्ष 2003 में सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया था।
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC) एक बहु-सदस्यीय निकाय है। इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) होता है और अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त होते हैं।
    - उन्हें प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय गृह मंत्री और लोक सभा में विपक्ष के नेता सहित तीन सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

अन्य संबंधित तथ्य

सत्यनिष्ठा संधि

हाल ही में, केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission: CVC) ने सरकारी संगठनों में प्रापण/खरीद (procurement) गतिविधियों के लिए **"सत्यनिष्ठा संधि"** को अपनाने को लेकर **मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure: SOP)** में संशोधन किया है। साथ ही, एक संगठन में **स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों (Integrity External Monitors: IEM)** के अधिकतम कार्यकाल को तीन वर्ष तक सीमित कर दिया गया है।

सत्यनिष्ठा संधि के बारे में

- यह एक **सतर्कता साधन (vigilance tool)** है, जो भावी विक्रेताओं/बोलीदाताओं और क्रेताओं के मध्य एक समझौते की परिकल्पना करती है, जो दोनों पक्षों को अनुबंध के किसी भी पहलू पर किसी भी भ्रष्ट आचरण का व्यवहार न करने के लिए प्रतिबद्ध करती है।
- इसके कार्यान्वयन को स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों (IEM) द्वारा आश्वासन प्राप्त होता है, जो **निस्संदेह सत्यनिष्ठा (unimpeachable integrity)** वाले व्यक्ति होते हैं।
- इस प्रकार, **सत्यनिष्ठा संधि एक कानूनी दस्तावेज और प्रक्रिया दोनों** है। यह कई कानूनी व्यवस्थाओं के अनुकूल भी है।
- सत्यनिष्ठा समझौते को **वर्ष 1990 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा विकसित** किया गया था।

7.5. भारतीय विधि आयोग (Law Commission of India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा 22वें विधि आयोग का गठन किया गया है।

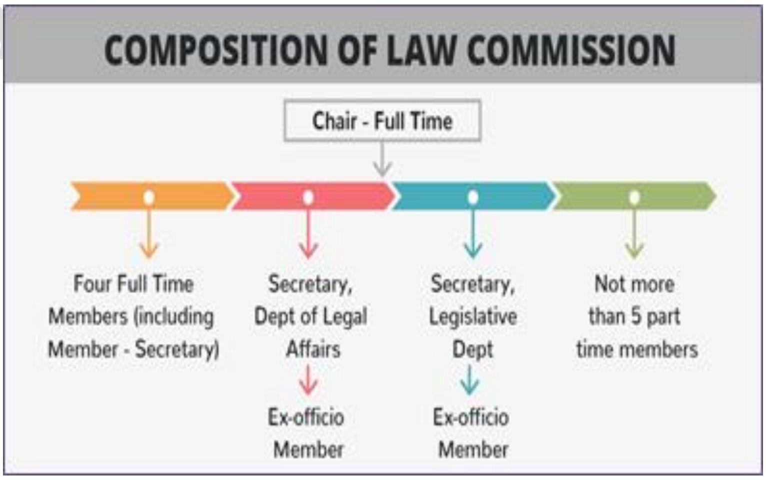

विधि आयोग के बारे में

- यह भारत सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाने वाली एक **संविधानेत्तर व गैर-सांविधिक निकाय** है। यह भारत सरकार के आदेश द्वारा गठित एक **कार्यकारी निकाय** है।
- विधि आयोग, केंद्र सरकार द्वारा संदर्भित या स्वतः संज्ञान द्वारा, भारत में **मौजूदा विधियों की समीक्षा और विधि संबंधी शोध को बढ़ावा देते हुए** उनमें सुधार व नए विधानों के अधिनियमन में मदद करता है।
- यह **न्याय वितरण प्रणाली** से संबंधित प्रक्रियाओं में हो रहे विलंब को दूर करने, मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने, मुकदमेबाजी की लागत में कमी आदि **में सुधार लाने के लिए अध्ययन एवं अनुसंधान संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देता है।**
- विधि **आयोग का कार्यकाल तीन वर्षीय होता** है और सामान्यतः इसे प्रत्येक तीन वर्ष के उपरांत गठित किया जाता है।
- यह सरकार का एक सलाहकारी निकाय है। इसलिए, इसकी अनुशंसाएं सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं।

© Vision IAS

- **प्रथम विधि आयोग** को वर्ष 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा **वर्ष 1834 में ब्रिटिश शासन काल के दौरान गठित किया गया था।** इसका अध्यक्ष **लॉर्ड मैकाले** था। इसने **भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता आदि को संहिताबद्ध** करने की अनुशंसा की थी।
- **स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन वर्ष 1955** में तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए किया गया था। इस आयोग के **अध्यक्ष श्री एम. सी. सीतलवाड़** थे, जो भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल भी थे।

7.6. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Record Bureau)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की "भारत में अपराध" 2019 रिपोर्ट (क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट-2019) जारी की गयी है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Record Bureau: NCRB) के बारे में

- NCRB को **अपराध और अपराधियों के बारे में सूचनाओं के संग्रहण** संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था, ताकि अपराध को अपराधियों से संबद्ध करने में जांचकर्ताओं को सहायता प्राप्त हो सके।
- इसकी अनुशंसा टंडन समिति, राष्ट्रीय पुलिस आयोग (वर्ष 1977-1981) और गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स (वर्ष 1985) द्वारा की गई थी।
- NCRB को **क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (CCTNS) परियोजना की निगरानी एवं कार्यान्वयन** संबंधी उत्तरदायित्व प्रदान किए गए हैं।

संबंधित प्रवृत्तियां

- वर्ष 2018 से 2019 तक की अवधि में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में **7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई** है।
- वर्ष 2018 से 2019 तक की अवधि में साइबर अपराध संबंधी मामलों में **63.5% की वृद्धि हुई है।**
- **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों के विरुद्ध किए गए अपराधों में वर्ष 2018 से वर्ष 2019 के दौरान क्रमशः 7.3% और 26.5% की वृद्धि हुई है।**
- वर्ष 2018 से 2019 के दौरान **बच्चों के विरुद्ध घटित अपराधों में 4.5% की बढ़ोतरी** हुई है।
- वर्ष 2018 से 2019 तक की अवधि में **मामलों को दर्ज करवाने** में **1.6% की वृद्धि** हुई है।
- वर्ष 2018 से 2019 तक की अवधि में राज्य के विरुद्ध होने वाले अपराधों की दर में **11.3%** की **गिरावट दर्ज** की गई है।

- NCRB का मुख्यालय **नई दिल्ली** में स्थित है और यह **गृह मंत्रालय के अधीन** कार्य करता है।
- **'क्राइम इन इंडिया' अर्थात 'भारत में अपराध' के प्रथम संस्करण को वर्ष 1953** में जारी किया गया था तथा वर्ष 2019 की रिपोर्ट अब तक का नवीनतम संस्करण है।
    - यह रिपोर्ट **विशेष और स्थानीय कानूनों तथा भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज अपराधों को शामिल** करती है।

इसके अन्य प्रकाशनों में शामिल हैं:

- भारत में आकस्मिक मौतें एवं आत्महत्याएं;
- कारागार सांख्यिकी भारत (Prison Statistics India);
- भारत में फिंगर प्रिंट्स; तथा
- भारत में गुमशुदा महिलाओं और बच्चों पर रिपोर्ट।

NCRB के प्रमुख उद्देश्य

- अपराध एवं अपराधियों पर सूचना एकत्र करना, जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध एवं अपराधियों पर सूचना भी शामिल है तथा **उनके समाशोधन गृह (clearing house) के रूप में कार्य करना।**
- संबंधित राज्यों, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरणों, न्यायालयों एवं अधिवक्ताओं से अंतर-राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों से संबंधित सूचनाओ को **एकत्र करना, समन्वय एवं विनिमय** करना तथा उन्हें सूचना प्रदान करना।
- अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के कर्मियों को **प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान** करना।

- **विदेशी अपराधियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड** जिसमें दोष-सिद्ध व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड भी शामिल हैं, उनके **राष्ट्रीय संग्रह के रूप में कार्य** करना।
- फिंगरप्रिंट एवं फूटप्रिंट्स से संबंधित मामलों पर **केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को सलाह देना, फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन** करना आदि।

7.7. सुर्खियों में रहें अन्य महत्वपूर्ण निकाय (Other Important Bodies in News)

सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के विनियमन के लिए समिति (Committee on Content Regulation in Government Advertising: CCRGA)	• केंद्र सरकार ने **उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों** के अनुपालन में सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर **सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के विनियमन की निगरानी** हेतु CCRGA का गठन किया है। • इसे **सामान्य-जन की शिकायतों के निवारण** हेतु अधिदेशित किया गया है। साथ ही यह "सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के विनियमन" से संबंधित उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के मामलों में **स्वतः संज्ञान** ले सकती है तथा **अनुशंसाएं** भी प्रदान कर सकती है। • हाल ही में इस समिति ने स्पष्ट किया है कि यदि राज्य, उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिवार्य किए गए 'विषय वस्तु विनियमन' के अनुरूप समितियों का गठन नहीं करते हैं, तो इसे उच्चतम न्यायालय के **आदेश की अवमानना** माना जाएगा।
ब्यूरो ऑफ़ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (BOC)	हाल ही में, **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय** ने केंद्र के पैसे से संचालित आउटरीच (पहुँच संबंधी) अभियानों हेतु **ब्यूरो ऑफ़ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (BOC)** की सूची में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सम्मिलित करने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों का प्रारूप जारी किया है। • इसे पूर्ववर्ती विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (DAVP), क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (DFP) और गीत एवं नाटक प्रभाग (S&DD) के एकीकरण द्वारा **वर्ष 2017 में गठित** किया गया था। • **अधिदेश:** यह लोगों का सशक्तीकरण करने तथा प्रिंट, ऑडियो-विज़ुअल, आउटडोर और डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाकर सरकार की ब्रांडिंग करने हेतु उत्तरदायी है।
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (National Film Development Corporation: NFDC)	• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ चार फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय को स्वीकृति प्रदान कर दी है। • **राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC)** एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम है। इसे वर्ष **1975 में निगमित किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय फिल्म उद्योग के संगठित, कुशल और एकीकृत विकास** को बनाए रखना व प्रोत्साहित करना है। • **फिल्म और मीडिया इकाइयाँ जिनका विलय किया गया है:** ○ **फिल्म्स डिवीजन (Films Division):** इसे वर्ष 1948 में स्थापित किया गया था। इसे मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रमों के प्रचार हेतु डॉक्यूमेंटरी (वृत्तचित्र) बनाने और समाचार पत्रिकाओं का प्रकाशन करने तथा भारतीय इतिहास का एक **सिनेमाई रिकॉर्ड** रखने के लिए

	विकसित किया गया था। ○ **बाल फिल्म सोसाइटी (Children's Film Society):** इसकी स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी। इसका उद्देश्य फिल्मों के माध्यम से **बच्चों और युवाओं** को **मूल्य-आधारित मनोरंजन** प्रदान करना है। ○ **भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (National Film Archives of India):** इसकी स्थापना वर्ष 1964 में **भारतीय सिनेमाई विरासत** के संग्रह और संरक्षण के प्राथमिक उद्देश्य के साथ की गई थी। ○ **फिल्म समारोह निदेशालय (Directorate of Film Festivals):** इसकी स्थापना वर्ष 1973 में **भारतीय फिल्मों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने** के लिए की गई थी।

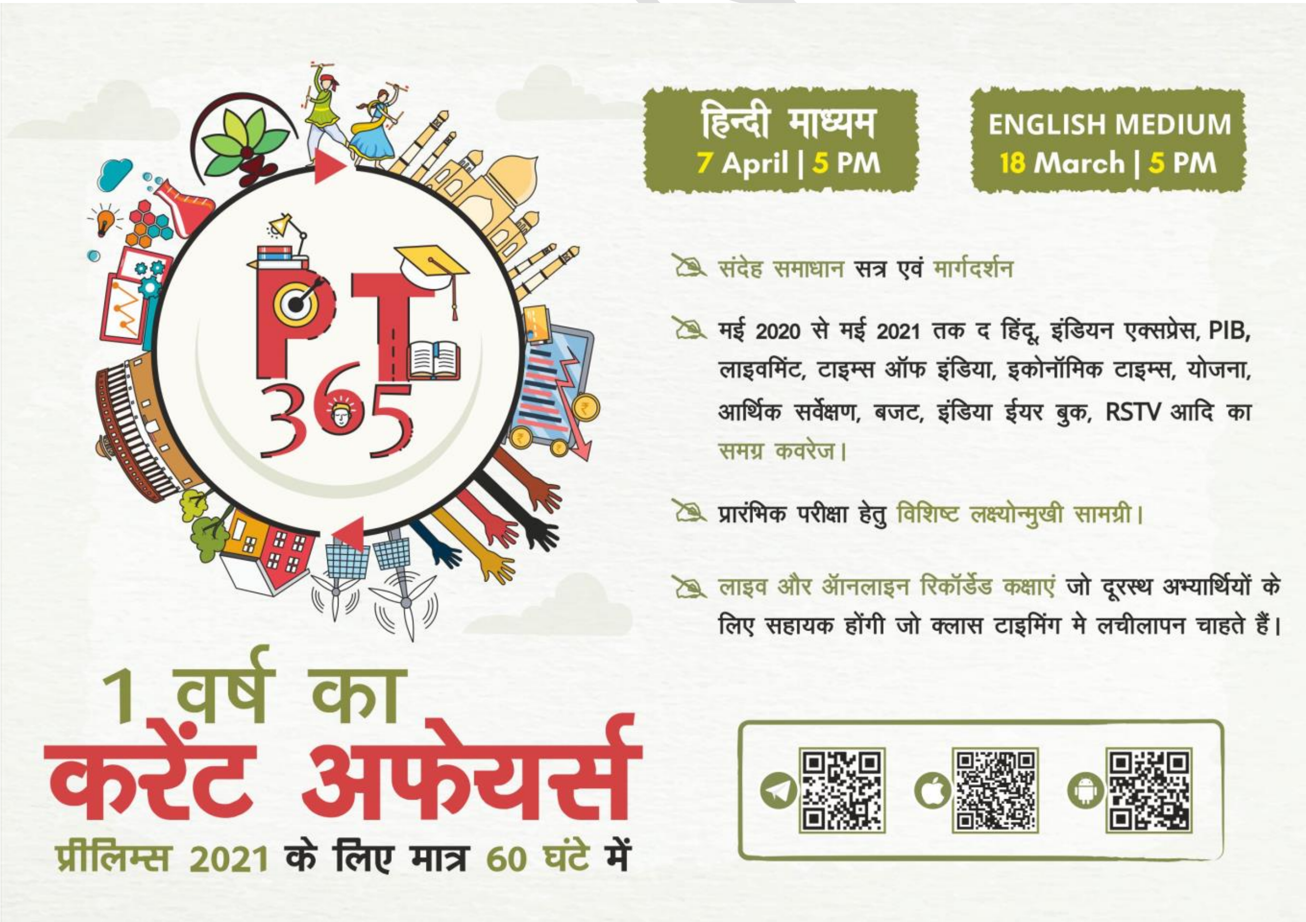

8. शासन के महत्वपूर्ण पहलू (Important Aspects of Governance)

8.1. आधार (Aadhar)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2018 के 'आधार' के संबंध में अपने दिए गए निर्णय की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका को 4-1 के बहुमत से ख़ारिज कर दिया है।

उक्त निर्णय के बारे में

- उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त वर्ष 2018 के निर्णय में **केंद्र की महत्वपूर्ण "आधार योजना" को संवैधानिक रूप से** वैध घोषित किया गया था। हालांकि, इसके कुछ प्रावधानों को निरस्त भी किया गया था।
    - **आयकर रिटर्न (ITR) भरने और स्थायी खाता संख्या (PAN) के आवंटन के लिए** आधार को अनिवार्य बना दिया गया है।
    - प्रमाणीकरण डेटा के भंडारण की **अवधि को पांच वर्ष से घटाकर छह माह** कर दिया गया है।
    - **बैंक खाता खुलवाने और मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए** आधार की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।
    - किसी भी कंपनी या निजी संस्था द्वारा पहचान के लिए आधार की मांग नहीं की जाएगी।
    - साथ ही **उच्चतम न्यायालय** ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर डेटा के साझाकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान पर **रोक लगा** दी है।
    - **कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी सब्सिडी की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड को** अनिवार्य कर दिया गया है।
- याचिका के तहत जिन दो आधारों पर उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के बहुमत से दिए गए निर्णय की समीक्षा करने की मांग की जा रही थी, **वे इस प्रकार हैं:**
    - **लोक सभा अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित कानून को धन विधेयक (Money Bill) के रूप में घोषित करने का निर्णय 'अंतिम' था और इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।**
        - वर्ष 2018 में, उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि लोक सभा अध्यक्ष के निर्णय को कुछ विशेष परिस्थितियों में ही **न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।**
    - **आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं के लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016** {Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016} को अनुच्छेद 110(1) के तहत **धन विधेयक** (Money Bill) के रूप में उचित रूप से प्रमाणित किया गया था।
        - SC ने अपने निष्कर्ष में कहा था कि आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में लाना उचित प्रक्रिया थी।

आधार के बारे में

- आधार मुख्यतः भारत के सभी निवासियों के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी **12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या** है।
- **आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं के लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016** के प्रावधानों के तहत स्थापित UIDAI एक सांविधिक प्राधिकरण है। UIDAI इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
- आधार में बायोमेट्रिक डेटा के साथ **चार प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी**, यथा- नाम, आयु, लिंग और पते को समाविष्ट किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त, आधार के तहत वर्चुअल आई.डी.जैसी नई विशेषताओं को भी शामिल किया गया है, जो किसी व्यक्ति की निजता को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं।
- आधार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कल्याणकारी सेवाओं पर निर्भर देश के बहुसंख्यक निवासियों को कुशल, पारदर्शी और

संबंधित तथ्य

- 95% वयस्कों और 75% बच्चों के आधार नामांकन को पूर्ण कर लिया गया है।
- 8% या अनुमानित 102 मिलियन लोगों का आधार नामांकन नहीं हो पाया है।
- 80% लाभार्थियों का कहना है कि आधार नामांकन प्रक्रिया के कारण PDS राशन, मनरेगा और सामाजिक पेंशन को और अधिक विश्वसनीय बनाने में सहायता प्राप्त हुई है।

लक्षित आधार पर **सेवा वितरण करने के लिए** राज्य की क्षमता में सुधार करना है।
- हाल ही में, **आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019** (Aadhaar and Other Laws (Amendment) Act, 2019) को मार्च 2019 में प्रख्यापित अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए संसद द्वारा पारित किया गया था।

संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:

- **आधार संख्या धारकों का ऑफलाइन सत्यापन:** यह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा निर्दिष्ट विनियमों के तहत वर्णित विधियों के माध्यम से प्रमाणीकरण के बिना, किसी व्यक्ति की पहचान के 'ऑफ़लाइन सत्यापन' की अनुमति प्रदान करता है।
- **स्वैच्छिक उपयोग:** एक व्यक्ति प्रमाणीकरण या ऑफ़लाइन सत्यापन द्वारा अपनी पहचान स्थापित करने के लिए स्वैच्छिक रूप से अपने आधार नंबर का उपयोग कर सकता है। किसी भी सेवा के प्रावधान हेतु आधार के तहत किसी व्यक्ति की पहचान का प्रमाणीकरण, केवल संसद द्वारा निर्मित विधि के अधीन ही अनिवार्य बनाया जा सकता है।
    - यह **जन्म व मृत्यु पंजीकरण के लिए** अनिवार्य नहीं है।
- इसके तहत **टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002** को संशोधित किया गया है। इसके अनुसार टेलीकॉम कंपनियां, बैंक और वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों की पहचान को अग्रलिखित के माध्यम से सत्यापित कर सकते हैं यथा: (i) आधार का प्रमाणीकरण या ऑफ़लाइन सत्यापन (ii) पासपोर्ट अथवा (iii) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य दस्तावेज।
- व्यक्ति के पास अपनी पहचान को सत्यापित करने के लिए किसी भी विधि का उपयोग करने का **विकल्प** होगा और किसी भी व्यक्ति के पास आधार नंबर नहीं होने पर उसे किसी भी सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा।
- **आधार का उपयोग करने वाली संस्थाएं:** किसी भी संस्था को आधार के माध्यम से प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है, यदि UIDAI इस तथ्य से संतुष्ट हो जाता है कि वह संस्था: (i) गोपनीयता और सुरक्षा के कुछ मानकों का अनुपालन करती है या (ii) उसे कानून द्वारा अनुमति प्राप्त है या (iii) राज्य के हित में केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए प्रमाणीकरण हेतु प्रयास कर रही है।
- **बच्चों के आधार नंबर:** आधार नंबर प्राप्त करने के लिए बच्चे का नामांकन करते समय, नामांकन करने वाली एजेंसी को बच्चे के माता-पिता या अभिभावक की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। बच्चे द्वारा अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरांत अपने आधार को रद्द करने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- **कुछ मामलों में सूचना का प्रकटीकरण:** केवल उच्च न्यायालयों (या इससे ऊपर) द्वारा आदेश के लिए प्रकटीकरण की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सूचना का प्रकटीकरण करने संबंधी** निर्देश केवल सचिव या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा ही जारी किया जा सकता है।
- **UIDAI निधि:** इस अधिनियम के तहत एक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निधि का सृजन किया गया है। UIDAI द्वारा प्राप्त सभी शुल्क, अनुदान और शुल्क इस निधि में जमा किए जाएंगे। निधि का उपयोग UIDAI के व्ययों (जिसमें कर्मचारियों के वेतन और भत्ते शामिल हैं) के लिए किया जाएगा।
- **शिकायतें:** यह किसी व्यक्ति को अपनी पहचान का प्रतिरूपण या अन्य व्यक्ति द्वारा प्रकटीकरण सहित कुछ मामलों में शिकायत दर्ज करने की अनुमति प्रदान करता है।
- यह नामांकन एजेंसियों, आग्रह करने वाली एजेंसियों और ऑफ़लाइन सत्यापन हेतु प्रयासरत संस्थाओं को शामिल करने के लिए आधार पारितंत्र को परिभाषित करता है।
- **अर्थदंड:** UIDAI आधार पारितंत्र में किसी भी संस्था के विरुद्ध शिकायत संबंधी पहल कर सकता है यदि वह संस्था (1) आधार अधिनियम या UIDAI के निर्देशों का पालन करने में तथा (2) UIDAI द्वारा अपेक्षित सूचनाओं को प्रस्तुत करने में विफल रहती है। इसके अतिरिक्त दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण, निर्णयन अधिकारी के निर्णयों के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

8.2. 'मिशन कर्मयोगी' (Mission Karmayogi)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा "मिशन कर्मयोगी"- राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (National Programme for Civil Services Capacity Building: NPCSCB) को स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रमुख विशेषताएँ

- **वित्तीय आवंटन:** इसके तहत लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सम्मिलित करने के लिए, वर्ष 2020-21 से लेकर वर्ष 2024-25 तक, **5 वर्षों की अवधि के दौरान 510.86 करोड़ रुपये** की धनराशि व्यय की जाएगी। यह व्यय आंशिक रूप से 50 मिलियन अमरीकी डॉलर तक की सहायता से **बहुपक्षीय सहयोग द्वारा वित्त पोषित** है।
- **NPCSCB के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांतों के अंतर्गत शामिल हैं:**
  - सिविल सेवकों को उनके पद की आवश्यकताओं के अनुसार आवंटित कार्यों को उनकी क्षमताओं के साथ समायोजित कर **'नियम आधारित (Rules based)' से 'भूमिका आधारित (Roles based)' मानव संसाधन (HR) प्रबंधन को अपनाया जाएगा।**
  - **'ऑफ साइट लर्निंग' (सीखने की पद्धति)** को बेहतर बनाते हुए **'ऑन साइट लर्निंग'** पर बल दिया जाएगा।
  - शिक्षण सामग्री, संस्थानों और कर्मियों सहित **साझा प्रशिक्षण अवसंरचना** के एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।
  - सिविल सेवा से संबंधित सभी पदों को **भूमिकाओं, गतिविधियों तथा दक्षता ढांचा (Framework of Roles, Activities and Competencies: FRACs)** आधारित दृष्टिकोण के साथ अद्यतित करना।
  - सभी सिविल सेवकों को अपनी **व्यवहारात्मक, कार्यात्मक और कार्यक्षेत्र से संबंधित दक्षताओं (Behavioral, Functional and Domain Competencies)** को निरंतर विकसित एवं सुदृढ़ करने का अवसर उपलब्ध कराना।
  - सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को साझे पारिस्थितिकी तंत्र के **सह-निर्माण** की दिशा में **अपने संसाधनों को प्रत्यक्ष रूप से निवेश करने में सक्षम बनाना।**
  - सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों आदि सहित सीखने की प्रक्रियाओं से संबंधित **सर्वोत्तम विषय-वस्तु के निर्माताओं के साथ** साझेदारी करना।
- इस कार्यक्रम को **एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण-आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म (iGOT Karmayogi Platform)** की स्थापना द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। यह क्षमता निर्माण के लिए व्यवस्थित व डिजिटल ई-लर्निंग सामग्री उपलब्ध करवाएगा। क्षमता विकास के अतिरिक्त, सेवा मामलों जैसे कि परिवीक्षा अवधि (probation period) के पश्चात पुष्टीकरण या स्थायीकरण, तैनाती, कार्य निर्धारण और रिक्तियों की अधिसूचना इत्यादि को अंतत: प्रस्तावित दक्षता या योग्यता संरचना के साथ एकीकृत कर दिया जाएगा।
  - आईगॉट (iGOT)-कर्मयोगी मंच के सभी उपयोगकर्ताओं के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक **उपयुक्त निगरानी और मूल्यांकन ढांचा** भी निर्धारित किया जाएगा, ताकि **मुख्य प्रदर्शन संकेतकों** (Key Performance Indicators) का **डैशबोर्ड अवलोकन** तैयार किया जा सके।
- **संस्थागत संरचना:**
  - **प्रधान मंत्री की सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद {Prime Minister's Public Human Resources (HR) Council}:** यह परिषद **प्रधान मंत्री की अध्यक्षता** में सिविल सेवा सुधार और क्षमता निर्माण के कार्य को रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगी। इसमें कुछ चयनित केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रख्यात सार्वजनिक मानव संसाधन पेशेवर, विचारक, वैश्विक विचारक और लोक सेवा पदाधिकारी शामिल होंगे।
  - **क्षमता विकास आयोग:** इस आयोग की निम्नलिखित भूमिका होगी-
    - वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाओं का अनुमोदन करने में प्रधान मंत्री की सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद की सहायता करना तथा हितधारक विभागों के साथ इन योजनाओं के क्रियान्वयन का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करना।
    - सिविल सेवा क्षमता विकास से संबद्ध सभी **केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों का कार्यात्मक निरीक्षण** करना।
    - आंतरिक एवं बाह्य संकाय और संसाधन केंद्रों सहित साझा अधिगम (लर्निंग) संसाधनों को सृजित करना।
    - सभी सिविल सेवाओं में करियर के मध्य में सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मानदंड निर्धारित करना।

© Vision IAS

- सरकार को मानव संसाधन के प्रबंधन, प्रशिक्षण और क्षमता विकास के क्षेत्रों में आवश्यक नीतिगत उपायों का सुझाव देना।

- **स्पेशल पर्पज व्हीकल (विशेष प्रयोजन वाहन):** इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए डिजिटल परिसम्पत्ति और **आईगॉट-कर्मयोगी** प्लेटफॉर्म का स्वामित्व धारण एवं संचालन करने के लिए की जाएगी।
- **कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में समन्वय एकक (Coordination Unit) की भी स्थापना की जाएगी।**

8.3. व्हिसल-ब्लोअर संरक्षण (Whistle-Blower Protection)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के उपराष्ट्रपति ने सभी कॉर्पोरेट्स को यह सुझाव दिया है कि वे **व्हिसलब्लोइंग (अर्थात् सूचना प्रदायगी या मुख़बिरी) तंत्र** को प्रोत्साहित करें और **सूचना प्रदाता (अर्थात् व्हिसल-ब्लोवर्स) के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों** की व्यवस्था करें।

व्हिसलब्लोइंग के बारे में

- व्हिसलब्लोइंग वस्तुतः सार्वजनिक, निजी या तृतीय-क्षेत्र के संगठनों के भीतर जारी **अनुचित कृत्यों, कदाचार, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी आदि की गतिविधियों के बारे में** किसी प्राधिकारण या अधिकारी या जनता का ध्यान आकर्षित करने का एक कार्य है। यदि साधारण भाषा में वर्णित करें तो इसका अर्थ यह है कि एक सूचना प्रदाता (whistle-blower) गोपनीय या खुले तौर पर सिटी बजाकर (अर्थात् मुख़बिरी कर) उपर्युक्त अनुचित या अनैतिक गतिविधियों को प्रकट करता है।
- इस संबंध में व्हिसल-ब्लोअर **एक वर्तमान या पूर्व कर्मचारी, निदेशक, अधिकारी, कंपनी का सचिव, वस्तुओं या सेवाओं का आपूर्तिकर्ता या स्वयंसेवक** हो सकता है।

भारत में व्हिसलब्लोइंग की स्थिति तथा व्हिसल-ब्लोअर्स की सुरक्षा के लिए तंत्र

- **सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2014 (The Whistleblowers Protection Act, 2014):**
  - यह अधिनियम **किसी भी लोक सेवक द्वारा कृत भ्रष्टाचार, जानबूझकर शक्ति के दुरुपयोग या विवेकाधिकार के दुरुपयोग** को प्रकट करने वाले व्यक्तियों को उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, इसमें सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) की पहचान को सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है।
  - यह अधिनियम एक **व्हिसल ब्लोअर की एक व्यापक परिभाषा प्रदान करता है।** इस अधिनियम के अनुसार, सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ कोई अन्य व्यक्ति या गैर-सरकारी संगठन भी व्हिसल ब्लोअर्स हो सकते हैं।
  - **शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 {Official Secrets Act (OSA), 1923}** के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई लोक सेवक या व्यक्ति **सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लोकहित प्रकटन (public interest disclosure) अर्थात् लोक हित में कोई सूचना प्रकट कर सकता** है।
  - यह लोगों को भ्रष्टाचार के बारे में या मंत्रियों सहित लोक सेवकों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रणाली भी प्रदान करता है।
  - इस अधिनियम के उपबंध **संघ के सशस्त्र बलों पर लागू नहीं** होते हैं।
  - कोई भी **प्रकटीकरण (disclosures)** (अर्थात् जिस तथ्य को उजागर किया जाना है) लिखित रूप में या ईमेल के माध्यम से किया जा सकता है। सूचना प्रदाता के लिए यह आवश्यक है कि वह पूर्ण विवरण प्रदान करे। साथ ही, वह सहायक दस्तावेज या अन्य सामग्री उपलब्ध करवा सकता है।
  - सक्षम प्राधिकारी के किसी भी आदेश से व्यथित/प्रभावित कोई व्यक्ति, उक्त आदेश की तिथि से **साठ दिनों की अवधि के भीतर, उच्च न्यायालय में अपील** कर सकता है।
  - **उत्पीड़न के विरुद्ध रक्षोपाय:** केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि **कोई भी व्यक्ति या लोक सेवक, जिसने इस अधिनियम के तहत कोई प्रकटीकरण किया है, वह किन्हीं कार्यवाहियों के तहत उत्पीड़ित न हो।**
  - यदि कोई व्यक्ति, असद्भाव से या जानबूझकर शिकायतकर्ता की पहचान प्रकट करता है, तो उसे दंडित किया जाएगा।
  - **सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015** {The Whistle Blowers Protection (Amendment) Bill, 2015} को वर्ष 2014 के अधिनियम में संशोधन करने के लिए लोक सभा में पुरःस्थापित गया था, परन्तु यह वर्ष 2019 में लोक सभा का विघटन होने के कारण व्यपगत हो गया था।

* **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम {SEBI PIT (Prohibition of Insider Trading) Regulations}:** यह विनियम इनसाइडर ट्रेडिंग (अंतरंग व्यापार) से संबंधित मामलों के बारे में सूचना या जानकारी प्रकट करने के लिए व्हिसल ब्लोअर्स और अन्य सूचना प्रदाताओं को पुरस्कृत करने का प्रावधान करता है।
  * जब किसी कंपनी या निगम में कार्य करने वाले व उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति के पास उस कंपनी या निगम की प्रतिभूतियों (या शेयरों) के अप्रकाशित मूल्य की संवेदनशील जानकारी होती है तथा वह व्यक्ति उक्त जानकारी का दुरुपयोग कर उन प्रतिभूतियों (या शेयरों) के व्यापार में संलग्न होता है (या फिर अवैध तरीके से किसी बाह्य व्यक्ति अथवा संस्था को उक्त जानकारी प्रदान करता है), तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग (अंतरंग व्यापार) कहते हैं।
* **कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2013):** इस अधिनियम ने स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया है कि उनके द्वारा व्हिसल ब्लोअर्स की शिकायतों की जांच के लिए एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया जाए।

8.4. भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता (IPC and CrPC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

गृह मंत्रालय द्वारा आपराधिक कानूनों, यथा- भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code: IPC) और और दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure: CrPC) की व्यापक समीक्षा करने हेतु **रणबीर सिंह की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय समिति** का गठन किया गया है।

भारतीय दंड संहिता (IPC) और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC)

आधार	IPC	CrPC
उद्देश्य	**यह अपराध की परिभाषा को निर्धारित करता है**	**यह आपराधिक कानूनों के विनियमन हेतु प्रक्रिया के बारे में सूचित करता है**
पृष्ठभूमि	• यह भारत की आधिकारिक संहिता है • इसके प्रारूप को प्रथम भारतीय विधि आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर वर्ष 1860 में तैयार किया गया था। • यह आपराधिक कानून के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को सम्मिलित करता है।	• इसे वर्ष 1973 में अधिनियमित किया गया था। हालांकि, इसे वर्ष 1882 में निर्मित किया गया था। • यह अपराध की जांच के लिए एक मशीनरी/तंत्र के रूप में कार्य करता है। • यह साक्ष्य संग्रह, अपराध/निर्दोषता और सजा के निर्धारण के लिए भी एक तंत्र के रूप में कार्य करता है।
समीक्षा हेतु कौन प्राधिकृत है?	• **पुलिस अनुसंधान और विकास का ब्यूरो (Bureau of Police Research and Development: BPRD)** द्वारा समीक्षा की जाएगी ○ BPRD की स्थापना वर्ष 1970 में की गई थी। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।	

8.5. एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (One Nation, One Ration Card: ONORC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कोविड-19 के प्रकोप के मध्य **आर्थिक राहत पैकेज के हिस्से के रूप में,** केंद्र सरकार ने **मार्च 2021** से राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में **'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' प्रणाली** को लागू करने की घोषणा की है।

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के बारे में

* इस **'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' प्रणाली** के तहत, लाभार्थी आधार कार्ड से जुड़े अपने मौजूदा/समरूप राशन कार्ड का उपयोग कर देश में किसी भी FPS से सब्सिडी युक्त खाद्यान्न की खरीद कर सकेंगे।

© Vision IAS

- उल्लेखनीय है कि **वर्तमान PDS** के तहत, एक **राशन कार्डधारक** केवल उसी **FPS** से खाद्यान्न की खरीद कर सकता है जो उसके अधिवासित क्षेत्र में स्थित होती है।
- **पार्थ मुखोपाध्याय** की अध्यक्षता वाले **'वर्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेशन'** ने वर्ष 2017 में PDS और इसके लाभों की पोर्टेबिलिटी की संस्तुति की थी।
- इसके पश्चात्, सरकार ने अप्रैल 2018 में **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन (IM-PDS)** की शुरुआत की थी। **(बॉक्स देखें)**
- यह नई प्रणाली FPS में स्थापित **इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (electronic Point of Sale: ePoS)** उपकरणों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से लाभार्थी की पहचान करेगी।
- इसके तहत, एक प्रवासी व्यक्ति को उसके **परिवार के लिए निर्धारित कोटा के अधिकतम 50% तक खाद्यान्न खरीदने की अनुमति प्राप्त होगी।** इससे यह सुनिश्चित हो पाएगा कि व्यक्ति, किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित होने के पश्चात् एक बार में संपूर्ण परिवार के लिए निर्धारित कोटे के बराबर खाद्यान्न न खरीद पाए।

राशन कार्ड के बारे में

- यह **राज्य सरकार** के एक आदेश या प्राधिकार के तहत जारी किया गया **एक दस्तावेज** होता है। **सार्वजनिक वितरण प्रणाली** (Public Distribution System: PDS) के माध्यम से इसका प्रयोग कर, **सब्सिडी दरों** पर उचित मूल्य की दुकान (Fair Price Shop: FPS) से **आवश्यक वस्तुओं की खरीद** की जाती है।
- राज्य सरकारें निर्धनता रेखा से ऊपर (Above Poverty line: APL), निर्धनता रेखा से नीचे (Below Poverty line: BPL) और अंत्योदय परिवारों को **विशिष्ट राशन कार्ड** जारी करती हैं तथा राशन कार्डों की आवधिक समीक्षा एवं जांच करती हैं।
- **पहचान हेतु प्रमाण-पत्र (Proof of identification):** यह अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों, जैसे- निवास प्रमाण-पत्र, निर्वाचक सूची में नाम दर्ज करवाने आदि के लिए आवेदन करते समय, पहचान का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है।

- एक बार **आधार सीडिंग (सेवा प्रदाता के डाटाबेस में निवासी के आधार संख्या को जोड़ा जाना) के 100 प्रतिशत होने और ePoS उपकरणों की 100 प्रतिशत स्थापना के पश्चात्,** राशन कार्डों की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी को लागू कर दिया जाएगा। वर्तमान में, यह 17 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में लागू है।

लाभ

- **ONORC योजना** राशन कार्डों की **अंतराराज्य (intra-state)** के साथ-साथ **अंतरराज्यिक (interstate) पोर्टेबिलिटी** प्रदान करती है, जिससे **अंतर/अंतरा राज्य प्रवासी** सर्वाधिक लाभान्वित होंगे।
  - **IMPDS पोर्टल** पर अंतरराज्यिक पोर्टेबिलिटी उपलब्ध होगी; तथा
  - **अन्नवितरण पोर्टल** पर अंतरा-राज्यीय पोर्टेबिलिटी उपलब्ध होगी।
    - लाभार्थियों को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न के वितरण हेतु ePoS उपकरणों के माध्यम से किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को प्रदर्शित करने के लिए **"अन्नवितरण पोर्टल"** की शुरुआत की गई है। यह पोर्टल जिला स्तर तक खाद्यान्नों के आवंटन और वितरित मात्रा के साथ-साथ लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण की अखिल भारतीय स्थिति को भी प्रदर्शित करता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन' (Integrated Management of Public Distribution System: IMPDS) योजना

- IMPDS **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है, जिसे **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय** के तहत लागू किया गया है।
- **उद्देश्य:**
  - **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013** के तहत खाद्यान्न वितरण में **देशव्यापी पोर्टेबिलिटी** का कार्यान्वयन करना।
  - लाभार्थी डेटा (आधार आधारित) अर्थात् लाभार्थियों के दुहराव को रोकने (deduplication) हेतु **राष्ट्रीय स्तर पर डेटा निक्षेपागार (national level data repository)** का सृजन करना।
  - निरंतर सुधार लाने हेतु **डेटा विश्लेषण संबंधी उन्नत तकनीकों** का उपयोग करना।

- यह एक एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से **फर्जी राशन कार्ड धारकों को सूची से हटाने** में सहायता करता है।
- यह रिसाव आदि को रोककर **बढ़ते खाद्य सब्सिडी बिल को नियंत्रित** कर सकता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 {National Food Security Act, 2013 (NFSA)}

- यह खाद्य सुरक्षा के संबंध में **कल्याणकारी दृष्टिकोण** से **"अधिकार-आधारित दृष्टिकोण"** की ओर परिवर्तन का परिचायक है।

- यह अधिनियम विधिक रूप से **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System: TPDS)** के तहत सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% तक ग्रामीण आबादी को और 50% तक शहरी आबादी को अधिकार प्रदान करता है।
- **NFSA** के तहत, लगभग 81 करोड़ लोगों को सब्सिडी युक्त अर्थात् रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। ये लाभार्थी TPDS के अंतर्गत आने वाले अपने निकटवर्ती FPS से 3 रुपये / किलोग्राम की दर से चावल, 2 रुपये / किलोग्राम की दर से गेहूं तथा 1 रुपया / किलोग्राम की दर से मोटा अनाज खरीदने के हकदार हैं।
- इसका संचालन केंद्र और राज्य सरकारों की **संयुक्त जवाबदेही** के तहत किया जाता है।
    - **केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व:** राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को **खाद्यान्नों का आवंटन** करना, नामित डिपो तक खाद्यान्न का परिवहन करना और FCI (भारतीय खाद्य निगम) गोदामों से FPSs तक खाद्यान्न वितरण के लिए राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता प्रदान करना।
    - **राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व:** पात्र परिवारों की **पहचान** करना और राशन कार्ड जारी करना तथा FPSs की कार्यप्रणाली की निगरानी के साथ-साथ **परिचालन संबंधी कार्य करना।**

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS)

- इसे वर्ष 1997 में निर्धन जनसंख्या पर ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रारंभ किया गया था। TPDS के तहत, लाभार्थियों को निम्नलिखित 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
    - निर्धनता रेखा से नीचे- **BPL परिवार** तथा
    - निर्धनता रेखा से ऊपर- **APL परिवार।**
- TPDS को और अधिक केंद्रित तथा लक्षित बनाने हेतु वर्ष 2000 में **अंत्योदय अन्न योजना** प्रारंभ की गई थी।
    - यह BPL लाभार्थियों के मध्य **सबसे निर्धन परिवारों (poorest of the poor families)** पर केंद्रित है।

8.6. बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों का विनियमन (Regulation of Big Tech Companies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

फेसबुक, गूगल जैसी बड़ी-प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा एकाधिकार शक्ति के दुरुपयोग के कारण इन पर संपूर्ण विश्व में कई जाँचें संचालित की जा रही हैं।

बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए विनियामकीय तंत्र	
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000	• **यह अधिनियम कंप्यूटर संसाधनों के उपयोग से संबंधित सभी गतिविधियों को शासित करता है** तथा सभी 'मध्यवर्तियों' को सम्मिलित करता है जो कंप्यूटर संसाधनों और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों (रिकॉर्ड) के उपयोग में भूमिका निभाते हैं। • "किसी कंप्यूटर संसाधन में सृजित, पारेषित, प्राप्त और भण्डारित किसी भी सूचना के अन्तररोधन, निगरानी या विगूढ़न" पर केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)	• सहभागिता और प्रवर्तन के माध्यम से अनुकूल प्रतिस्पर्धी संस्कृति का संवर्धन करना और बनाए रखना। • यह निर्धारित करता है कि क्या किसी प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपनी प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग किया है। • यह CCI को एक प्रभावी कंपनी को विभाजित करने का अधिकार प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी कंपनी अपनी प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग न करे जिसका बाद में आह्वान किया जा सकता हो।

© Vision IAS

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate: ED)	• बिज़नस टू कस्टमर (B2C) उद्यमों के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) मामले की निगरानी करता है।

8.7. इंटरनेट शटडाउन (Internet Shutdowns)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यूनाइटेड किंगडम स्थित एक कंपनी **टॉप 10 वी.पी.एन. (Top10VPN)** की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में इंटरनेट शटडाउन (अर्थात् इंटरनेट को बंद करना या इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाना या अवरुद्ध करना) के कारण **भारत को लगभग 2.8 बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है।** ज्ञातव्य है कि इसके कारण विश्व अर्थव्यवस्था को हुए लगभग 4 बिलियन डॉलर के कुल नुकसान में भारत की लगभग 70% हिस्सेदारी रही है।

इंटरनेट शटडाउन से संबंधित प्रावधान

समयावधि	प्रावधान	कौन आदेश जारी कर सकता है?	शटडाउन की अवधि
वर्ष 2017 से पूर्व	• **दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144** (किसी क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने को प्रतिबंधित करता है) • **भारतीय तार अधिनियम, 1885**	**जिलाधिकारी / सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट / राज्य द्वारा अधिकृत कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट**	**धारा 144 के तहत** 2 महीने से अधिक नहीं तथा परिस्थितियों के अनुसार राज्य द्वारा 6 महीने तक विस्तारित किया जा सकता है।
वर्ष 2017 के बाद	• **दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017:** भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके यह नया नियम बनाया गया। • 2017 के नियमों के बावजूद, सरकार ने अक्सर **धारा 144** के तहत व्यापक शक्ति का उपयोग किया है।	• संघ या राज्य सरकार के केवल **गृह सचिव** आदेश जारी कर सकते हैं और इस आदेश की एक समिति द्वारा 5 दिन के भीतर समीक्षा की जाएगी • "अपरिहार्य परिस्थितियों" में संघ या राज्य सरकार के गृह सचिव द्वारा अधिकृत संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी आदेश जारी कर सकता है।	• **दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन (संशोधन) नियम, 2020** के अंतर्गत दूरसंचार इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का आदेश 15 दिनों से अधिक के लिए प्रचालन या प्रभावी नहीं रहेगा।

PT 365 - राजव्यवस्था

इंटरनेट शटडाउन के लिए अन्य प्रावधान: सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 69(A) सरकार को निश्चित वेबसाइटों को ब्लॉक करने की शक्ति प्रदान करती है, न कि इंटरनेट को संपूर्ण रूप से।

समीक्षा समिति

- **संघ स्तर पर:** इसमें कैबिनेट सचिव (अध्यक्ष) तथा विधि कार्य विभाग के भारसाधक सचिव (सदस्य) और दूरसंचार विभाग के सचिव (सदस्य) शामिल होते हैं।
- **राज्य स्तर पर:** इसमें मुख्य सचिव (अध्यक्ष), भारसाधक विधि या विधि परामर्शी-विधि कार्य सचिव (सदस्य), और राज्य सरकार का एक सचिव (गृह सचिव के अलावा) सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।

8.8. डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (Data Governance Quality Index: DGQI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (DGQI) पर सर्वेक्षण रिपोर्ट में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन उर्वरक विभाग (Department of Fertilizers) को आर्थिक गतिविधियों वाले 16 मंत्रालयों / विभागों के मध्य **दूसरा स्थान** और 65 मंत्रालयों / विभागों के मध्य **तीसरा स्थान** प्राप्त हुआ है।

DGQI के बारे में

- DGQI सर्वेक्षण केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (Central Sector Schemes: CS) और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes: CSS) के कार्यान्वयन पर **विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के प्रदर्शन का आकलन करता है।**
- इसे **नीति आयोग** के अंतर्गत **विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय** (Development Monitoring and Evaluation Office: DMEO) द्वारा संचालित किया जाता है।
- DGQI का उद्देश्य **मंत्रालयों/ विभागों में डेटा संबंधी तत्परता के स्तर का** एक मानकीकृत ढांचे पर आकलन करना है, जो उनके मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से सीखने की सहयोगात्मक समकक्ष प्रक्रिया को प्रोत्साहन प्रदान करता है।
    - यह वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के **कार्यान्वयन ढांचे को बेहतर बनाने में सहायता करेगा।**
    - सरकारी सेवाओं के वितरण में सुधार के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए गए हैं: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (NATGRID), अंतः प्रचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS), DNA डेटा बैंक और बिग डेटा विश्लेषण आदि।
- **DGQI के छह प्रमुख विषयों (themes) में** डेटा उत्पादन, डेटा की गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी का उपयोग, डेटा विश्लेषण, उपयोग और प्रसार, डेटा सुरक्षा एवं मानव संसाधन क्षमता तथा केस स्टडी सम्मिलित हैं।

VISION IAS

 © Vision IAS

8.9. राष्ट्रीय कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन नीति प्रारूप (National Program and Project Management Policy Framework: NPMPF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नीति आयोग (NITI Aayog)** और **भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India: QCI)** द्वारा **राष्ट्रीय कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन नीति प्रारूप (NPMPF)** का शुभारंभ किया गया है।

कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन

- यह एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए **एक परियोजना के विशिष्ट घटकों (individual elements) को एकीकृत करता है।**
- यह अपने दृष्टिकोण में परस्पर संबद्ध है। **घटक परियोजनाओं के विभिन्न विषयों,** जैसे कि इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, योजना, खरीद, निर्माण और वित्त के साथ-साथ विभिन्न घटकों जैसे विद्युत, जल, राजमार्ग, अपशिष्ट प्रबंधन आदि का प्रबंध करता है।
- **कार्यक्रम प्रबंधन प्रकृति में रणनीतिक** है, जबकि **परियोजना प्रबंधन प्रकृति में कार्यनीतिक** है।
- कार्यक्रम प्रबंधन कई परियोजनाओं के समन्वय के माध्यम से अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति पर केंद्रित होता है। परियोजना प्रबंधन में नियोजन की रणनीति और वर्क आउटपुट के निष्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

राष्ट्रीय कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन नीति प्रारूप (NPMPF) के बारे में

- **NPMPF निम्नलिखित के लिए एक कार्य योजना प्रदान करती है:**
    - अवसंरचना विकास के लिए एक **कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन दृष्टिकोण (program and project management approach)** का अंगीकरण।
    - **कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन के पेशे को संस्थागत बनाना** और बढ़ावा देना तथा इससे संबंधित पेशेवरों के एक कार्यबल का निर्माण करना।
    - पेशेवरों की संस्थागत **क्षमता और सामर्थ्य में वृद्धि** करना।
- यह भारत में अवसंरचना परियोजनाओं को निष्पादित करने के तरीके में **महत्वपूर्ण सुधार की परिकल्पना** करता है।
- NPMPF, पर्यावरण और पारिस्थितिकी को प्रभावित किए बिना **उच्च गुणवत्तायुक्त अवसंरचना व सुदृढ़ प्रशासन की व्यवस्था** करेगा तथा **लागत और अपशिष्ट पदार्थों को कम करने में सहायता** करेगा।

8.10. अन्य महत्वपूर्ण सरकारी पहलें (Other Important Governance Initiatives)

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (e-Gram Swaraj Portal)	• पंचायती राज मंत्रालय ने देश भर के **पंचायती राज संस्थानों में ई-गवर्नेंस को सशक्त बनाने** के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। • इसका उद्देश्य **विकेंद्रीकृत योजना निर्माण, कार्य-प्रगति की रिपोर्टिंग और कार्य-आधारित लेखांकन में बेहतर पारदर्शिता** लाना है। • यह पंचायत की **पूर्ण प्रोफ़ाइल,** उसके **वित्तीय विवरण, परिसंपत्ति के विवरण, ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)** के माध्यम से की गई गतिविधियों के विवरण आदि के साथ पंचायत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए **एक एकल मंच** प्रदान करता है। ○ वर्ष 2020-21 के लिए **लगभग 2.43 लाख ग्राम पंचायतों** ने ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपनी **ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) को अंतिम** रूप प्रदान किया है।
सार्वजनिक मामलों का सूचकांक, 2020 (Public Affairs Index: PAI, 2020)	• PAI, **शासन के आधार पर राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान करने** के लिए एक डेटा संचालित मंच है। **PAI** को गैर-लाभकारी संस्था **पब्लिक अफेयर्स सेंटर (PAC)** द्वारा विकसित किया गया है। ○ शासन के प्रदर्शन का विश्लेषण **समानता, विकास और धारणीयता के तीन स्तंभों द्वारा परिभाषित सतत विकास के संदर्भ में** किया जाता है। • **बड़े राज्यों की श्रेणी में:** केरल, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश शीर्ष तीन राज्य हैं। उत्तर

	प्रदेश, ओडिशा और बिहार सबसे निचले क्रम पर हैं। • **छोटे राज्यों की श्रेणी में:** गोवा प्रथम स्थान पर और मणिपुर अंतिम स्थान पर रहा है। • संघ राज्यक्षेत्रों की श्रेणी में चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर रहा है।
शहरी शासन सूचकांक 2020 {Urban Governance Index (UGI) 2020}	• इसे हाल ही में **प्रजा फाउंडेशन (Praja Foundation)** द्वारा जारी किया गया था। • UGI, राज्यों को इस आधार पर रैंक प्रदान करता है कि वे **ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र** और **स्थानीय स्वशासन के वास्तविक सशक्तीकरण** के संदर्भ में किस स्तर पर हैं। • UGI के अनुसार, **ओडिशा ने शहरी प्रशासन में सभी भारतीय राज्यों में शीर्ष स्थान** प्राप्त किया है, जबकि **मणिपुर और नागालैंड सबसे निचले स्थान पर हैं।** • सूचकांक से स्पष्ट होता है कि किसी भी राज्य ने **संविधान की 12वीं अनुसूची (नगर पालिकाओं से संबद्ध) में उल्लिखित 18 कार्यों** को अपने शहरी निकायों को प्रत्यायोजित नही किया है।
भारतीय डाक द्वारा फाइव स्टार गांव योजना का शुभारंभ (India Post launched Five Star Village Scheme)	• इसका उद्देश्य **ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं के सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करना है।** ○ **इसके अंतर्गत आने वाली योजनाओं में शामिल हैं:** बचत बैंक खाते, सुकन्या समृद्धि खाते, पीपीएफ खाते, ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खाता, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना खाता आदि। • इस योजना का उद्देश्य सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में **सार्वजनिक जागरूकता और डाक उत्पादों एवं सेवाओं तक पहुंच-अंतराल को समाप्त** करना है। • यदि कोई गांव उपर्युक्त सूची में से चार योजनाओं के लिए सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करता है, तो उस गांव को फोर-स्टार दर्जा प्राप्त हो जाएगा तथा यदि कोई गांव तीन योजनाओं को पूर्ण करता है, तो उस गांव को थ्री-स्टार दर्जा दिया जाएगा।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.